खण्ड-210, अंक-5
बुधवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1881
(2 मार्च, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 210 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री

ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छतरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जौखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री

झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री

प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर , श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री

रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी महरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवबचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती

सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिशचन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २ मार्च, १९६०

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कंधारी बाजार वेलफेयर सोसाइटी, लखनऊ, का पत्र

*१--श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें तथा प्रशासक, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, लखनऊ को जनवरी, १९६० में कन्धारी बाजार मोहल्ला वेलफेयर सोसाइटी का पत्र मिला था जिसमें उन्होंने यह पूछा था कि जिन लोगों की सम्पत्ति को कन्धारी बाजार जनरल इम्प्रूवमेंट स्कीम के अन्तर्गत होते हुये भी अधिगृहीत नहीं किया जा रहा है उनको किन शर्तों के अधीन यह सुविधा दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वे शर्तें क्या हैं ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--जी हां, ३० जनवरी, १९६० को एक पत्र मिला था । वे शर्तें निम्नलिखित हैं :--

१--भूमि प्राप्त करते समय ट्रस्ट को नवनिर्माण का कुछ भी मुआवजा न देना होगा और न श्री दुआ मुआवजा पाने के अधिकारी होंगे ।

२--श्री दुआ को केवल उतनी ही भूमि पर नवनिर्माण की स्वीकृति दी जावेगी जो उक्त योजना के अधीन मकान बनाने के लिये सुरक्षित है ।

३--श्री दुआ अपनी वह भूमि जो योजना के अनुसार सड़क में आती है बिना किसी मूल्य के ट्रस्ट को दे देंगे ।

४--ट्रस्ट द्वारा भूमि प्राप्त किये जाने के बाद, श्री दुआ को चौराहे पर कोने वाली छोटी जमीन प्रचलित बाजार दर पर दे दी जावे ।

श्री सजीवनलाल--क्या सरकार यह बतलायेगी कि पत्र की मुख्य-मुख्य बातें क्या थीं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री जयराम वर्मा--पत्र तो यहां नहीं है । इसलिये पत्र में क्या क्या बातें लिखी हैं उसक लिय नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री उपाध्यक्ष---जिस पत्र के आधार पर मूल प्रश्न बना है यदि वह भी माननीय मंत्री जी के पास नहीं है तो कैसे कार्यवाही चल सकती है । यह तो बहुत ही अनुचित है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार ने, जो यह आरोप लगा कि पार्टीबन्दी से काम नहीं लिया गया है, इस आरोप की जांच कराई है और अगर जांच कराई है तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---जहां तक हमको जानकारी है वहां तक हमको कोई गुटबन्दी नहीं दिखाई देती ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या सरकार श्री दुआ के साथ एक इकरारनामा किये हुये है या दो और अगर दो किय हुये है तो उनकी क्या शब्दावली है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इकरारनामे की सारी प्रतिलिपि दूसरे† प्रश्न के सम्बन्ध में यहां मेज पर रखी गई है ।

श्री सजीवनलाल---क्या इन शर्तों के मुताबिक अन्य व्यक्तियों के मकानों के वे हिस्से भी स्कीम से मुक्त किये जा सकेंगे जो तमाम स्कीम्स मकान बनाने के लिये सुरक्षित हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, एक दूसरी बहन की एप्लीकेशन आई है और उस पर विचार हो रहा है । मैं समझता हूं कि बिलकुल एक सी सूरत होगी तो जरूर विचार किया जायगा ।

श्री गौरीशंकर राय---मैं जानना चाहता हूं कि जिन शर्तों पर श्री दुआ को अपनी जमीन को उस एरिया से निकालने का एग्जेम्प्शन मिला है, क्या उस शर्त पर और लोगों को भी सुविधा दी जा सकती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसका उत्तर मैंने अभी दिया ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री दुआ की जमीन के लिये प्रचलित बाजार दर पर देने की शर्त ट्रस्ट को क्यों मन्जूर करनी पड़ीं जब कि उनका मकान स्कीम में नहीं लिया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, तीन हिस्से उसके बताये गये हैं । एक हिस्सा वह है जिसको ट्रस्ट नहीं लेना चाहता । उस पर मकान बनाने की इजाजत दे दी है । एक वह हिस्सा है जो सड़क के अन्दर आयेगा और बिना मुआवजा के लिया जायगा । एक वह हिस्सा है जिसको डेवलप करने को कहा गया है । वह बाजार की दर पर देंगे ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दुआ साहब के घर से लालबाग की तरफ १० फीट चौड़ी सड़क हो सकती थी, लेकिन दुआ साहब के घर को न तोड़ कर पूर्व की तरफ दूसरे शख्स का घर तोड़ा गया और उसमें २० फीट चौड़ी सड़क निकाली गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सड़कें निकालने में, श्रीमन्, कई चीजें देखनी पड़ती हैं । एक तो सड़क की सिधाई देखी जाती है, दूसरे कितना मुआवजा देना पड़ता है, यह देखा जाता है और तीसरे यह कि किस तरफ से सड़क ले जाने में कम खर्चा पड़ता है ।

श्री सजीवनलाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सुविधा अन्य सभी व्यक्तियों को दी जायगी जो इन शर्तों के अधीन मकान बनाने की स्कीम से अपने को मुक्त कर लेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसका उत्तर तो मैं पहले दे चुका हूं ।

[२ मार्च, १९६० के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

आगरा कमिश्नरी की जेलों से भागे हुए बन्दी

*१--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा कमिश्नरी के अन्दर जितनी जेलें हैं उनमें से १९५७ व १९५८ में किस-किस जेल से कितने-कितने कैदी या हवालाती भाग निकले हैं और इस अभियोग में कितने जेल अधिकारियों को सजायें दी गई हैं ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)--आगरा कमिश्नरी की जेलों में से सन् १९५७ और १९५८ में कुल ४ बन्दी भागे जो सब दंड प्राप्त (convicted) थे । जेलोंवार सूचना इस प्रकार है :--

१--सेन्ट्रल प्रिजन, आगरा	..	..	..	२
२--जिला जेल, अलीगढ़	..	..	..	२
			कुल ..	४

इस सम्बन्ध में ९ जेल अधिकारियों तथा ४ कनविक्ट वार्डरों और कनविक्ट अफसरों को सजा दी जा चुकी है तथा १ जेल अधिकारी के विरुद्ध मामला चल रहा है और उसको सजा दिये जाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन एक सज्जन का मामला विचाराधीन है वह इस वक्त मुअत्तल हैं या कहीं काम कर रहे हैं ? यदि काम कर रहे हैं, तो किस जेल पर काम कर रहे हैं और काफी समय हो गया अब तक उनका फैसला नहीं हो सका इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है कि वह मुअत्तल हैं या नहीं ।

जेलों में बन्दियों की संख्या तथा खाद्यान्न की खरीद

*२--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--विधान सभा की १ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १४७, १४८ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दालें और गेहूं का आटा जेलों में बन्दियों द्वारा निर्मित किया जाता है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--जी हां, किन्तु कुछ जेलों में बिजली की चक्कियाँ भी हैं जिनसे आटा पीसा जाता है ।

*३--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह सत्य है कि ५७-५८ के मुकाबले ५८-५९ में जेलों के हेतु खाद्यान्न वजन में अधिक नहीं खरीदना पड़ा ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--जी हां ।

*४--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--यदि हां, तो क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष ५७-५८ और ५८-५९ के प्रति वर्ष में पुरुष, महिला तथा बालक कैदियों की संख्या क्या रही है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---सन् १९५७-५८ की दैनिक औसत जेल संख्या इस प्रकार थी :---

पुरुष	.. ..	३३,४२७
महिला	.. ..	३२७
बालक	.. ..	१,६३२
	योग ..	३५,३८६

सन् १९५८-५९ की औसत संख्या इस प्रकार थी :---

पुरुष	.. ..	३४,७२९
महिला	.. ..	३३७
बालक	.. ..	१,८१९
	योग ..	३६,८८५

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वजन में खाद्यान्न ५८-५९ से अधिक नहीं खरीदा गया तो कैदियों की बढ़ी हुई संख्या को कौन सा पदार्थ खिलाकर जीवित रखा गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह, श्रीमान्, कैदियों की तादाद में भी कोई बहुत अन्तर नहीं है और जो खाद्यान्न खरीदा गया उसमें भी बहुत अन्तर नहीं है। हुआ यह है कि चूंकि इधर काफी खाद्यान्न था और उन्हीं के अनुसार जो खाद्यान्न कि पिछले वर्ष खरीदा गया था उसी के अनुसार इस वर्ष भी खरीदा गया और वह पूरा पड़ गया तो ज्यादा क्यों खरीदा जाय ?

श्री मुहम्मद हुसैन (जिला बरेली)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो संख्या कैदियों की जेल में दाखिल हुई थी क्या वही संख्या बाहर आयी या कुछ बढ़ोत्तरी हुई ? अगर हुई, तो कितनी ?

श्री उपाध्यक्ष---इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया।

श्री मुहम्मद हुसैन---मेरा मतलब यह है कि जो महिलायें इनमें दाखिल हुई थीं उनके कोई बच्चे हुए या नहीं, अगर हुए तो कितने ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---अप्रैल, सन् १९५९ को यह बताया गया था कि ५७-५८ के मुकाबिले ५८-५९ में लगभग ४,७९,८५६ रुपया अधिक व्यय करना पड़ा खाद्यान्नों की खरीद पर और आज बताया गया कि खाद्यान्न उतना ही खरीद करना पड़ा, तो दोनों उत्तरों में कौन सा सही है ? यह १ अप्रैल १९५९ को पहला प्रश्न मैंने पूछा था उसका जो उत्तर मिला है और आज जो उत्तर दिया गया इन दोनों में कौन सही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरे पास वह उत्तर नहीं है। यदि माननीय सदस्य कृपा करके उसे मुझे दिखा देंगे तो फिर मैं इसके सम्बन्ध में पता लगा लूंगा।

*५---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---[१६ मार्च, १९६० के लिए प्रश्न ३९ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्कीमें

*६--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद महानगर पालिका के अन्तर्गत जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिपार्टमेंट है उसने सन् ५७-५८ और ५८-५९ के दिसम्बर ८, तक कौन -कौन सी स्कीमें चालू कीं तथा कौन-कौन स्कीमें पूरी कीं ?

श्री जयराम वर्मा--इलाहाबाद नगरपालिका के अन्तर्गत इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डिपार्टमेंट ने ५७-५८ में और ५८-५९ में ८ दिसम्बर, तक डिफर्ड स्ट्रीट स्कीम अतर सुईया और कटरा मंडी दुकान तथा मकान की मिश्रित स्कीम की प्रारम्भिक कार्यवाही आरम्भ की है। परन्तु राज्य सरकार की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

*७--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का १९५७-५८ और १९५८-५९ के ८ दिसम्बर, तक कुल कितना धन व्यय हुआ ?

श्री जयराम वर्मा--उपर्युक्त योजनाओं पर अभी कोई व्यय नहीं हुआ है। इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का सन् १९५७-५८ का कुल व्यय ६,२७,७४१ रुपया तथा १९५८-५९ में ८ दिसम्बर, तक कुल व्यय २,६९,२२७ रूपया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले-क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए कब ये स्कीमें आयी थीं और अभी तक क्यों नहीं पास हुईं ?

श्री जयराम वर्मा--यह स्कीमें अभी राज्य सरकार के पास स्वीकृति हेतु नहीं आयी हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सन् ५८-५९ और ६० तक कोई कार्य नहीं हुआ तो जो उन्होंने धन वहां खर्चा किया ६ लाख और २ लाख, लगभग १० लाख रुपया ,उन्होंने खर्च किया वह किस कार्य पर खर्च किया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमान्, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तो वर्षों से बना हुआ है और उसकी दूसरी बहुत सारी स्कीम्स हैं उनके ऊपर खर्च वहां होता रहता है।

*८-९--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--[तेइसवें शुक्रवार के लिये प्रश्न ८-९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कानपुर का लेनिन पार्क

*१०--**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष स्वामी दयानन्द पार्क, कानपुर, का नाम बदल कर लेनिन पार्क कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस आदेश द्वारा ?

श्री जयराम वर्मा--प्रश्नगत पार्क का नाम वर्षों से लेनिन पार्क चला आ रहा है। हाल में उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

*११--**श्री मुक्तिनाथराय**--इस प्रकार नाम बदलने का क्या कारण है ?

श्री जयराम वर्मा--प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे कोई आदेश जारी करने का विचार है कि प्रदेश में पार्कों के नाम जो विदेशियों के नाम पर हैं उनको बदलकर गणमान्य नेताओं के नाम पर कर दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--यह प्रश्न इससे कहां उत्पन्न होता है। आपने तो दयानन्द पार्क के बारे में पूछा था।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दयानन्द पार्क कब से था और इसका नाम लेनिन पार्क कब से रखा गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—दयानन्द पार्क कभी भी नहीं था और लेनिन पार्क मुद्दत से चला आता है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रस्ताव म्युनिसिपैलिटी ने कब पास किया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कभी पास नहीं किया था ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास प्रस्ताव आया था कि लेकिन पार्क के बजाय इसका नाम दयानन्द पार्क कर दिया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, प्रश्न पूछे गये कौंसिल में भी और यहां भी और फर्दन फर्दन ऐसी चीज हमारे पास आई है ।

*१२-१४—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)—[१६ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

महिला मंगल योजनान्तर्गत कार्य-कर्त्रियों को स्थायी करने की प्रार्थना

*१५—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत काम करने वाली कार्य-कर्त्रियों में से कुछ की नियुक्ति पिछले दो सालों से स्थायी की गयी है ? यदि हां, तो कब-कब और कितनी-कितनी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—जी हां । समाज कल्याण विभाग की महिला मंगल योजना के अन्तर्गत काम करने वाली जिला संयोजिकाओं तथा ग्राम सेविकाओं के क्रमशः ६ और ११२ अस्थायी पदों को अप्रैल १,१९५८ से स्थायी घोषित कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त ६ जिला संयोजिकाओं तथा ११२ ग्राम सेविकाओं के अस्थायी पदों को अप्रैल १, १९५९ से स्थायी कर दिया गया है ।

*१६—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वह निकट भविष्य में उपर्युक्त शेष स्थानों को भी स्थायी करने का विचार रखती है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—इस प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया गया है।

*१७—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार स्थायी की गई कार्य-कर्त्रियों की जिलेवार संख्या बताने की कृपा करेगी और यह भी बतायेगी कि जो कार्य-कर्त्रियां स्थायी की गई हैं उनमें स्थायी बना दिये जाने का आदेश कितनों को मिला और कितनों को नहीं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—वांछित सचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४३४ पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बतायगी कि इस प्रश्न पर विचार न करने का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जहां तक पदों के स्थायी और अस्थायी रहने का प्रश्न है यह इस पर निर्भर रहता है कि कितने रुपये किस योजना के लिये हमारे पास रहेंगे और वह रुपया आगे आने वाले वर्षों में भी रह सकेगा या नहीं और किस तरह से हमारी योजना चलेगी । तो यह सारे दृष्टिकोण होते हैं, उनसे विचार करना पड़ता है कि कितने पदों को स्थायी बनायें । इस लिये यह चीज विचाराधीन है और इस पर पूरे तौर से विचार नहीं किया गया है । जैसे जैसे योजना आगे बढ़गी वैसे वैसे पदों को और स्थायी किया जायगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---जो पद स्थायी घोषित कर दिये गये हैं उनसे संबंधित व्यक्तियों को सूचना क्यों नहीं दी गई है कि उनके पद स्थायी कर दिये गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, मुझे मालूम नहीं है कि कितनों को सूचना नहीं मिली है और आज तो सभी को मिल जायगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर में लिखा है कि यद्यपि इन पदों को स्थायी घोषित कर दिया गया है, लेकिन संबंधित व्यक्तियों को घोषित नहीं किया गया है। उत्तर से साबित होता है कि अभी तक किसी को स्थायी घोषित नहीं किया गया है यद्यपि पदों के स्थायी होने की घोषणा कर दी गई है तो यह क्यों नहीं किया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, पदों को स्थायी घोषित कर दिया गया है, लेकिन जो व्यक्ति हैं उनको अभी स्थायी घोषित नहीं किया गया है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो कार्य-कर्त्रियों की संख्या है उनमें से कितनी अस्थायी हैं और उनका अनुपात क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, मैं बिलकुल नहीं समझ सका कि इनका तात्पर्य क्या है? अनुपात किस चीज का ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन् यह जो जिलेवार संख्या है कार्य-कर्त्रियों की उनमें से कुछ को स्थायी कर दिया गया है तो अस्थायी से उनका कितना अनुपात है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह तो पदों को स्थायी किया गया है और जैसा कि पंद्रहवें प्रश्न के उत्तर में है कि ६ संयोजिकाओं और ११२ ग्राम सेविकाओं के स्थायी पद, १ अप्रैल, १९५८ से घोषित कर दिये गये हैं और ६ संयोजिकाओं और ११२ ग्राम सेविकाओं के पद १ अप्रैल, १९५९ से स्थायी किये गये हैं ।

*१८-१९---**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)---[१६ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

कुम्भ मेले पर व्यय

*२०---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुम्भ मेले में कुल कितना रुपया चालू वर्ष में सरकार द्वारा व्यय हुआ है ?

श्री जयराम वर्मा---अभी तक १४,२१,२२२·६० रुपये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वशासन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस धनराशि में केन्द्रीय सरकार का भी कुछ हिस्सा है ?

श्री जयराम वर्मा---जी नहीं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अभी तक कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह उत्तर में दिया गया है कि १४ लाख के लगभग रुपया खर्च हुआ है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इसमें जो पुल बनाया गया है उसका भी खर्चा शामिल है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---कौन सा पुल बनाया गया था ?

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेगें कि यह जो खर्चे की तालिका दी गई है यह किस महीने की किस तारीख तक के खर्चे की है ?

श्री जयराम वर्मा--अभी तक जितना खर्चा हुआ है उसकी तालिका दी गई है । आगे कुछ और भी खर्चा हो सकता है ।

गाजीपुर जेल निरीक्षण में विधान परिषद् के सदस्य के साथ अशिष्ट व्यवहार की शिकायत

*२१--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ४ जनवरी, १९६० को गाजीपुर जिले में विधान परिषद् के एक माननीय सदस्य पर जल निरीक्षण करते समय कुछ हवालातियों ने हमला कर दिया था ? यदि हां, तो उसने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट-- जी नहीं । हमला नहीं किया, इसलिए किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि माननीय सदस्य के साथ कुछ हवालातियों ने अशिष्ट व्यवहार किया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं इस सदन में कुछ बहुत स्पष्ट बातें कहना चाहता हूं। इसकी सूचना मुझे 'भारत' अखबार की कटिंग से मिली और सूचना मिलने पर मैंने अपने विभाग को इस बात की जानकारी के लिये भेजा कि उसमें कहां तक सत्य है, कितना सत्य है और क्या कुछ इस प्रकार की घटना हुई । उस सूचना में कुछ विचित्र बातें भी थीं जो कि उस अखबार के जरिये से मिलीं । वह सूचना यह है कि हमारे एक माननीय सदस्य एम० एल० सी० जेल का मुआइना करने गये और उनके साथ में दो व्यक्ति और गये जिनका गलत नाम लिखा था दरवाजे पर और उन दोनों व्यक्तियों का किसी एक मुकदमें से सम्बन्ध था जिसमें वे गवाह थे । वे दोनों व्यक्ति जेल के अन्दर गये इसलिये कि वे एक कैदी को पहचान लें । तो जब ये जेल के अन्दर गये, और जब ये विधायक महोदय निरीक्षण कर रहे थे तो ये दोनों उनके साथ थे । उनको देखकर शायद जो एक कैदी था उसने एतराज किया और कुछ बुरा भला कहा। यह इस प्रकार की सूचना थी। जब माननीय सदस्य का यह प्रश्न मेरे पास आया तो इसमें शब्द 'हमला' लिखा था । उसकी जब मैंने इस प्रकार की जानकारी की, तो पता चला कि कोई हमला नहीं किया गया । अब यह कि क्या अशिष्ट व्यवहार किया गया और क्यों किया गया ? वाकई उनके पास कोई कैदी था या नहीं था और कुछ व्यक्तियों को पहचानने के लिये आदमी गलत नाम लिखाकर गये, इसकी जांच नहीं कराई है । अगर हमारे माननीय सदस्य या वह सदस्य जिनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, कोई लिखित सूचना दें तो निस्सन्देह मैं जांच कराऊंगा और पूरी जांच कराऊंगा ।

कानपुर नगरमहापालिका के उद्यान विभाग के कर्मचारियों की डाक्टरी

*२२--**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड, कानपुर, के उद्यान विभाग के कर्मचारियों की फरवरी, सन् १९५७ में कोई मेडिकल जांच हुई थी ?

*२३--यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों की लिस्ट व विवरण देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो कब इस प्रकार की जांच सन् ५४ के बाद अब तक हुई जिसके आधार पर कर्मचारियों की सर्विस बुक तैयार की गई ?

श्री जयराम वर्मा--आवश्यक सामग्री एकत्र की जा रही है।

श्री राजनारायण--प्रश्नों की सूचना कब मिली थी और कब से सूचना एकत्र की जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--सरकार को यह प्रश्न १३ फरवरी को भेजे गये थे।

श्री राजनारायण--कब तक इसकी सूचना आ जायगी ?

श्री जयराम वर्मा--सूचना मांगी जा रही है, जल्द ही आ जायगी।

बाराबंकी जेल की कृषि भूमि पर नलकूप की आवश्यकता

*२४--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जेल बाराबंकी में कितने एकड़ भूमि पर खेती होती है और उस भूमि की सिंचाई का साधन क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--२५.४७ एकड़ भूमि पर खेती होती है। सिंचाई दो छोटे-छोटे तालाबों तथा एक कुएं से होती है।

*२५--श्री जंगबहादुर वर्मा (अनुपस्थित)--क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला जेल बाराबंकी में खेतों की सिंचाई के लिये ट्यूबवेल लगवाने के सम्बन्ध में कुछ बोरिंग कराई गई थी ? यदि हां, तो उसमें कितना रुपया खर्च हुआ और ट्यूबवेल लगाया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी नहीं।

विधायकों को निःशुल्क डाक सेवा सुविधा देने के संबंध में जानकारी

*२६--कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सत्य है कि सरकार विधान सभा के सदस्यों को निःशुल्क डाक-सेवा की सुविधा सर्विस टिकटों के व्यवहार द्वारा प्रदान करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--जी नहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्यों "जी नहीं" ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य --कितनी ही और चीजें हैं कि जिनके सम्बन्ध में क्यों नहीं पूछा जायगा, और यह यूं नहीं कि इसके सम्बन्ध में आज तक किसी ने कहा नहीं और यह यूं भी नहीं कि माननीय श्रीपाल सिंह जी ने भी इस के सम्बन्ध में आज तक चर्चा नहीं की।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी, अब चूंकि मैंने उनसे चर्चा कर दी है, इसलिये अब इस पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--विचार तो जरूर करेंगे, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा यह अभी बतलाना सम्भव नहीं।

*२७--श्री ऊदल--[१६ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

अन्तरिम जिला परिषदों के उपाध्यक्ष

*२८--**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के जिला बोर्ड का अध्यक्ष, जो अब अन्तरिम जिला परिषद् में उपाध्यक्ष हैं, पहले जिला को सरकार द्वारा निर्मित जिन बहुत-सी कमेटियों का अध्यक्ष अथवा सदस्य रहा है, अब किन-किन कमेटियों का अध्यक्ष अथवा सदस्य नहीं रहा है ?

श्री जयराम वर्मा--सूचना एकत्र की जा रही है।

*२९--**श्री गौरीराम गुप्त**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब से अन्तरिम जिला परिषद् का निर्माण हुआ है तब से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक किन-किन जिलों के उपाध्यक्षों को अध्यक्षों द्वारा परिषद का कार्य करने के लिये आदेश दिया गया है ?

श्री जयराम वर्मा--सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह सूचना कितने दिनों में एकत्र की जा सकेगी ?

श्री जयराम वर्मा--जल्दी ही सूचना एकत्र हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष--यहां मैं बतला दूं कि माननीय मंत्रियों द्वारा जब यह उत्तर दिया जायगा कि सूचना एकत्र की जा रही है तो उसके १५ दिन के बाद वे प्रश्न फिर एजेन्डा में रख दिये जायंगे और अगर इसके पहले ही माननीय मंत्री उत्तर देना चाहें तो रखे जा सकते हैं।

श्री गौरीराम गुप्त--श्रीमन्, इसी तरह का एक प्रश्न था जिसको ७, ८ महीने हो चुके हैं और उसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--इसके बारे में आप मुझे अलग बतला दें।

*३०-३१--**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)--[१६ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*३२-३३--**श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)--[१६ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर में श्रम आवास गृहों का किराया बढ़ाना

*३४--**श्री मोतीलाल अवस्थी**--क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कानपुर में सरकारी श्रम आवास गृहों का मासिक किराया १० रुपया प्रतिमास से अधिक बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कारण क्या है ?

श्री जयराम वर्मा--जी नहीं। केवल ineligible persons से economic rent वसूल करने का निश्चय किया गया है।

*३५--**श्री मोतीलाल अवस्थी**--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या उपर्युक्त विषय पर श्रमिकों की ओर से माह अक्तूबर, नवम्बर, १९५९ में आवेदन-पत्र भी आये हैं ? यदि हां, तो उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जयराम वर्मा—उक्त निर्णय के अनुसार ineligible persons को economic rent देने अथवा मकान खाली कर देने के लिए नोटिस दिए गये, जिस पर अनेक आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। परन्तु चूंकि केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना (Subsidised Industrial Housing Scheme) के नियमों तथा केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार केवल eligible workers को ही subsidised rent का लाभ मिल सकता है, जिनके लिए यह मकान वस्तुतः बनाए गए हैं, ineligible persons से भी subsidised rent वसूल करने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सका।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार यह बतायेगी कि यह इनएलिजिबिल परसन्स जो बहुत दिनों से वहां रह रहे हैं उनकी संख्या क्या है और वह किस आधार पर उन मकानों पर कब्जा किए हुए हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—संख्या के लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी, लेकिन आधार यह था कि पहले जब यह मकान बने थे तो जो एलिजिबिल वर्कर्स थे वह उन मकानों में आने के लिये तैयार नहीं थे और उनके खाली रहने से किराये का लास होता था इसलिये वे कुछ ऐसे लोगों को दे दिये गये जो एलिजिबिल नहीं थे और यह उचित समझा गया कि उनसे किराया ले लिया जाय। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर आब्जेक्शन किया और तब यह तय हुआ कि जो इनएलिजिबिल हैं उनसे इकोनामिक रेन्ट लिया जायगा, यानी सब्सिडी का हिस्सा उनको नहीं मिलेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा—इन श्रमिकों से एकोनामिक रेन्ट इस समय कितना वसूल किया जा रहा है और क्या यह सही है कि कुछ महीने पहले इस रेन्ट में कुछ इजाफा भी हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह गलत है कि एलिजिबिल वर्कर्स से एकोनामिक रेण्ट लिया जाता है। उनसे सब्सीडाइज्ड रेन्ट लिया जाता है और कोई अन्तर नहीं किया गया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या यह सही है कि वहां बहुत से घर खाली पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो कित ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन इनएलिजिबिल परसन्स को जो मकानों में रहने का मौका दिया गया वह क्या किसी समझौते के रूप में दिया था ? यदि हां, तो वह कौन-सा समझौता था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उसको समझौता नहीं कहा जा सकता। आपस की बातचीत के दौरान में यह तय हुआ था कि उनको रहने दिया जाय।

*३६-३७—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)—[९ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

जालौन जिले में न्याय पंचों के रिक्त स्थान

*३८—**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में किस-किस न्याय पंचायत में पंचों के स्थान कब-कब से रिक्त हैं और उन स्थानों की पूर्ति की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३८ श्री शिवप्रसाद नागर ने पूछा।

श्री जयराम वर्मा--वांछित सूचना निम्नलिखित है :--

क्रमांक	नाम न्याय पंचायत	रिक्त पदों की संख्या	पद रिक्त होने की तिथि
१	जैसारी कलां	१	२८-९-५६
२	रूरा अड्डू	१	६-१२-५९
३	डकोर	२	९-२-५९
			१०-१०-५९
४	खकसीस	१	२७-२-५९
५	बंगरा	२	२७-२-५९
			२-७-५९
६	चर्खी	१	२१-८-५९
७	टीहर	१	१८-८-५९

पिछले मनोनयन के समय जैसारी कलां के अतिरिक्त, अन्य रिक्त स्थानों की सूचना समय पर उपलब्ध न हो सकी। जैसारी कलां में मनोनयन सलाहकार समिति में मतभेद होने के कारण रिक्त स्थान न भरा जा सका। सलाहकार समिति बार-बार न बुला कर कुछ स्थान रिक्त होने पर ही बुलाई जाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--सन् ५६ से अब तक पूर्ति नहीं की गई, तो क्या तब से अब तक मनोनयन समिति में मतभेद चल रहा है ?

श्री जयराम वर्मा--पिछली बैठक में वे एक राय पर नहीं पहुंच सके।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मनोनयन समिति के सलाहकारी समिति होते हुये और जिलाधीश के सर्वोपरि होते हुये क्या जिलाधीश ने अभी तक अपनी राय नहीं दी है ?

श्री जयराम वर्मा--वहां काफी पार्टीबाजी है। लोग इस प्रयत्न में थे कि कोई ऐसा आदमी चुना जावे जो इससे ऊपर हो, लेकिन वह नहीं हुआ।

बरेली जिले में ग्राम पंचायतों तथा न्याय पंचायतों का निर्माण

*३९--श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में कितनी ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायतों का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि ऐसा है, तो उनके निर्माण न होने का क्या कारण है और ऐसी ग्राम सभाओं का प्रबन्ध किस प्रकार होता है ?

*४०--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में कितनी न्याय पंचायतों का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि ऐसा है, तो उनके निर्माण न होने का क्या कारण है और जिन स्थानों पर न्याय पंचायतें नहीं हैं उन क्षेत्रों के न्याय पंचायत सम्बन्धी मुकदमों का निर्णय किस प्रकार होता है ?

श्री जयराम वर्मा--सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री प्रतापसिंह——क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक सूचना एकत्र न किये जाने के क्या कारण हैं और किन दिक्कतों की वजह से वह अब तक एकत्र नहीं की जा सकी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा——समय की कमी थी।

कंधारी बाजार जनरल इम्प्रूवमेंट स्कीम के अन्तर्गत श्री हरभगवान दुग्रा के साथ इकरारनामा

*४१—श्री गोविन्दसिंह विष्ट——कंधारी बाजार जनरल इम्प्रूवमेंट स्कीम के अन्तर्गत पड़ने वाले भवनों के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में २ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १५ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस व्यक्ति को इस शर्त पर मकान बनाने की इजाजत दी गई है कि ट्रस्ट को उनकी जो भूमि चाहिये वह उसे ट्रस्ट को बिना मूल्य दे देंगे तथा ट्रस्ट उनको कुछ अपनी भूमि प्रचलित बाजार दर पर मकान बनाने के लिये देगा, उसके साथ प्रस्तावित इकरारनामा हो गया है अथवा नहीं ? यदि हां, तो क्या सरकार अब उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा——इकरारनामा हो गया है। इकरारनामे की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४३५-४३६ पर)

*४२—श्री गोविन्दसिंह विष्ट——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त दिनांक के उपर्युक्त विषय पर तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर में जिस नक्शे को विचाराधीन बताया गया था क्या उसको भी स्वीकृत कर लिया गया है ? यदि हां, तो किन शर्तों के अधीन और क्या सरकार उसके साथ भी किये गये इकरारनामे की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा——जी नहीं, अभी वह मामला विचाराधीन है। अभी उसमें कोई इकरारनामा नहीं लिखाया गया है। अतः प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट——क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि यह स्कीम सन् १९३९ से चल रही है और इसमें यह सारा क्षेत्र आ जाता है जिसमें दुग्रा साहब का घर आता है ? तब क्यों दुग्रा साहब को घर बनाने की इजाजत दी गयी और इकरारनामा बाद में लिखा गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा——यही सही है कि यह स्कीम बहुत दिनों से चल रही थी और गालिबन वही तारीख ठीक है जो माननीय सदस्य ने बतायी है। चूंकि स्कीम में देरी हुई थी और उनको कुछ तकलीफें थीं इस वजह से म्यूचुग्रली तय हो गया और उस पर विचार किया गया।

श्री गौरीशंकर राय——क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर बतायेंगे कि इस इकरारनामे के बाद जिनको भवन निर्माण की मंजूरी दी गयी वे किस राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं और उनके मकान के उद्घाटन के समय कौन-कौन अधिकारी तथा मंत्री महोदय गये थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा——श्रीमन्, हमारे पास कोई इसकी सूचना नहीं है।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो इकरारनामा दुग्रा साहब से हुग्रा है उसी के आधार पर कुछ और लोगों को भी मकान दिये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसका उत्तर तो दो-तीन बार दिया जा चुका है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इकरारनामे में सी० डी० ई० बिन्दुओं के भीतर जो जगह दिखाई गयी है और जो ५६० स्क्वायर फीट है जिसे सरकार ने ४०० रुपये में खरीदा है क्या वह अभी तक उन्हीं के कब्जे में है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, इकरारनामे में साफ लिखा है कि जब जरूरत होगी लिया जायेगा बिना मुआवजे के।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इकरारनामे के उस अंश को पढ़ने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह लिखा है कि दुआ साहब मुआवजे के अधिकारी नहीं होंगे?

श्री उपाध्यक्ष---इकरारनामे की प्रतिलिपि माननीय सदस्य को मिल गयी है, वे स्वयं उस में पढ़ लें।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कन्धारी बाजार के निवासियों ने कुछ दिनों पहले एक आवेदन-पत्र दिया था और उसमें कुछ सुधार की योजना पेश की थी? तो क्या सरकार ने उस पर विचार किया और यदि किया तो सरकार क्या सुधार करने जा रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, सुधार की योजना भेजी थी, मुझ से मिले भी थे। सुधार करने का कोई सवाल नहीं है। जो शर्तें दुआ साहब को दी हैं इस पर विचार करने के लिये मैंने कहा भी था और जो आल्टरनेटिव प्लाट्स उनको दे रहे हैं उसके अलावा भी सस्ते मूल्य पर वहां प्लांट्स प्रोवाइड किये जा सकते हैं आसानी से।

आजमगढ़ जिले में महिला मंगल केन्द्र

*४३---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में चालू तथा अग्रिम वित्तीय वर्ष में कहां-कहां महिला मंगल केन्द्र खोले जा रहे हैं?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---आजमगढ़ जिले में चालू वित्तीय वर्ष में एक महिला मंगल कन्द्र धनछ ला में खोला गया है और एक केन्द्र केरमा मेहरूपुर से कोथिया में स्थानांतरित किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में उस जिले में कोई नया महिला मंगल केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में अभी विचार नहीं किया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि करमा मेहरूपुर का जो महिला मंगल केन्द्र था उसको हटाने का क्या कारण था?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या यह सही है कि सरकार को इस बात की दिक्कत पड़ रही है कि पढ़ी लिखी लड़कियां इस कार्य के लिये आगे नहीं आ रही हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, यह सही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अभी दो दिन पहले माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक व्यवस्था दी है कि ऐसे जो प्रश्न आवें उन पर सूचना नहीं मांगनी चाहिये। महिला केन्द्र करमा मेहरूपुर हटाया गया है। मैंने पूछा है कि कारण क्या है, उसके लिये मंत्री जी ने सूचना मांगी है। मैं समझता हूं यह परम्परा ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था ठीक है, उसको देखने पर पता चलेगा, लेकिन आपने जो प्रश्न किया था उससे तत्काल यह उत्पन्न नहीं होता। आप दूसरे प्रश्न उसी के साथ पूछ लेते कि हटाने का कारण क्या है, तो आसानी होती। वह व्यवस्था कहां लागू होती है, यह कठिन प्रश्न हो जाता है।

बस्ती जिले को समाज कल्याण कार्यों के लिए अनुदान

*४४—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (अनुपस्थित)—क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बस्ती को समाज कल्याण विभाग द्वारा कितनी-कितनी धनराशि सन् १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ व १९५७-५८ में दी गई और वह कहां-कहां खर्च की गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*४५—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया।]

देवरिया जिले को समाज कल्याण कार्यों के लिए अनुदान

*४६—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (अनुपस्थित)—क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया को समाज कल्याण विभाग द्वारा कितनी-कितनी धनराशि सन् १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में दी गई और वह कहां-कहां खर्च की गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

इटावा व मैनपुरी जिलों में प्रधानों का निलम्बन

*४७—**श्री मलिखानसिंह** (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा व मैनपुरी जिलों में सन् १९५८ से सन् १९६० तक कितने प्रधान सस्पेंड किये गये और उन पर क्या-क्या चार्ज लगाये गये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सन् १९५८ से १९६० तक इटावा में २२ प्रधान तथा मैनपुरी में १६ प्रधान निलम्बित किये गये। उन पर लगाये गये आरोप संलग्न सची में उल्लिखित हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४३७—४३९ पर)

आजमगढ़ जिले में पंचायत मंत्रियों का हटाना तथा नियुक्त करना

*४८—**श्री मुक्तिनाथराय**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने पंचायत के मंत्री १९५८ से १५ अक्तूबर, १९५९ तक एक माह की नोटिस देकर पंचायत विभाग से अलग किये गये ?

श्री जयराम वर्मा—६ पंचायत मंत्री।

*४९—**श्री मुक्तिनाथराय**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवधि में कितने नये पंचायत मंत्री उक्त जिले में रखे गये ?

श्री जयराम वर्मा—४१ पंचायत मंत्री।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निकाले गये व्यक्ति पंचायत विभाग में कितने वर्ष से सर्विस कर रहे थे ?

श्री जयराम वर्मा—	वर्ष	महीने	दिन
श्री बद्रीसिंह	९	४	१४
श्री रामचन्द्रसिंह	८	८	४
श्री प्रद्युम्ननाथ शास्त्री..	९	..	१५
श्री अवधेश द्विवेदी	८	११	१७
श्री रामअंजेर राय	९	४	४
श्री सहदेव सिंह	८	४	४

श्री मुक्तिनाथराय---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि इस चुनाव के लिये कोई चुनाव बोर्ड बैठा था या जिला पंचायत अधिकारी चुनाव स्वयं कराया ?

श्री जयराम वर्मा---उसके लिये जिले के अन्दर एक कमेटी होती है ।

श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---मंत्री जी ने अभी कहा कि वह अयोग्य थे इसलिये उनको हटाया गया, तो क्या उनके खिलाफ कोई आरोप थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां ।

श्री छत्तरसिंह---क्या आरोप थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उसकी बहुत बड़ी तफसील है । ६ आदमियों के हर एक के अलग-अलग थे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि जो नये सेक्रेटरी नियुक्त किये गये, उनका बाकायदा साक्षात्कार नहीं हुआ और कोई कमेटी भी नहीं बनाई गयी थी ?

श्री जयराम वर्मा---जिले में जो कमेटी होती है उसने चुनाव किया है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि इनको ९--१० साल काम करते हो गये, फिर भी जिस तरह से किसी अस्थायी कर्मचारी को एक महीने की नोटिस देकर बिना कोई चार्ज लगाये और कार्यवाही किये निकाल दिया जाता है, उसी तरह से इनको भी निकाल दिया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष---मंत्री जी ने कहा कि उनके खिलाफ शिकायतें थीं । यह बड़े ब्योरे का प्रश्न है ।

श्री प्रताप सिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस बोर्ड ने पंचायत मंत्रियों को नियुक्ति दी, उसकी बैठक कब हुई और कितने मेम्बर उस बैठक में थे ?

श्री जयराम वर्मा---सूचना की आवश्यकता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन चार्जेज को लगाकर उनको हटाया गया वह चार्जेज क्या डिसक्वालिफिकेशन के थे, अयोग्यता के थे या कोई सीरियस चार्जेज थे ?

श्री जयराम वर्मा---काम में खराबी की शिकायतें थीं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस कमेटी ने नयी नियुक्तियां की हैं उसके सदस्य कौन-कौन थे ?

श्री उपाध्यक्ष---मंत्री जी कह चुके हैं कि नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो ४ पंचायत मंत्री नियुक्त किये गये हैं, वह क्या विभाग द्वारा बनाई गई वेटिंग लिस्ट से लिये गये हैं या बाहर से लिये गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा---सूचना की आवश्यकता है ।

प्रयाग के प्राचीन घाटों की मरम्मत के लिए प्रार्थना

*५०---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार इलाहाबाद के मणिकामेश्वर घाट तथा गौघाट का जीर्णोद्धार करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जयराम वर्मा---जी नहीं । शासन के विचाराधीन ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---जिस प्रकार से सरकार ने वाराणसी में घाटों का जीर्णोद्धार किया है क्या उसी प्रकार से सरकार प्रयाग के प्राचीन घाटों की मरम्मत कराने पर विचार करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उत्तर दे दिया गया है कि अभी कोई विचार ही नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---मंत्री जी ने बताया कि कोई योजना नहीं है, तो क्या जिस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में बहुत-सी जगहों पर घाटों का जीर्णोद्धार किया गया है उसी योजना के अन्तर्गत इलाहबाद के घाटों का जीर्णोद्धार और मरम्मत कराने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने कहा कि कोई योजना नहीं है, लेकिन इन्कार नहीं किया है कि कभी करेंगे ही नहीं ।

बड़हलगंज टाउन एरिया की चौहद्दी का मामला

*५१---**श्री इन्दुभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया, बड़हलगंज, जिला गोरखपुर की चौहद्दी नोटिफिकेशन संख्या ११२-ए, दिनांक २१ नवम्बर, १८७१ के अनुसार क्या थी और चौहद्दी में कौन-कौन दूसरे गांव, कितने खसरा संख्या तक सम्मिलित थे और क्या उसका कोई सर्वे मैप भी था ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायगी ?

श्री जयराम वर्मा---१८७१ की विज्ञप्ति के अनुसार टाउन एरिया की चौहद्दी ग्राम बेली, कलियानपुर, चिल्लूपार, घाघरा नदी तथा जईपार, जिनसे टाउन एरिया घिरा था के सर्वे मैप में खींची गई रेखा के अनुसार थी। प्रश्नगत सर्वे मैप उपलब्ध न होने के कारण चौहद्दी के सभी गांव और उनकी खसरा का विवरण देना संभव नहीं है ।

*५२---**श्री इन्दुभूषण गुप्त**---क्या यह सत्य है कि ग्राम चिल्लूपार, परगना चिल्लूपार, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर का जो भाग उक्त टाउन एरिया की सीमा के भीतर जब से बड़हलगंज टाउन एरिया कायम है तभी से है अथवा उक्त भाग टाउन एरिया के अन्तर्गत नोटिफिकेशन दिनांक १६-२-५३, गजट संख्या ५३३ ए-९-२६---आई (४१)-५१ से आया ?

श्री जयराम वर्मा---ग्राम चिल्लूपार का कुछ भाग टाउन एरिया की सीमा के अन्दर विज्ञप्ति संख्या ५३३ ए/९---२६ टी० (४१)-५१, दिनांक १६ फरवरी, १९५३ के जारी होने की तिथि से आया ।

*५३--श्री इन्दुभूषण गुप्त--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त ग्राम के उक्त भाग में टाउन एरिया के होते हुए भी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, सन् १९५२ से ही लागू करने का आधार क्या था ?

श्री जयराम वर्मा--चूंकि ७ जुलाई, सन् १९४९ को ग्राम चिल्लूपार का कोई भाग टाउन एरिया, बड़हलगंज में शामिल नहीं था, इसलिये १ जुलाई, सन् १९५२ को पूरे ग्राम चिल्लूपार में जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू किया गया। ऐसा करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गई।

श्री इन्दुभूषण गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी सर्वे मैप उपलब्ध न होने का कारण बतलायेंगे ?

श्री जयराम वर्मा--वह मिसिंग है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त--मान्यवर, इस प्रश्न के लिये जहां तक सूचना की आवश्यकता है, वह कई बार स्थगित किया गया है। इस पर एक शिकायती पत्र भी दिया जा चुका है। वहां बड़ा भारी भ्रष्टाचार है और जानबूझ कर दूसरे के हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--आप लेक्चर न दीजिये, प्रश्न पूछना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस संबंध में माननीय भूषण गुप्त ने कोई शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा--शिकायत वाली बात का पता है। चिल्लूपार के बारे में निश्चित रूप से कह दिया गया है कि टाउन एरिया में उसका कोई भाग शामिल नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष--वे कहते हैं कि शिकायत का इससे संबंध नहीं है।

पर्वतीय जिलों के लिये पेय जल योजना

*५४--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान में पर्वतीय जिलों में पेय जल सप्लाई करने की कुछ योजनायें हैं ? यदि हां, तो यह योजनायें कहां चालू की जायेंगी और न पर कुल कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री जयराम वर्मा--जी हां। योजनाओं की सूची तथा न पर कितना व्यय होगा इसकी सूचना संलग्न पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४४० पर)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि बजट में ५ लाख रुपये की केवल तीन योजनाओं के लिये स्वीकृति मांगी गयी है, शेष योजनायें जो ३२,८६,६१९ पये की हैं उनकी स्वीकृति न लेने का कारण क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जो योजनायें चल रही हैं सब की स्वीकृति ली गयी है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या यह सही है कि २५ प्रतिशत जो मूल योजना का टैक्स जमा कराया जाता है उसको वहां के लोग अत्यन्त गरीबी के कारण नहीं दे पा रहे हैं, जिससे रुपया लैप्स हो रहा है ? इस संबंध में प्रश्न कर्त्ता तथा अन्य लोगों की मांगों पर कि १० प्रतिशत और दिया जाय, इस पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सरकार इस पर विचार ही कर रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार संबंधित अधिशासी अभियन्ता को ऐसे आदेश भी दिये हैं कि उसको पूरा अधिकार है कि इस योजना को प्रचलित कराने में यदि कहीं श्रमदान या धन दान न मिले तो वह उस योजना को सरकारी खर्चे पर चला सकते हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी नहीं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार विचार करने में कृपा करके उतना ही समय लगायेगी जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टारगेट पूरा हो जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह कहना कठिन है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन योजनाओं में भारत सरकार ने भी कुछ धन दिया है ?

श्री जयराम वर्मा---बैकवर्ड एरियाज के प्रोग्राम के अन्तर्गत ५ लाख पया भारत सरकार से प्राप्त हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी उस आधार को बतायेंगे जिसके अनुसार वह अनुदान स्वीकार किया जाता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, यह बताया गया है कि वहां पानी की जरूरत हो, स्कीम बहुत ज्यादा महंगी न पड़ती हो और उस स्कीम का २५ प्रतिशत भाग वे स्वयं देने को तैयार हों।

श्री गेंदासिंह---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो काम बाकी रह जायगा, वह तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर दिया जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसका निर्णय तो बहुत कुछ भारत सरकार पर निर्भर करेगा।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों ने इस बात की सिफारिश की है कि पर्वतीय जिलों की पेय जल योजना का उनसे १० परसेंट लिया जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे शीघ्र स्वीकार करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष---उत्तर दिया जा चुका है कि प्रश्न विचाराधीन है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---शेष योजनाओं की स्वीकृति किस बजट में प्रस्तुत करके प्राप्त की गई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---देखना होगा। नोटिस चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या सरकार ऐसा आदेश देगी कि यदि दूसरे गांव वाले रैक्विजिट मनी जमा कर दें तो उन्हें यह धन दे दिया जाय ताकि ३१ मार्च नजदीक होने से यह पया लैप्स न हो जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---समय कम है कि दूसरी योजना टेक्निकली एप्रूव कराई जाय।

श्री गेंदासिंह---क्या राज्य सरकार भारत सरकार को सिफारिश करेगी कि वह इसे अपनी योजना में शामिल कर ले ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—राज्य सरकार अधिक से अधिक पैसा भारत सरकार से लेने की कोशिश करती है ।

श्री गेंदासिंह—क्या राज्य सरकार इस योजना को भारत सरकार के सामने रखने की कृपा करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—उत्तर दिया है कि कोशिश करेगी ।

श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार की कोई ऐसी योजना भी है कि जिस इलाके के लोग गरीबी के कारण २५ प्रतिशत नहीं दे सकें उनके लिये पानी का कोई प्रबन्ध होगा या वे प्यासे ही मरेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी इतने लोग प्यासे हैं कि यदि २५ परसेंट देकर ही हम बनवा दें तो अपने को धन्य समझेंगे ।

फर्रुखाबाद जिले में हरिजन कूपों का निर्माण

*५५—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फर्रुखाबाद जिले में पानी पीने के कितने ऐसे कुएं बने हैं जिन्हें सरकारी अनुदान मिला है ? उनमें हरिजनों के कितने हैं ?

श्री जयराम वर्मा—द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में जो अनुदान पानी पीने के कुओं के लिये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, फर्रुखाबाद द्वारा दिये गये हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कुएं जिनको अनुदान मिले	
	कुल संख्या	उनमें हरिजनों के कुओं की संख्या
१९५६–५७	५९	..
१९५७–५८	९२	८
१९५८–५९	१६६	२६
१९५९–६०	१६८	३१

इसके अतिरिक्त ब्लाक के बजट से भी इस आशय से अनुदान दिये जाते हैं जिनके बारे में सूचना एकत्र नहीं हो पाई है और की जा रही है ।

नेवादा गोपालपुर नामक कथित ग्राम सभा का प्रस्ताव

*५६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा, नेवादा गोपालपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ ने २२–११–१९५६ तथा १२–१०–१९५७ को सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत करके गांव सभा, लौवासाथ कल्यानपुर से गोपपुर एवं जुठ्ढ़ीपुर को निकाल कर नेवादा गोपालपुर में शामिल करने के लिये जिला अधिकारियों के पास भेजा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं ।

*५७--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि गोपपुर एवं जुठ्ढ़ीपुर गांवों की अधिकांश भूमि नेवादा गोपालपुर के किसान के ही कब्जे में है ?

श्री जयराम वर्मा--जी हां ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या किसी अन्य तिथि को प्रस्ताव जिलाधीश के पास आया है ?

श्री जयराम वर्मा--जिस नाम की गांव सभा की वह बात करते हैं उस नाम की कोई गांव सभा नहीं है । एक दूसरी गांव सभा का प्रस्ताव आया है ।

आजमगढ़ जिले में कुछ गांवों को टाउन एरिया में परिणत करने की जानकारी

*५८--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी दुवारी, जिला आजमगढ़ तथा बिल्थरा रोड, जिला बलिया के गांवों को टाउन एरिया कर देने की योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त गांवों की आबादी क्या है ?

श्री जयराम वर्मा--(क) जी नहीं ।

(ख) इनके अधिक क्षेत्र टाउन एरिया में परिवर्तित करने योग्य नहीं हैं और कुछ की जनता ऐसे परिवर्तन के विरुद्ध है ।

(ग)

ग्राम	आबादी
घोसी	१,२९८
दुवारी	७,७६६
सीयर	२,४३४
बिलथरा रोड बिठुआ	९९७

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव सभाओं ने कोई प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा है कि वे टाउन एरिया के रूप में परिवर्तित नहीं होना चाहते हैं ?

श्री जयराम वर्मा--जो हां, बिल्थरा रोड में बिठुआ गांव का प्रस्ताव आया है कि वे टाउन एरिया में शामिल होना नहीं चाहते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या बिठुआ गांव के अलावा और किसी गांव सभा का ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है ?

श्री जयराम वर्मा--दूसरी ने टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव पास किया है ।

क्षतिग्रस्त सड़कों व भवनों के लिए आजमगढ़ अन्तरिम जिला परिषद् को अनुदान

*५९--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ अन्तरिम जिला परिषद् को वित्तीय वर्ष १९५३-५४ से वित्तीय वर्ष १९५८-५९ तक क्षतिग्रस्त बाढ़-पीड़ित क्षेत्र की सड़कों एवं भवनों की मरम्मत के लिये अलग-अलग वर्षों में कितना-कितना अनुदान दिया गया है तथा उसका उपयोग किन-किन वर्षों में किन-किन सड़कों तथा किन-किन भवनों की मरम्मत में कितना-कितना रुपया हुआ है ?

श्री जयराम वर्मा--अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ को वित्तीय वर्ष १९५३-५४ से वित्तीय वर्ष १९५८-५९ तक बाढ़ तथा वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं भवनों की मरम्मत के लिये निम्नलिखित अनुदान स्वीकार किया गया :

	रु०
(१) १९५४-५५	७५,०००
(२) १९५५-५६	३,००,०००
(३) १९५७-५८	५१,४००

उपर्युक्त अनुदानों के उपयोग से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक सूचना न एकत्र होने के कारण क्या हैं ?

श्री जयराम वर्मा--यह बड़े विस्तार का प्रश्न था इसलिये देर लगी ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--किन-किन सड़कों की मरम्मत के लिये उस अनुदान का इस्तेमाल किया गया है, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा--यही सूचना तो अभी तक नहीं आ पाई है ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १२ फरवरी, १९६० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १७ फरवरी, १९६० की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की स्वीकृति २७ फरवरी, १९६० को प्राप्त हो गई और वह १९६० का कुवां अधिनियम बन गया ।

खीरी जिले में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--मेरे पास माननीय बंशीधर शुक्ल ने एक कामरोको प्रस्ताव की सूचना दी है कि जिला खीरी में सात महीने से पानी नहीं बरसा है, फसल चौपट हो गई है तथा तेज हवा चलने से भी फसल सूख गई है और लगान की वसूली हो रही है, इसलिये इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन विचार करे । यह साधारण प्रशासन से सम्बन्धित है और इस समय इसकी कोई अर्जेंसी भी नहीं है । इसलिये मैं इसकी स्वीकृति नहीं देता हूं ।

पाठ्य पुस्तक "विश्वक्रान्ति की लहरें" में कथित आपत्तिजनक अंश छपने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष--मेरे पास कई प्रश्न नियम ५२ के अन्तर्गत भी आये हैं जिनमें से एक प्रश्न, जो श्री राजनारायण जी का है, उसको मैं महत्वपूर्ण समझता हूं और उसकी इजाजत देता हूं, जो इस प्रकार है :

"श्री कृष्ण प्रसाद गौड़ एम० एल० सी० द्वारा लिखित 'विश्वक्रान्ति की लहरें' नामक पुस्तक कक्षा ९ में विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है । इस पुस्तिका के अध्याय ४ में 'मुहम्मद और इस्लाम' शीर्षक का एक पाठ है । उसमें मुहम्मद साहब तथा इस्लाम के सम्बन्ध में जो बातें लिखी गई हैं उनसे मुसलमानों की भावनाओं को आघात पहुंचा है । इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री श्री कमलापति

त्रिपाठी को एक पत्र भी श्री इकबाल सिद्दीकी की ओर से दिया गया था । मैंने भी शिक्षा मंत्री से इस सम्बन्ध में निवेदन किया था कि आवश्यक कार्यवाही की जावे, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई आवश्यक कार्यवाही न होने के कारण मुसलमानों में असन्तोष बढ़ता जा रहा है ।

अतः सरकार का ध्यान नियम ५२ के अन्तर्गत खींच कर जानना चाहता हूं कि सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?"

माननीय गृह मंत्री जी के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना हो तो दे दें या इसके लिये समय लें ।

*गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---श्रीमन्, यह सही है कि मेरे पास एक पत्र इकबाल सिद्दीकी साहब का आया था तथा साथ में उस पुस्तक की एक कापी भी आई थी । माननीय राजनारायण जी ने भी इस सम्बन्ध में मुझसे कहा था, तो मैंने इसकी छानबीन कुछ की । यह सप्लीमेंटरी रीडर है जिसका नाम है "विश्व क्रान्ति की लहरें" । यह दर्जा ९ और १० की किताब है, दर्जा ७, ८ की नहीं है । दर्जा ९ और १० में हिन्दी भाषा में सप्लीमेंटरी के रूप में यह स्वीकृत है और इस पुस्तक के १९५६ के संस्करण में यह अध्याय ४ है "मुहम्मद और इस्लाम"। जब यह पुस्तक अगस्त, सन् १९५६ में निकली उसी समय सन् ५६ में ही शासन को यह सूचना मिली कि इसमें कुछ ऐसे वाक्य हैं और ऐसे भाव व्यक्त किये गये हैं इस्लाम के सम्बन्ध में जिससे इस्लाम धर्मावलम्बी भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है । इसकी काफी जांच पड़ताल हुई और इंटरमीडियेट बोर्ड के अध्यक्ष को यह आदेश भेजा गया कि यह पुस्तक पाठ्यक्रम से निकाल दी जाय । दर्जा ९ और १० के जो रीडर्स होती हैं, चाहे सप्लीमेंटरी रीडर्स हों, चाहे टेक्स्ट बुक्स हों, इंटरमीडिएट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक कमेटी होती है, उसके द्वारा ही उनका चयन और निर्धारण होता है । तो यह निश्चय किया गया कि अध्यक्ष, इंटरमीडिएट बोर्ड को यह लिख दिया जाय कि वे इस पुस्तक को पाठ्यक्रम से निकाल दें और यदि इसको रखना ही चाहते हैं तो उस अंश का संशोधन करें जो कि अध्याय ४ में है। लिहाजा इस प्रकार का आदेश ५ दिसम्बर, १९५६ को इंटरमीडिएट बोर्ड को भेज दिया गया कि वह इस पर तुरन्त कार्यवाही करें। उन्होंने २८-१-५७ को यह आदेश दिया कि यह पुस्तक पाठ्यक्रम से हटा दी जाय और उन्होंने यह भी आदेश दिया कि इस पुस्तक के लेखक यदि इसके आपत्तिजनक अंश को हटा दें और पुनः इस पुस्तक को सबमिट करेंगे तो उस पर जैसा उचित होगा निर्णय लिया जायगा । पुस्तक के लेखक ने इस पुस्तक का संशोधन किया । उन्होंने जिस चौथे अध्याय के विषय में आपत्ति की थी उसको बदलकर उन्होंने अपनी पुस्तक फिर सबमिट की। बोर्ड ने यह देख कर कि आपत्तिजनक अंश का संशोधन हो गया है, १९५९ की परीक्षा के लिये संशोधित पुस्तक को पुनः स्वीकार कर लिया। उसके बाद सन् १९६० में फिर मेरे सामने यह बात आई कि वह पुस्तक बिक रही है, तो मैं ने फिर इस की जांच की । मेरे पास जो रिपोर्ट है वह यह है कि जो इस पुस्तक के प्रकाशक रहे हैं उनको यह आदेश दिया गया था सन् १९५६ में कि यदि विक्रेताओं के पास यह पुस्तक बिक रही है तो वे सारी पुस्तकें वापस ले ली जायं और जो उसका नया संस्करण निकला है जब वह आया तो पुरानी पुस्तकें वापस ले ली गई और नया संस्करण उसके स्थान पर दे दिया गया। इस तरह से अब वह पुस्तक बिक नहीं रही है और बिकनी भी नहीं चाहिये। अब यह पता चला कि सन् १९५९ में भी एक बार यह शिकायत हुई कि कुछ जिलों में मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ और बुलन्दशहर वगैरह में अब तक पुरानी सन् १९५६ की प्रति बिक रही है । फिर यह शिकायत इन्टरमीडियेट बोर्ड के सामने पहुंची, उनकी समिति ने उस पर फिर इन चारों जिलों से रिपोर्ट मंगाई और वह इस निर्णय पर पहुंचे कि कोई प्रति अब नहीं बिक रही है और कदाचित् यह वही पुरानी प्रति सिद्दीकी साहब को मिली जिन्होंने उसे मेरे पास भेजा, वही प्रति जो असंशोधित थी और जिसे बोर्ड ने सन् १९५७ में पाठ्य-क्रम से निकाल दिया था। यह स्थिति है, फिर भी शासन ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

निश्चय किया है कि इन्टरमीडिएट बोर्ड को लिखा जाय । टेक्स्ट बुक कमेटी को अधिकार तो है ही कि वह टेक्स्ट बुक या सप्लीमेंटरी रीडर का चयन करे, लेकिन वहां स्क्रूटिनी का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये और इस प्रकार के उदाहरण भविष्य में न होने चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---यह काफी पुराना मामला है, ताज्जुब है माननीय राजनारायण जी को अब पता चला ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---उसी पर आ रहा हूं । क्या सरकार को मालूम है कि "विश्वक्रान्ति की लहरें" नाम की पुस्तक तीन ढंग की छपी हैं और तीन प्रकार की पुस्तकें बाजार में बिक रही हैं ? उनका नाम एक ही है, प्रकाशक भी वही है और लेखक भी वही, श्री कृष्णप्रसाद गौड़, बनारस के एम० एल० सी० हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मैंने निवेदन किया, दो तो हैं ही, लेकिन बिकती अब एक ही है संशोधित वाली। सन् १९५६ में जब यह पुस्तक निकली तो उस में कुछ आपत्तिजनक अंश था, उनको निकालने के लिये लेखक ने सहमति प्रदान की और उसको निकाल दिया । उसके बाद से जो पुस्तक बिक रही है वह उसका संशोधित संस्करण ही बिक रहा है । पाठ्य-क्रम से पुरानी पुस्तक निकाल दी गई है, अब संशोधित पुस्तक ही बिक रही है, पुरानी पुस्तक के बिकने का प्रश्न नहीं है । तो एक संस्करण पुराना था फिर दूसरा संशोधित निकला, लेकिन तीसरा संस्करण कौन सा था उस का मुझे पता नहीं । सिद्दीकी साहब ने जो भेजा था एक वह था और वह सन् १९५७ से बन्द है ।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मंत्री जी ने जो संशोधित पाठ्य-क्रम सन् १९५९ में प्रकाशित हुआ है उसकी कोई प्रति देखने की कृपा की है ? यदि हां, तो जो आपत्तिजनक अंश था उसे कैसे परिवर्तित किया गया है इसको भी देखने की कृपा उन्होंने की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, यह तो हमारे माननीय राजनारायण जी ने बिलकुल नया प्रश्न उठाया कि सन् १९५९ में कोई प्रकाशित हुई है । सन् १९५६ में यह पुस्तिका प्रकाशित हुई थी । इसका संशोधन सन् १९५७ में कर दिया और १९५७ में मंजूर किया गया कि सन् १९५९ की परीक्षा में आएगी । जो पुस्तिका सन् १९५७ में मंजूर करेंगे वह १९५९ में आएगी । यह जो संस्करण है उसमें पुराने संस्करण में से ही पुराना अध्याय निकाल कर नया जोड़ा है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या मंत्री जी ने इस बात की जांच कराई है कि प्रकाशक को जो यह आदेश दिया गया कि वह अपनी पुस्तकों को विक्रेताओं के पास से वापस ले लें, उस आदेश का पूरा पालन किया गया और क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में शिकायतें आई हैं कि उस आदेश का पालन नहीं किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, यह शिकायत नहीं आई है कि आदेश का पालन नहीं किया गया । जो सिद्दीकी साहब का पत्र है उसमें सन् १९५६ का वह आपत्तिजनक अध्याय सहित वाला संस्करण है उसकी प्रति है---और लिखा है कि इस तरह की चीजें निकलती हैं तो इससे लोगों को ठेस पहुंचती है और इस सम्बन्ध में सरकार कार्यवाही करे ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---ऐसे कौन से विशेष कारण थे जिनकी वजह से कि एक व्यक्ति जिसने किसी के मजहबी जज्बात, रसूल और पैगम्बर पर चोट पहुंचाई हो, उस पर कोई ऐक्शन न लेकर फिर उसे पुरस्कृत किया गया कि किताब को संशोधित कर दो और फिर से कोर्स में रख दी जाएगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐक्शन लेने का तो प्रश्न उठता नहीं । मान्यवर, वह रीडर थी, उसमें कुछ बातें लिखी गई थीं जिनसे प्रतीत हो रहा था कि लोगों को ठेस पहुंच सकती है । वह अंश पूरा का पूरा बदल दिया गया और वह रीडर पाठ्य-क्रम में मौजूद है ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या मंत्री जी को यह भी सूचना है कि उसमें न केवल एक अध्याय में ये बाते हैं बल्कि इसाई मतावलम्बियों के सम्बन्ध में जो लिखा है उसमें भी आपत्तिजनक अंश हैं और क्या मेरी इस बात को सूचना मान कर मंत्री जी किसी उपयुक्त व्यक्ति द्वारा इस बात का निर्णय करायेंगे कि कहां-कहां पर आपत्तिजनक बातें हैं और उनकी सफाई करायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह काम तो शासन का है नहीं। दर्जा ९, १०, ११ तथा १२ की रीडर्स इंटरमीडिएट बोर्ड से चुनी जाती हैं और निर्धारित की जाती हैं, चाहे सप्लीमेन्टरी हों या टैक्स्ट बुक हों। इसके पहले तो शासन की रहती हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड को लिखा जा रहा है कि ऐसी रीडर्स की स्क्रूटिनी किया करें जिससे कि कभी किसी को कहने का मौका न मिले और किसी की भावना को चोट न पहुंचे।

श्री राजनारायण--जो-जो आपत्तिजनक अंश हैं अभी जो रिवाइज्ड एडीशन हुआ है उसमें वह पूरे नहीं निकल पाये हैं, तो क्या इसकी जांच का प्रयत्न सरकार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, मैंने निवेदन किया कि यह इंटरमीडिएट बोर्ड को हम लिख रहे हैं कि इस प्रकार की रीडर में पूरी जांच करें और जो भी अंश ऐसे हों जिनसे दूर से भी किसी की भावना को ठेस पहुंच सकती है उनको निकाल दिया जाय।

श्री राजनारायण--यह किताब है, इसमें सन् नहीं है, इसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष--आप एक पत्र के साथ इसे माननीय मंत्री जी को भेज दीजियेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी--जैसे सिद्दीकी साहब ने भेज दी थी, आप भी भेज दें, मैं देख लूंगा।

हरगांव, जिला सीतापुर में आयोजित सोशलिस्ट पार्टी की सभा में पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप से उत्पन्न परिस्थिति सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष--माननीय गृह मंत्री जी, कल जो राजनारायण जी का नियम ५२ का प्रश्न था उसके बारे में सूचना प्राप्त हो गई या नहीं ?

***गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)**--जी हां। यह सूचना प्राप्त हुई है। मान्यवर, श्री राजनारायण जी ने नोटिस भेजा था कि कोई एस० डी० एम० साहब मीटिंग में जब राजनारायण जी का भाषण होने वाला था, जा करके चौकी पर बैठे थे और कहने के बाद भी हटे नहीं और यह भी शिकायत की थी कि वह लोगों को आने से रोक रहे थे। पुलिस के द्वारा भी और शायद एस० डी० एम० के संकेत पर ही लोग रोके जा रहे थे। तो मैंने कलेक्टर से डिटेल्ड रिपोर्ट मंगाई थी, वैसे थोड़ी बहुत सूचना तो मुझे कल मिल गई थी लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं था। तो मैंने कहा कि पूरी जांच पड़ताल करके डिटेल्ड रिपोर्ट भेजें ताकि यहां उसका समुचित उत्तर दिया जा सके। उन्होंने रिपोर्ट भेज दी है जो इस प्रकार है:

सेटिलमेंट आफिसर (चकबन्दी) जो एस० डी० एम० भी हैं, वह २८ तारीख को वापस लौट रहे थे हरगांव। तो जब वह १ बजे हरगांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो वहां की चीनी मिल है उसके गेट के सामने सड़क पर एक पब्लिक मीटिंग हो रही है और सोशलिस्ट पार्टी की ओर से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

हो रही है। एस० डी० एम० ने अपनी जीप रोकी ३०, ४० गज दूर इस मीटिंग से और अपनी गाड़ी से उतर करके नजदीक आये और एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो गये और सुनने लगे कि क्या भाषण हो रहे है। डाक्टर अवधेश सिनहा साहब माईक पर खड़े थे और उन्हों ने एलान किया कि एस० डी०एम० साहब आगये हैं और तुम लोगों को अगर कोई शिकायत करना हो तो कर दो। माननीय मूलचन्द जो एम० एल० ए० भी वहां थे और उन्होंने एस० डी० एम० से जो नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे कहा कि डाईस पर बैठ जायें। रिपोर्ट में तो यह कहा गया है कि उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, यहां खड़ा हूं अच्छी तरह से। तो उन्होंने कहा कि नहीं बैठ जायें, खड़े कब तक रहेंगे। लिहाजा वह डायस पर एक कोने में बैठ गये और भाषण शुरू हुआ और इस भाषण में कुछ पुलिस की चर्चा शुरू हुई। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद एस० डी० एम० को जब यह पता चला कि माननीय राजनारायण जी का भाषण होने वाला है और कोई हड़ताल कराने के लिये यह जमाव नहीं है, वह वहां से अपनी जीप पर बैठ कर चले गये। एस० डी० एम० का कहना है कि कोई पुलिस पारटेड नहीं थी, न पुलिस बुलायी, न किसी से यह कहा कि मीटिंग में न आओ, न आदेश दिया कि मीटिंग में लोगों को आने से रोको। उस समय श्री राजनारायण जी वहां पहुंचे नहीं थे और शायद एस० डी० एम० के चले जाने के बाद माननीय राजनारायण जी वहां पहुंचे हों। यही हमारे पास रिपोर्ट है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन, मेरी वाणी असमर्थ हो रही है....

श्री उपाध्यक्ष---आप प्रश्न पूछिये, भाषण न कीजिये।

श्री राजनारायण---मैं थोड़ी आपकी सहायता चाहता हूं, मुझको आप सिखावें कि मैं क्या प्रश्न करूं।

श्री उपाध्यक्ष---इस तरह भाषण देने की गुंजाइश नहीं है।

श्री राजनारायण---भाषण क्या दूं मैं आपसे सही कहता हूं कि मेरी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है और मैं समझ रहा हूं कि अब यह प्रदेश हमारा बचेगा नहीं....

श्री उपाध्यक्ष---आपने फिर भाषण शुरू कर दिया।

श्री राजनारायण---तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब मेरा भाषण होने वाला था तो एस० डी० एम० साहब ने हमारे ऊपर इतनी कृपा क्यों नहीं की कि हमारे भाषण को सुन लेते? भाषण मेरा होने वाला था। अगर भाषण सुनने में उनको कुछ रस था तो हमारा भाषण सुनने के लिये क्यों नहीं बैठे?

श्री उपाध्यक्ष---इसका मतलब तो यह हुआ कि एस० डी० एम० से फिर रिपोर्ट मंगायी जाय।

श्री राजनारायण---तो मैं कह दूं कि यह जो रिपोर्ट आयी है यह बिलकुल असत्य है, भ्रामक है। अब उस सम्बन्ध में मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---माननीय मंत्री भविष्य में क्या इस प्रकार का आदेश देने की कृपा करेंगे कि सोशलिस्ट पार्टी अफसरों को बुला कर अपने प्रभाव को इस प्रकार से बढ़ाया करती है तो वे उनकी मीटिंग्स में न जाया करें?

(हंसी---उत्तर नहीं दिया गया)

"भारत चीन सम्बन्ध' पुस्तिका की प्रतियों के वितरण पर आपत्ति का स्पष्टीकरण

श्री उपाध्यक्ष—माननीय राजनारायण जी ने कल एक प्रश्न उठाया था जबकि एक पुस्तिका की कुछ प्रतियां माननीय जवाहरलाल जी के भाषण की, उनके सदस्यों की प्रमुख पंक्ति में रख दी गयी थी । मैंने कहा था कि उन्हीं लोगों की हिदायत है हमारे सेक्रेटेरिएट को जिसके अनुसार जो सूचना हो या जो साहित्य हो, वह रख दिया जाया करे । इस सम्बन्ध में माननीय रामस्वरूप वर्मा जी का जो पत्र है उसे मैं पढ़ देना चाहता हूं—"सदन में जो साहित्य सदस्यों को बांटा जाता है और हमारी पार्टी के सदस्यों की बेंचों पर मेज न होने के कारण जिन १८ साथियों को साहित्य नहीं मिल पाता है उस सम्बन्ध में आपको दो बार लिख चुका हूं कि आप उनके लिये साहित्य मेरी पार्टी के कमरे में भेज दिया करें, परन्तु अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और हमारी पार्टी के सदस्य वंचित रहे ।

मैं आशा करता हूं कि आप सब साहित्य, जो १९ जुलाई से आज तक बांटा गया है, शीघ्र हमारी पार्टी के कमरे में भिजवाने का कष्ट करेंगे ।" तो इस हिदायत के मुताबिक कार्यवाही की गयी । कल माननीय राजनारायण जी ने इन्कार कर दिया कि ऐसी हिदायत उनकी पार्टी की तरफ से कोई नहीं दी गयी थी । मैं समझता हूं कि माननीय राजनारायण जी रोज कहते रहते हैं कि गलतबयानियां होती हैं, तो वे इस पर प्रकाश डालेंगे ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूं कि रामस्वरूप वर्मा जी ने जो पत्र लिखा है उनकी शिकायत बजा थी ।

श्री उपाध्यक्ष—आपने यह कैसे कहा कि ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गयी थी ।

श्री राजनारायण—रामस्वरूप वर्मा जी ने जो लिखा है वह सही लिखा है उन पत्रों के बारे में, उन्होंने लिखा है जो सरकारी पत्र हों, जिन पर सदन में विचार कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—साहित्य के बारे में लिखा है ।

श्री राजनारायण—वह हमारे सदन का साहित्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—दूसरा प्रश्न जो यह था कि टेबिल पर क्यों रख दिया गया, तो यह आपको मालूम होना चाहिये कि जो माननीय सदस्यों की टेबिल है, सदन की टेबिल नहीं है । यह एक मुहावरा है, केवल सेक्रेटरी की टेबिल से उसका तात्पर्य होता है । आपको बेंचेज पर या आपके पिजन होल्स में व्यवस्था कर दी जाती है । वह माननीय सदस्यों की सविधा के लिये किया जाता है ।

श्री राजनारायण—कल गलतबयानी कैसे हो गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—पहले आप यह बतलायें ....

श्री राजनारायण—मैं राजनारायण हूं, मैं रामनारायण त्रिपाठी नहीं हो सकता। आपकी जीभ में अपने मुंह में कैसे रख दूं ?

श्री उपाध्यक्ष—पहले यह बतलाइये कि यह गलत है । हमारे पास से कोई हिदायत नहीं है, यह कैसे कहा, इसके बारे में आप पहले बतलाइये।

श्री राजनारायण—मैंने जो कल कहा है उसकी प्रोसीडिंग पढ़ दीजिये कि आपने क्या कहा था और मैंने क्या कहा था। कल की प्रोसीडिंग पढ़ी जाय तो मैं पहले उत्तर दूंगा। मैं स्मरण शक्ति के आधार पर कुछ नहीं कह सकता।

जिला परिषद् विधेयक की वापसी क संबंध में पूछताछ

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एक सूचना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—किस सम्बन्ध में सूचना है ?

श्री प्रतापसिंह—एक समाचार छपा है जिसका सम्बन्ध सीधा सरकार से है कि जिला परिषद् विधेयक वापस लिया जायगा। अगर यह सच है तो स्वायत्त शासन मंत्री स्पष्ट कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—यह किस समाचार-पत्र में छपा है ?

श्री प्रतापसिंह—नेशनल हेराल्ड में, इसका सम्बन्ध ४ करोड़ जनता से है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इसकी सत्यता क्या है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सदन में इस सम्बन्ध में कहा था उससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री प्रतापसिंह—यह बतला दीजिये कि यह वापस लिया जायगा या नहीं ?

*मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मुझे अफसोस है कि कुछ माननीय सदस्यों ने जो कुछ मैंने निवेदन किया था उसको नहीं सुना। मैंने उस दिन जवाब देते वक्त अपने भाषण में यह कहा था कि हमने जो बिल बनाया है उसमें जिला परिषदों को पूरा अधिकार है और ब्लाक कमेटियों को अधिकार कम दिये हैं। लेकिन मैंने देखा कि बजट पर स्पीच देते वक्त, सामान्य विवाद और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में भी कई माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि ब्लाक कमेटियों को अधिक अधिकार देने चाहिये तो मैंने यह निवेदन किया कि मैं इस मामले में कुछ जिद्द नहीं करना चाहता, यदि मैं देखूंगा कि अधिकांश सदस्यों की यही राय है कि ब्लाक कमेटियों को अधिक अधिकार दिये जायं तो यद्यपि हमने एक बिल पेश किया, उसको बहुत आगे तक ले गये हैं, फिर भी माननीय सदस्यों की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेंगे। केवल यही मैंने कहा था।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अब आप तैयार हो गये उसको वापस लेने के लिये ?

श्री उपाध्यक्ष—अभी ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि अन्तिम उत्तर दे सकें, बताया तो उन्होंने।

१९६०-६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक : ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—मैं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान—लेखा शीर्षक: ५७—प्रकीर्ण के अन्तर्गत २,५२,३०,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, पिछले साल इस विभाग की धनराशि कुल १,५१,३९,४०० रुपये थी। इस वर्ष एक करोड़ से ज्यादा की रकम उसमें बढ़ा दी गयी है और इस ढाई करोड़ में से सब से बड़ी रकम हम शिक्षा पर व्यय करना चाहते हैं और वह रकम १,३५,००,००० रुपये की है। इसमें से ४०,५०,००० रुपये हमें भारत सरकार से मिले हैं और वह १०वें दर्जे से ऊपर जितने हरिजन विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति के रूप में दिये जाने हैं। बाकी रकम शिक्षा के भिन्न-भिन्न मदों में व्यय की गयी है। दूसरी बड़ी रकम ८५,८९,००० रुपये की है जोकि विमुक्त जातियों के आवास के लिये, मेहतरों की तरक्की और छुआछूत को समाप्त करने के लिये रखी जा रही है। इन दो रकमों के अलावा कुल २०-२५ लाख रुपये की रकम बचती है जो कि भिन्न-भिन्न योजनाओं में हम व्यय करेंगे।

मैं चाहता था कि इस पर विस्तार से कुछ कहूं लेकिन सोचता यह हूं कि इस पर विवाद हो जाय और उसके बाद कुछ कहा जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है। 'बैकवर्ड कमीशन की रपट को लागू करने की मांग करना।'

यों तो जब मैं समस्त विरोधी दलों की ओर से इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहा हूं तो जितने सम्मानित सदस्यों के प्रस्ताव ह सभी के प्रस्ताव हमारे हो गये। इस सम्बन्ध में मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि जितने लोगों के कटौती के प्रस्ताव हैं सब को एजेन्डा में होना चाहिये क्योंकि उनमें बहुत अच्छी-अच्छी बातें होती हैं। पहले ऐसा होता रहा, अब की बार हमने नवीन प्रणाली देखी ....

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन आज तो है।

श्री राजनारायण—हां, आज तो है। मूवर के साथ ऐसा न हो इसलिये मैंने निवेदन कर दिया।

जो अनुदान हमारे सामने प्रस्तुत है, यह पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये है। इन्हीं पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये एक बैकवर्ड कमीशन की नियुक्ति की गयी थी। इस कमीशन की नियुक्ति २९ जनवरी, १९५३ को हुई थी और उसका उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय ने १८ मार्च, १९५३ को किया था और ३० मार्च, १९५५ को इसने अपनी रपट केन्द्रीय सरकार के सामने प्रस्तुत कर दी थी। इस रपट में, अगर अच्छी तरह अध्ययन किया जायगा, तो कुछ इस प्रकार के सुझाव दिये गये हैं जिनको कार्यान्वित करना केन्द्रीय सरकार का भी कर्तव्य होना चाहिये और प्रदेशीय सरकार का भी कर्तव्य होना चाहिये। ऐसा कहीं भी नहीं है कि अगर केन्द्रीय सरकार उपेक्षा की नीति बरते और प्रान्तीय सरकार सचेष्ट हो तो वह भी उसको लागू न करे।

अब मैं थोड़े में ही, ज्यादा ब्यौरे मे न जाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट के पहले भाग के पृष्ठ १४० को देखा जाय तो उसमें बैकवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिये सरकारी नौकरियों में क्या प्रतिशत रखा जाय इसके सम्बन्ध में संकेत किया गया है। क्लास फर्स्ट के लिये २५ प्रतिशत, सेकेन्ड के लिये ३३ १/३ प्रतिशत तथा तीसरी और चौथी के लिये ४० प्रतिशत। श्रीमन्, मैं यह जाना चाहता हूं कि यह जो अनुदान माननीय शिक्षा मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं तो जो बैकवर्ड कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सरकार की ओर से इधर कुछ कार्य हुआ है? जहां तक मैं देखता हूं वह यह है कि बैकवर्ड कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको सरकार की ओर से एक प्रकार से ठुकराया गया है और उसके मुताबिक कार्य करने के लिये सरकार सचेत नहीं हुई है।

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्, उदाहरण के लिये मुझे बहुत ब्योरे में जाना पड़ेगा। इसलिये मैं अन्य विभागों में न जाकर उन्हीं विभागों को उदाहरण रखना चाहूंगा जो माननीय शिक्षा मंत्री जी के अन्तर्गत हैं। मैं आपके द्वारा चाहूंगा कि इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्य देखें कि आज जो पिछड़ी जातियों और हरिजनों के उत्थान के लिये एक कमीशन बिठाया गया था, उसके ऊपर काफी रुपया खर्च किया गया है। काका कालेलकर तथा बड़े-बड़े सम्मानित और विशिष्ट विद्वान इसके सदस्य रहे हैं और सारे देश में इस कमीशन का भ्रमण हुआ और जो तथ्य और आंकड़े इसने संकलित किये और उसके मुताबिक अपनी रिपोर्ट बनाई, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो अपने को समाजवादी सरकार कहने से नहीं हिचकती है, उसके पास जिह्वा है जो चाहे कहे, लेकिन उसने इसको ठुकरा दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग जो माननीय मंत्री जी के अन्तर्गत ह उनमें पिछड़ी जाति तथा हरिजनों की कितनी दुर्दशा है, इसको माननीय सदस्य देखें। ३१ जुलाई, १९५९ तक जो आंकड़े हमें मिल सके हैं, उसके मुताबिक मैं कह रहा हूं कि ४७,४१६ सिपाही पुलिस विभाग में है इसमें १८ प्रतिशत के अनुसार यदि हरिजनों के लिये देखा जाय तो इनकी संख्या ८,५३३ होनी चाहिये थी, लेकिन कुल १,३७२ हरिजन रखे गये हैं। इसी तरह से ८,२५८ हेड कांस्टेबिल हैं और १८ प्रतिशत के अनुसार उनकी संख्या १,४८७ होनी चाहिये मगर मुश्किल से ९८ हैं। ३,२०९ छोटे दारोगा हैं और अनुपात के अनुसार ५८७ होने चाहिये, लेकिन कुल १११ हैं। ४२२ इंस्पेक्टर हैं, इसमें हरिजन शून्य हैं। २८५ उप-अधीक्षक पुलिस के ह, इनमें हरिजनों की तादाद १२ है, और २३ सहायक पुलिस अधीक्षक हैं, इनमें हरिजन २ हैं और ९६ अधीक्षक हैं, इनमें हरिजन केवल एक है। यह हमने तादाद दे दी मगर मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बेचारा हरिजन एस० पी० है उसकी कितनी दुर्दशा है। श्रीमन्, वह कई बार इनाम पा चुका है, पुरस्कृत हो चुका है और जहां तक मेरी जानकारी है उसकी एक भी शिकायत नहीं है, फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि उसको कोई बड़ा जिला दिया गया ? नहीं दिया गया, होगा वह कहीं झांसी तथा उरई जैसे किसी छोटे जिले में। मैं जानना चाहता हूं कि यह सरकार जो हरिजन उत्थान की बात करती है वह इसके मुताबिक कहां साबित होती है ? इसके अलावा सर्विसेज में जो १८ प्रतिशत की बात है उसमें यह सरकार कितनी पीछे है, इसको सदन के सम्मानित सदस्य देखें और खासतौर से सरकारी पक्ष के लोग देखें और इसको परखें।

श्रीमन्, अब मैं शिक्षा विभाग पर आ जाना चाहता हूं क्योंकि यह भी उन्हीं के हाथ में है जिनके हाथ में पिछड़ी जातियों तथा अनुसूचित जातियों का भाग्य पड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग में श्रीमन्, डिप्टी डाइरेक्टर शिक्षा, फर्स्ट, सेकेंड शून्य, थर्ड में चार और फोर्थ ग्रेड में शून्य। कुल हैं १६६, उसमें तीसरे दर्जे में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ४ को स्थान देते हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स इनके विभाग में कुल २५८, इनमें पहले ग्रेड में शून्य, दूसरे में शून्य, तीसरे में और चौथे में मुश्किल से १०। यह तो शिक्षा विभाग का मामला है। माननीय मंत्री जी जरा देखें स्वतः, अपने हृदय में मन्थन करें और मस्तिष्क को टटोलें कि किस प्रकार से पिछड़े वर्ग के लोगों और हरिजनों के उत्थान के लिये वह दत्तचित हैं और इसी के साथ-साथ हमारे कुछ सम्मानित सदस्य इस बात को भी देखना चाहेंगे कि यह तो माननीय कमलापति जी के विभाग से सम्बन्धित बातें मैंने कह दीं तो उनके दिमाग में होगा कि शायद ऐसे विभाग जिनके मन्त्री आज हरिजन हैं उनमें हरिजनों का भाग्य शायद उदय हो गया होगा। इसलिये आवश्यकता होती है कि ऐसे विभागों में हरिजनों का क्या प्रतिशत है उसको भी मैं आपकी आज्ञा से सदन के सम्मानित सदस्यों की सेवा में निवेदन कर दूं ताकि लोग यह न समझें कि कांग्रेस पार्टी के एक हरिजन मंत्री और एक वशिष्ठी ब्राह्मण मंत्री की कार्य-प्रणाली में कोई फर्क है। आज माननीय डाक्टर सीताराम जी यहां पर नहीं हैं। मैंने उनको एक पत्र में लिखा था कि एक वशिष्ठी ब्राह्मण कांग्रेसी मंत्री और एक कांग्रेसी हरिजन मन्त्री की कार्य-प्रणाली में फर्क तनिक भी नहीं

हुआ है। ट्रांसपोर्ट विभाग को देखा जाय--टेक्निकल इंस्पेक्टर कुल ४, हरिजन उसमें निल । रीजनल इंस्पेक्टर कुल १० उसमें हरिजन निल । असिस्टेंट रीजनल इंस्पेक्टर १० उसमें हरिजन निल । असिस्टेंट पब्लिक प्रासिक्यूटर १० उसमें हरिजन निल । ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट २९, उसमें हरिजन निल। सीनियर फोरमैन, उसमें हरिजन निल। स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट, उसमें हरिजन निल। मिनिस्टीरियल स्टाफ में देखा जाय--अपर डिवीजन क्लर्क कुल ३१, उसमें हरिजन निल। लोअर डिवीजन क्लर्क कुल ५३ उसमें हरिजन निल। सीनियर एकाउन्टेन्ट कुल ४, उसमें हरिजन निल। जूनियर एकाउन्टेन्ट ४, उसमें हरिजन निल। यह ट्रांसपोर्ट विभाग की रिपोर्ट है।

अब जरा देखा जाय माननीय गिरधारी लाल जी के विभाग को । सिंचाई विभाग जिसका जाल चारों तरफ फैला हुआ है और जिसके लिये कल भूतपूर्व मन्त्री जी की सदन के कुछ सम्मानित सदस्यों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की थी कि सारी भूमि जल-सिंचित और जल-प्लावित हो गई है, उसको देखा जाय। उसमें भी हरिजनों का भाग्य आज कहां है ? ओवरसियर श्रीमन्, कुल नियुक्त हुए ८९३, हरिजन शून्य । एलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल इंजीनियर २८७, हरिजन शून्य। सुपरवाइजर २२५, हरिजन शून्य । मिनिस्टीरियल स्टाफ २५९, हरिजन शून्य। जिलेदार २४४, हरिजन शून्य। अमीन १,२११, हरिजन शून्य। ट्यूबवेल आपरेटर्स ५,३४९, हरिजन शून्य।

इस तरह से ट्रांसपोर्ट विभाग हुआ, सिंचाई विभाग हुआ। अब पी० डब्लू० डी० के बारे में मैं न कहूं तो अच्छा ही है क्योंकि सारा समय इसी में न चला जाय। पी० डब्लू० डी० में भी हरिजन इसी तरह उपेक्षित हैं। ओवरसियर १,२२५, हरिजन २१। कितना परसेंटेज हुआ, वह आप निकाल लें। दूसरे टेक्निकल स्टाफ में हरिजन शून्य। मिनिस्टीरियल स्टाफ १,४३८, हरिजन ७१। मिनिस्टीरियल स्टाफ में क्लास चार के १,०४५ कुल, जिनमें ३० हरिजन इस समय हैं। मगर इस विभाग में एक और विशेष परिस्थिति है कि सन् १९५७ म इनमें से ६० रिट्रेंच (हटाये गये) किये गये थे, उन ६० हटाये जाने वालों में हरिजनों की तादाद ४० है।

शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, सिंचाई विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग और पी० डब्लू० डी० हो गया। अब मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इससे सम्मानित सदस्यों के सामने स्थिति साफ साफ आ जानी चाहिये। श्रीमन्, हमने एक पत्र लिखा था। हमारा पत्र तो लम्बा है। वह हमने लिखा था हरिजन कल्याण समिति विभाग के सचिव हैं उनको। उनका उत्तर १२ फरवरी को मिला है। वह यह है--"कृपया अपने पत्र दिनांक ४ जनवरी, १९६० का अवलोकन करें।

हरिजनों की प्रत्येक विभाग में नियुक्ति के सम्बन्ध में समिति द्वारा आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं। अभी यह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अतः खेद है कि अभी उन्हें आपकी सेवा में नहीं भेजा जा सकता" इस पर मन्त्रीलाल के हस्ताक्षर हैं। यह पत्र हमको मिलता है। इसके बारे में मेरी शिकायत है। माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय बराबर हम लोगों से अनुरोध किया करते हैं कि हम पहले मन्त्रियों को लिखा करें और तब सदन में आया करें। मैं आपको बताऊं कि जो यह समिति बनी हुई है उस समिति के पास हरिजनों के आंकड़े उपलब्ध हैं और भी आंकड़े वह एकत्रित कर रही है। जो आंकड़े उनके पास थे वही हमको भेज देते। मगर पता नहीं उन्होंने हमको वे आंकड़े क्यों नहीं भेजे। इस तरह से बड़ी परेशानी की बात हो जाती है, वे आंकड़े हमको नहीं मिल सके। जो थे वह हमने आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिये।

श्रीमन्, श्री पालीवाल जी यहां पर नहीं हैं। मैं चाहता था कि वह भी और माननीय सम्पूर्णानन्द जी भी यहां पर रहते। उन लोगों ने पुराने धर्मग्रन्थों का अवलोकन अच्छी तरह से किया है। हम लोग तो स्वतन्त्र भारत में सचेत तथा समर्थ हुए हैं और हमारा विकास स्वतन्त्र भारत में हुआ है। उनकी तरह से नहीं कि जिनका बहुत अंश परतन्त्र भारत और गुलाम भारत में

[श्री राजनारायण]

व्यतीत हुआ। हमारा बहुत अंश स्वतंत्र भारत में व्यतीत हो रहा है। इसलिये मैं उस फर्क को बताना चाहता हूं कि माननीय कमलापति जी, माननीय पालीवाल जी, माननीय सम्पूर्णानन्द जी, नारायणदत्त तिवारी जी को भी जोड़ लीजिये और झारखंडे राय जी को भी ले लीजिये और मुझ गरीब राजनारायण को भी ले लीजिये। ये सब चाहते हैं कि देश का विकास होना चाहिये और देश में वर्गविहीन समाज की रचना होनी चाहिये। जो पिछड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, सताये हुए हैं और दरिद्र हैं उनका विकास होना चाहिये और उत्थान होना चाहिये। बस इतने ही शब्दों का प्रयोग हम करेंगे। अगर माननीय कमलापति जी को बोलना पड़ेगा तो वह २, ४ शब्द और इसमें जोड़ देंगे। जहां तक शब्दों का सम्बन्ध है उसमें हमारे में और उनमें कोई फर्क नहीं है। कमलापति जी भी उसी वाक्य का प्रयोग करते हैं और हम भी उसी वाक्य का प्रयोग करते हैं और दूसरे विरोधी दल के लोग भी उसी वाक्य का प्रयोग करते हैं, मगर राजनारायण जब उसमें कुछ निश्चितता लाने की बात करने लगता है तो कमलापति जी रुष्ट हो जाते हैं और पालीवाल जी, नारायणदत्त जी, झारखंडे राय जी, शिष्टता की आड़ में दुर्बलता को छिपाते हैं। एक विश्वविद्यालय के वायस-चान्सलर योग्य हों, नीतिवान् हों, आचरणवान् हों, सत्य अहिंसक हों, और इसमें दो-चार शब्द जोड़े जा सकते हैं। यदि कमलापति जी इस वाक्य का प्रयोग करेंगे तो वे और दो-चार लच्छेदार शब्द इसमें जोड़ देंगे। मगर झगड़ा कहां पैदा होता है? झगड़ा वहां पर पैदा होता है जब हम यह कहेंगे कि फलां वायस-चान्सलर कसौटी पर खरा उतरा है या नहीं। इसलिये मैं चाहता हूं कि केवल शाब्दिक जाल बिछाकर सदन का समय नष्ट न किया जाय। माननीय कमलापति जी शब्दों के प्रयोग में शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं मगर सोशलिस्ट पार्टी निश्चित होकर चलती है और कमलापति जी उससे हट जाते हैं। दूसरी कोई पार्टी इस तरह की नहीं है जिसने यह एलान किया हो कि दबे हुए, पिछड़े हुए लोगों का उत्थान हो, दबे हुए मुसलमानों को और औरतों को हमारे देश के नेतृत्व में उचित स्थान मिले। यह सोशलिस्ट पार्टी को ही गौरव है जिसने वाराणसी में पावन जान्हवी के पवित्र तट पर बैठकर यह प्रस्ताव पास किया कि पिछड़े लोगों को कम से कम ६० फीसदी स्थान मिले।

अब केवल शब्दों से काम चलने वाला नहीं है। हमको निश्चित और ठोस कदम उठाना पड़ेगा। जो हम कहते हैं उसके मुताबिक हमारे कार्य को देखा जाय कि प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी की प्रान्तीय समिति के अध्यक्ष, मंत्री या केन्द्रीय समिति के सेक्रेटरी सब-हरिजन, बैकवर्ड और पिछड़ी हुई जाति के लोग हैं। हमारी कमेटियों में उनका पूर्ण अनुपात आपको मिलेगा। हमारे यहां बिना किसी कन्वेसिंग के गुप्त मतदान के द्वारा पिछड़ी जाति के और दबे हुए लोग आ जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह फर्क है हमारे में और कांग्रेस पार्टी में और विभिन्न राजनीतिक दलों में। श्रीमन्, कुछ थोड़ा-सा समय और दें, बांधें नहीं। सभी पार्टियों के चुनाव घोषणा-पत्र मैंने अपने पास रखे ....

श्री उपाध्यक्ष--आपने २५ ..ट मांगे हैं, मैं उतना ही समय दूंगा।

श्री राजनारायण--यह चुनाव का घोषणा-पत्र है। (व्यवधान) हमारे यहां विधान सभा के सदस्यों में हरिजन ४, कुरमी ५, लोध १, २१ में। खैर छोड़िये।

अब मैं आ रहा हूं कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र की ओर।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--कृपया आप लोग शान्त हो कर सुनें।

श्री राजनारायण--कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में साफ लिखा है.....,

(व्यवधान)

श्री ब्रजगोपाल सक्सेना (जिला हमीरपुर)--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियमों के अनुसार किसी सदस्य को किसी मंत्री का अथवा किसी अन्य सदस्य का नाम नहीं लेना चाहिये। और माननीय सदस्य कमलापति जी, कमलापति जी पचीसों बार कह चुके हैं। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--आमतौर पर इंग्लैंड में तो पद्धति यह है कि पार्लियामेंट में किसी सदस्य का नाम भी नहीं लिया जाता, लेकिन हमारे देश में माननीय अध्यक्ष भी पुकारते हैं। इसलिये नाम लेने में कोई आपत्ति की बात नहीं है लेकिन आपत्तिजनक ढंग से या अनादर की दृष्टि से नाम नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री राजनारायण--मैं इसके लिये क्षमा प्रार्थी हूं कि माननीय सदस्य को कमलापति जी कहने से ठेस पहुंची है, मुझे इसका बड़ा दुख है क्योंकि मैं सदन में अपने को ऐसा रखना चाहता हूं कि हमारे व्यवहार से लोगों के दिल में यह भाव उठे कि कमलापति जी के लिये मेरे दिल में बड़ा आदर है।

गृहमंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--माननीय राजनारायण जी जितनी बार मेरा नाम लेते हैं उतनी बार मुझे प्रसन्नता होती है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह समय मेरे समय से काट दिया जाय। मेरे क्रम को टूटना नहीं चाहिये था।

कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है--यह मैं अपने लिये नहीं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के लिये पढ़ रहा हूं--'कि यहां वर्ण व्यवस्था और वर्ग भेद के लिये स्थान नहीं रहेगा।' चुनाव घोषणा पत्र में जब कांग्रस ने माना है तो मैं जानना चाहता हूं कि कल जो यहां एक सम्मानित शास्त्री जी का भाषण हुआ वह क्या वर्ग या वर्णभेद को मिटाने वाला था? आखिर वर्ण है क्या? प्राचीन काल के ग्रंथों का अध्ययन किया जाय और उपनिषदों को भी देखा जाय इसके लिये ही मैंने निवेदन किया था कि असेम्बली के सदस्यों को इसका सौभाग्य मिले और इसके लिये अध्ययन गोष्ठी की शिक्षा मंत्रालय की ओर से व्यवस्था होनी चाहिये। यह 'सामने प्रसवःजाति', उपनिषद का श्लोक है। इसका अर्थ हुआ कि जो लोग एक ढंग से पैदा होते हैं वे एक जाति के हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ब्राह्मण दूसरे ढंग से पैदा हुआ है और हरिजन दूसरे ढंग से? क्या आज गौतम बुद्ध हमारे भारतवर्ष के गौरव नहीं हैं? क्या उनकी जयन्ती में इस देश का लाखों रुपया नहीं खर्च किया गया? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो यह समझते हैं कि ईश्वर में निष्ठा करना हिन्दुत्व का प्राण है। हिन्दुत्व का प्राण केवल एक ईश्वर में निष्ठा करना ही नहीं, बल्कि ईश्वर में निष्ठा न करना भी है। हिन्दुस्तान ने अनीश्वरवादी को भी पूजा की है। गौतम बुद्ध हमारे भारतवर्ष में हुए थे। उन्होंने अपनी शिष्ट मंडली में बैठ कर कहा कि "वसुधैव कुटुम्बकम्"। लोगों ने एतराज किया, आपत्ति उठायी और कहा कि यहां पर तो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र, हम कैसे भाई भाई हैं। उन्होंने बताया कि एक स्त्री लो और एक पुरुष लो। दोनों का संभोग हो, गर्भ रहे, तो क्या होगा? बच्चा पैदा होगा घोड़ा हाथी नहीं। उन्होंने कहा कि वह किस जाति का हुआ। इन्सान ही से इंसान पैदा होता है पुरानी संस्कृत में एक बात आयी है:

"जन्मनाजायते शुद्रः संस्कारौद्विजोच्यते,
वेद पाठात् भवेद्विप्रः ब्रह्मजानाति ब्रह्मणः।"

मैं जानना चाहता हूं कि ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? जो ब्रह्म को जानने वाला है वही ब्राह्मण। आज यहां कितने ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाले हैं कि जो ब्रह्म जानने वाले हैं? इसलिये इसपर विचार होना चाहिये तभी कुछ सुधार संभव हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--एक आध आयत कुरान शरीफ की भी होनी चाहिये। (हंसी)।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, अब मैं यह चाहता हूं कि माननीय कमलापति जी जरा इस संविधान को पढ़ें। मैं यह तो नहीं कहता कि उन्हें भारतीय संविधान का ज्ञान नहीं है कल उन्होंने एक बड़ा लच्छेदार सुन्दर भाषण दिया। मगर में पूछना चाहता हूं कि शिक्षा की दिशा क्या होगी? कैसे समाज को बनाने का हमने निर्णय लिया है? अगर हमारे समाज को शिक्षा का योगदान नहीं मिला है तो उसे बदलना चाहिये। भारत के संविधान में यह लिखा है--"हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिये" संविधान का निर्माण करते हैं। हमारे भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि हम सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर सम हों। क्या हमारे कमलापति जी ने इस प्रकार की व्यवस्था की है? हरिजन और पिछड़ी हुई जाति के लिये जो अनुदान है, अगर श्रीमन्, उसको देखा जाय तो मालूम होगा कि कुटीर उद्योगों के लिये पिछड़ी जाति के लिये पहले ५० हजार रुपया था वह अब खत्म कर दिया गया, कृषि के लिये ५० हजार रुपया मिलता था वह भी खत्म कर दिया गया, घरों को बनाने के लिये भी जो पिछड़ी जाति को ५० हजार रुपया मिलता था वह भी खत्म कर दिया गया। तो इस तरह से करीब डेढ़ लाख रुपया कम कर दिया गया। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि एक करोड़ बढ़ाया गया है। यह बढ़ाया कहां से है, श्रीमन्, इसको देखा जाय? यह बढ़ा हुआ धन केन्द्रीय सरकार से इनको मिला है। उस केन्द्रीय सरकार से मिलने वाले धन से अगर इसमें बढ़ोत्तरी हुई है तो इसमें इनका क्या श्रेय है। मैं चाहता हूं, सरकार बताये कि आज हरिजन लोगों की आबादी क्या है? आज पिछड़े-वर्ग की आबादी क्या है? श्रीमन्, सरकार के पास इसके आंकड़े नहीं है। सन् १९३१ के आंकड़े मुझे उपलब्ध हो सके हैं। उसके अनुसार पिछड़ी जाति के ५५ फीसदी और हरिजन जाति के २० फीसदी लोग हैं और सब मिलकर करीब ७५ फीसदी हो जाते हैं। अब अगर इन आंकड़ों को सही-सही मालूम किया जाय, इनकी सही-सही फिगर्स मालूम की जाय तो वह इससे भी बढ़ कर करीब ८५ फीसदी हो सकती है। मगर इस सरकार ने उन ७५ फी सदी लोगों के लिये अब तक क्या काम किया है? क्या यह कहा जा सकता है कि आज १३ वर्ष की स्वतन्त्रता के बाद हरिजन और पिछड़ी जाति का कोई उद्धार हो सका है, उनके लिये गांवों में मकान की व्यवस्था हो सकी है, पानी पीने का कुआं बन सका है खेत या काम की व्यवस्था उनके लिये की गई है? क्या आज उनकी हालत पहले से ज्यादा दयनीय नहीं हुई है? मैं कहना चाहता हूं कि आज उनकी हालत पहले से अधिक दयनीय हो गयी है। इसके लिये मैं कुछ सुझाव सरकार को देना चाहता हूं। पुलिस विभाग के नियमों में उनके लिये ३ साल की छूट रखी गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह उम्र की छूट और विभागों में क्यों नहीं है? इसलिये मैं चाहता हूं वह छूट दूसरे विभागों में भी होनी चाहिये। शिक्षा मंत्री जी को इसके लिये प्रयत्नशील होना चाहिये।

इसके अलावा जो मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, हैंडलूम विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग या और जो इस तरह के विभाग हैं उनमें हरिजन और पिछड़ी जाति के ही लोग होना चाहिये। वे ही इन विभागों में अच्छा काम कर सकते हैं। एक खत्री या एक बनिया जो मछली खाता ही नहीं, पालने की हालत जानता नहीं वह क्या उस विभाग की तरक्की कर सकता है? इस लिये जिन लोगों को उनमें रुचि हो उनको उस विभाग में जगह मिलनी चाहिये। इससे वे ज्यादा धन पैदा कर सकते हैं। यदि किसी जगह के लिये हरिजन लोग न मिलें तो बैकवर्ड क्लास के लोगों को लेना चाहिये, उन लोगों को तरजीह देना चाहिये। यह हमारा स्पष्ट कहना है। हरिजन जब न मिलें तो बैकवर्ड वालों को जगह दें। द्विजों को भर करके सारी नौकरियों पर उन्हीं का कब्जा करा रखा है। सरकार को द्विजों को भरने की नीति से बाज आना चाहिये। और चुनता कौन है? उनमें हरिजन और बैकवार्ड के प्रतिनिधि निश्चित रूप से होने चाहिये। अगर नहीं होते, तो

उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। लोक सेवा आयोग में भी उनका स्थान होना चाहिये। सरकारी नीति संचालित हो रही है या नहीं, इसके लिये हमारा कहना है कि इसकी जांच के लिये एक अफसर नियुक्त होना चाहिये, लेकिन वह ऐसा हो, जो इसी तबके का हो, वरना कहीं ऐसा न हो कि दूसरे तबके का हो, तो ३-४ साल तक रिपोर्ट ही न आये।

इसके साथ हमारा निवेदन यह है कि हमने आज एक किताब देखी "रिपोर्ट आफ दि कमिश्नर फार शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स"। इसमें कुछ सुझाव दिये हैं। उनमें से कुछ पर हम सहमत हैं और कुछ को हम परिमार्जित कर देना चाहते हैं। कमिश्नर ने लिखा है कि चारों तरफ यह शिकायत है कि सरकार कोई जगह रिजर्व करती है तो वह जगहें भरी नहीं जा रही है, उसके लिये उन्होंने कहा है कि एक हाई लेविल कमेटी की स्थापना होनी चाहिये, जो देखे कि जो जगहें सुरक्षित की गयी है वह क्यों नहीं भरी जा रही है और उसको २ वर्ष के लिये खालीं रखा जाय अगर कोई आदमी नहीं लिया जाता है। वह हाई लेविल कमेटी खुद सारी बातों को समक्ष रख करके देखे कि वह कैसे भरी जानी चाहिये।

उसके साथ योग्य और अयोग्य उम्मीदवार की भी बात है अगर हरिजनों और बैकवर्ड के लिये कुछ सीट्स रिजर्व हो गयीं तो १८ फीसदी हरिजनों के लिये आज जो हैं, उनके लिये कवल हरिजन विद्यार्थी ही बुलाये जांय और उन्हीं में से परीक्षा हो। उनमें जो योग्य हों वह ल लिये जायं और उन्हीं में से वह जगहें भरी जायं। यह सभी को मालूम है कि हरिजन आज कम से कम ५,००० वर्ष से इस असहाय अवस्था में चल रहे हैं। वह कितने पीसे गये हैं और कुचले गये हैं यह सभी पर विदित है। जब जनरल नालिज के लिये इंटरव्यू में उम्मीदवारों को बुलाया जाता है तो जो कलेक्टर का लड़का या उच्च स्थानीय पदाधिकारी का लड़का है वही सफल होगा और जो हरिजन लड़का होगा उसको नालिज में कमी होती है। हां, लिखित परीक्षा में तो उसकी योग्यता अच्छी होती है, मगर इंटरव्यू में अच्छे नहीं होते, इसलिये उनका इंटरव्यू नहीं होना चाहिये। अगर लिखित परीक्षा में उसका अच्छा नम्बर है तो बिना इंटरव्यू के उसको ले लिया जाना चाहिये।

श्रीमन्, थोड़ा सा समय और दे दें, जिससे उनको जवाब देने में आसानी हो।

श्री उपाध्यक्ष—आपको २७-२८ मिनट वैसे ही मिल चुके हैं।

श्री राजनारायण—इसलिये कहता था कि इसका जवाब दे देते।

श्री उपाध्यक्ष—आपका जवाब किसी ने दिया है आज तक ? (हंसी)

श्री राजनारायण—हर सभ्य और सचेत आदमी ने जवाब दिया है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने जो अनुदान माननीय सदन के समक्ष उपस्थित किया है उस पर मैं भी कुछ विचार व्यक्त करने के लिये आपकी आज्ञा से खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैंने जहां तक अनुदान के आंकड़ों को देखा है, तो शायद ९ लाख से अधिक रुपया कुल अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि पर व्यय होता है। उसके बाद जो धन बचता है और जिससे हरिजनों का लाभ होना चाहिये, उसका भी काफी दुरुपयोग होता है। वह इस तरह कि जो अनुदान मकान के लिये अथवा कुओं के लिये या कुटीर उद्योगों के लिये इन हरिजनों को स्वीकृत किया जाता है उसकी प्राप्ति के लिये उन्हें बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती है और कहीं कहीं तो उसको पाने के पहले ही कुछ नजराना या रिश्वत देनी पड़ती है।

दूसरी बाद यह है कि मकान और कुओं के लिये प्रायः यह देखा जाता है कि केवल ढाई सौ रुपया ही मंजूर किया जाता है। अब माननीय गृह मंत्री और इस विभाग के सम्बन्धित अधिकारी स्वयं सोचें कि ढ़ाई सौ रुपये में कोई भी व्यक्ति किसी नये मकान या नये कुवें का कैसे निर्माण कर सकता है। मैं जहां तक समझता हूं यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है।

[श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि]

अधिकांश लोग पुराने मकान अथवा पुराने कुवों की है मरम्मत कराकर उसको नया लिख देते हैं, इसलिये में सुझाव देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि इस तरह के निर्माण कार्य के लिये जो अनुदान स्वीकार किया जाय वह पैसे के रूप में न दिया जाय बल्कि इस्टीमेट बनाकर मेटीरियल के रूप में उनको दिया जाय। इससे मैं सहमत हूं कि उनसे श्रम के रूप में भी कुछ लिया जाय जिनके नाम वह अनुदान स्वीकार हो, लेकिन धन के बजाय उनको सामान ही मिलना चाहिये और कुछ सरकारी कर्मचारियों की देख-रेख में उस निर्माण-कार्य की पूर्ति कराई जाय।

एक बात श्रीमन्, और है कि जिला हरिजन कल्याण समिति द्वारा यह अनुदान स्वीकार होने के कई कई महीने बाद तक धन नहीं मिलता है बल्कि उस व्यक्ति को यह सूचना मिलती है कि तुम्हें कुवें अथवा मकान के लिये सहायता की स्वीकृति मिल गई है अब तुम इतने महीने के अन्दर उसे बनवा लो। मैं श्रीमन्, अपने क्षेत्र की बात बताऊं जिसमें कि अधिकांश वाल्मीकि भाई हैं, वहां उनको अनुदान स्वीकार होने के साल दो साल पश्चात् तक भी लोग मकान अथवा कुवां निर्धन होने के कारण नहीं बनवा पाते और सहायता जो मंजूर हुई वह कैंसिल हो जाती है। तो जैसा मैं कह चुका हूं कि इस तरह से इतनी देर के बाद सूचना देने के बजाय उनको सूचना यह मिलनी चाहिये कि तुम फलां दिन आकर इस तरह का सामान ले जाओ और काम शुरू करवाओ।

इसके अलावा श्रीमन्, एक बात मुझे यह भी कहनी है कि हरिजन सहायक विभाग से जो अनुदान मिलते हैं उसका लाभ कुछ खास हरिजनों के आगे बढ़े हुये वर्ग ही उठा पाते हैं। हमारे प्रदेश में जो सबसे उपेक्षित वर्ग है वह भंगी वर्ग है। इस वर्ग को हरिजन विभाग से जो अनुदान मिलते हैं उनसे लाभ नहीं हो पाता और उसका कारण यह है कि जिलों में जो हरिजन कल्याण समितियां हैं—मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह स्वयं जांच करके देखें—५१ जिलों में शायद एक दो जिले हों जहां की हरिजन कल्याण समितियों में एक दो मेहतर सदस्य हों। इसके साथ ही साथ जो हरिजन सोशल वर्कर या सुपर्वाइजर हैं जो तमाम इन चीजों की जांच करते हैं उनमें भी शायद ५१ जिलों में दो चार मेहतर जाति के हों। तो यह भी एक कारण है जिससे मेहतर समाज, जिसके प्रति स्वर्गीय बापू का बहुत प्रेम रहा है वह, बहुत उपेक्षित किया जाता है और इस सहायता से वंचित रह जाता है।

श्रीमन्, मैं छात्रवृत्तियों के विषय में भी बताऊंगा कि अंतरिम जिला परिषद् के बनने से पहले लखनऊ में जबसे हरिजन कल्याण समिति बनी तबसे मैं उसका सदस्य रहा और जबतक उसका सदस्य रहा कुछ वाल्मीकि लड़कों को छात्रवृत्तियां मिल जाती थीं लेकिन अब जबसे अंतरिम जिला परिषदें बनीं और हम अपने जिले के मेम्बर बन गये, तब से मैं देखता हूं कि उन कितने ही छात्रों को जो गतवर्षों में वजीफा पाते रहे उनके नाम से वजीफा बन्द हो गया। अगर मंत्री जी मुझे आज्ञा दें तो मैं लिखित रूप से दिखला दूं कि सहारनपुर से, कानपुर से, लखनऊ से, अलीगढ़ से और कितने ही ऐसे शहरों के छात्र जिनको कि अपने जिले की हरिजन कल्याण समितियों को वजीफे के लिये दरख्वास्त देनी चाहिये, वह मेरे पास लिख कर भेजते हैं कि क्या वाल्मीकियों को भी इस तरह की छात्रवृत्तियां मिलती हैं जिस तरह से कि दूसरे हरिजनों को मिलती हैं। तो यह कितने अफसोस की बात है।

मैं यह भी बता दूं कि हरिजनों में कुछ ऐसी जातियां हैं जैसे पासी, चमार, खटिक, कंजड़ आदि यह विमुक्त जातियों को जो छात्रवृत्तियां मिलती हैं उसके द्वारा भी ले लेते हैं लेकिन दो ऐसी जातियां हैं जो हमारे समाज को शुद्ध करने का काम करती हैं, उसमें धोबी जाति है और मेहतर जाति है। इन बेचारों को छात्रवृत्ति एक ही जगह से मिलती है। लेकिन इसमें मेहतर जाति का तो मुझे विशेष अनुभव है कि उसको नहीं मिल पाती है। माननीय मंत्री जी हरिजन कल्याण समिति के आंकड़े उठाकर देखें तो उनको जानकारी हो जायगी कि मेहतरों को कितनी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

श्रीमन्, नौकरी के सम्बन्ध में भी बता दूं। मैंने कुछ वर्ष पहले म्युनिसिपल बोर्ड, लखनऊ के बारे में प्रश्न किया था कि यहां पर मेहतर कितने जाति के हैं तो उन्होंने म्युनिसिपल बोर्ड के मेहतरों की संख्या बता दी थी। लेकिन मैंने पूछा था चपरासी और क्लर्क कितने मेहतर कर्मचारी है। कई बार इस सदन के दफ्तरों में मैं चपरासी के काम के लिये मेहतर वर्ग के व्यक्तियों को लाया लेकिन उनको चपरासियों का काम न देकर मेहतर का काम ही देने को कहा गया। हरदोई में वाल्मीकि लड़के पढ़े लिखे हैं और लखनऊ में भी ३-४ लड़के हैं उनको मैं काम दिलाना चाहता हूं लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता। श्रीमन्, सूअर पालन के लिये जो अनुदान दिया जाता है वह मेहतरों को ही मिलना चाहिये लेकिन उनको नहीं दिया जाता है। उनको उद्योग धंधों में भी कुछ नहीं मिल पाता है क्योंकि उनकी संख्या शहरों में ज्यादा है और अनुदान देहात में अधिक दिया जाता है।

अन्त में, मैं प्रार्थना करूंगा कि मेहतर वर्ग के लिये कोई विशेष जांच कमेटी बैठायी जाय और यह देखा जाय कि सरकारी सुविधा जो हरिजनों को मिलती है उससे इस समस्त प्रदेश के मेहतरों को क्या लाभ होता है। यह देखकर मेहतर वर्ग के लिये कोई विशेष प्रबंध किया जाय।

छुआछूत के निवारण करने के लिये जो संस्थाएं हैं उनको भी सरकार धन की सहायता देती है। हमें जो पुस्तिका मिली है उससे यह मालूम होता है। लेकिन उत्तर प्रदेशीय वाल्मीकि सभा जो एक रजिस्टर्ड संस्था है, एक वर्ष से अधिक हो गया लेकिन लिखापढ़ी के बावजूद भी वे उस सहायता को पाने से वंचित ही हैं। मेहतरों की इस प्रकार से उपेक्षा की जाती है इसलिये उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा है। लेकिन यह जरूर है कि मेहतर लोग स्वर्गीय बापू के आदेशों का पालन करते हैं और शांति के आधार पर अपनी मांगों को पूरी कराना चाहते हैं और संतोष के आधार पर अपनी जिन्दगी बिताना चाहते हैं। अतः मैं निवेदन करूंगा कि इस समाज के लिये विशेष प्रबंध हो और उनके लिये किसी विशेष सुविधा का इन्तजाम किया जाय ताकि स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की आत्मा को शांति मिल सके।

श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में जो अनुदान है उस पर जो कटौती का प्रस्ताव माननीय राजनारायण जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसमें इस साल रकम बढ़ा दी गयी है, इसकी जानकारी से हमें प्रसन्नता होती है लेकिन जैसा कि राजनारायण जी ने कहा इसमें अधिक भाग राज्य सरकार का नहीं बल्कि भारत सरकार जो वजीफा बांटती थी, उसका पैसा है। यह वजीफे की रकम जो सेंटर से राज्य को मिलती है और राज्य में उसका उपयोग होता है, ऐसा खयाल हुआ कि उसका प्रबंध अच्छा होगा लेकिन मैंने अपने जिले में देखा है कि उसका बटवारा बड़ा ही अन्यायपूर्ण ढंग से होता है। बजट में लिखा हुआ है---अनुसूचित जातियों का सुधार और उत्थान-दुर्बल लोगों के बच्चों के लिये किया गया है। वहां भी दुर्बल और सबल का सवाल उठ गया है। वहां भी जो फर्स्ट डिवीजन पास हरिजन का लड़का है उसे तो कम पैसा मिलता है और जो थर्ड डिवीजन पास होता है उसे ज्यादा पैसा मिलता है। तो इस तरह का अजीब उलट फेर वहां भी चल रहा है। इस बात की जांच होनी चाहिये और अगर राज्य में अच्छा काम नहीं होता तो इस काम को सेंटर के ऊपर ही छोड़ देना चाहिये। वहां से हरिजनों को ज्यादा पैसा भी मिलता था और इन्तजाम भी अच्छा होता था। अभी सेंट्रल असेम्बली के एक सदस्य श्री रूपनारायण जी ने अपने भाषण में कहा है कि इस सिलसिले में बड़ी धांधली हो रही है। तो इस तरह की शिकायतें दूर होनी चाहिये। उन लोगों को सबसे ज्यादा और सबसे पहले पैसा मिलना चाहिये जो कि उसके मुस्तहक हैं। उसके बाद ही दूसरे लोगों को मिलना चाहिये। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां इसी के लिये हमारा संचालक बोर्ड भी है और स्टाफ भी स्थायी हो रहा है तथा बढ़ता चला जा रहा है लेकिन समय पर वजीफा किसी को

[श्री विश्रामराय]

नहीं मिलता है। इसकी वजह से कितने लड़के साल के बीच में पढ़ाई छोड़ कर चले जाते हैं। जिस तरह से सब अनुदानों के लिये ३१ मार्च तक स्वीकृति और वितरण कर देना जरूरी हो गया है उसी तरह से फरवरी या जनवरी में ही उनको वजीफे की रकम क्यों दी जाती है? मालूम नहीं कि संचालक बोर्ड क्या करता है और मिनिस्टर लोग क्या करते हैं। यह सोचने की बात है कि जब गरीब लड़कों के पास किताबें ही साल साल भर तक नहीं होंगी तो किस तरह से उनकी पढ़ाई होगी और वे पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने किस तरह से योग्य सिद्ध हो सकेंगे। जब सवर्ण विद्यार्थियों को समय पर वजीफा न मिलने से दिक्कत होती है तो हरिजन विद्यार्थियों को ही समय पर वजीफा न मिलने से कितनी परेशानी होगी। यह शिकायत हर साल की है लेकिन मालूम नहीं कि इसमें सुधार क्यों नहीं किया जाता। मालूम नहीं कि संचालक बोर्ड, मिनिस्टर लोग या जो कमेटी बनी हुई है वह क्या करती है। सुपरवाइजरी स्टाफ जिसके ऊपर इतना काफी रुपया खर्च होता है, उसे इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात अस्पृश्यता निवारण की है। इसके बारे में काफी प्रचार हो रहा है, प्रभात फेरिया निकाली जाती हैं। अस्पृश्यता निवारण का काम शहरों में तो हो चुका, होटलों में हो चुका लेकिन अभी: देहातों में घर-घर में, चौके-चौके में छुआछूत का भूत मरा पड़ा है। इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है और उसके लिये आवश्यक है कि एक कमेटी बैठायी जाय जो इसके कारणों की छानबीन करे। अगर इसके लिये थोड़ा बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत हो तो सरकार को उसे भी खर्च करना चाहिये। जिस तरह से कई क्षेत्रों में कृषि आदि तरक्की के लिये पुरस्कार की योजना है उसी तरह से यहां भी एक पुरस्कार योजना चालू करनी चाहिये कि जिस गांव में सबसे ज्यादा छुआछूत की बीमारी दूर हो जायगी उस गांव सभा को या उसके प्रधान को वह पुरस्कार दिया जायगा। जब तक ऐसी कोई योजना नहीं चलायी जायगी तब तक देहातों से छुआछूत दूर नहीं होगा।

जहां तक अन्सार और मोमिन लोगों का सवाल है, उनके लड़कों के लिये वजीफे की रकम जितनी पारसाल थी उतनी ही इस साल भी रखी गयी है। जब आप और हरिजन बच्चों को वजीफे देने की रकम को बढ़ाते हैं तो इन अन्सार और मोमिन बच्चों के लिये भी वजीफे की रकम जरूर बढ़ानी चाहिये। जो लड़के हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट में हैं, उन गरीब लड़कों को सहायता देने की बहुत जरूरत है। जहां तक प्राविधिक शिक्षा का सम्बन्ध है, देखने में आया है कि वहां से पढ़े-लिखे लड़कों को कहीं काम नहीं मिलता है जिससे उनकी पढ़ाई-लिखाई का भी सब खर्चा बेकार चला जाता है। मेरे यहां का एक लड़का बख्शीतालाब से ढलाई की ट्रेनिंग लेकर कलकत्ता गया, वहां वह दो वर्ष तक रहा लेकिन फिर निकाल दिया गया। तो इस तरह से प्राविधिक शिक्षा प्राप्त किये हुए हरिजन लड़कों को भी कहीं काम नहीं मिलता है तो फिर उस पढ़ाई-लिखाई से फायदा ही क्या हुआ? उनके लिये कोई रिजर्वेशन होना चाहिये, जो काम सीख कर आये, उन्हें कारखानों में काम देना चाहिये और एम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा कोई व्यवस्था होनी चाहिये। उनकी सहायता केवल काम देकर ही हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि हरिजनों के घरों की व्यवस्था बहुत कम हो पा रही है और जो अनुदान या पैसा दिया भी जाता है वह उन पर खर्च नहीं हो पाता। हमारे यहां लालगंज में रकम दी गई कि यहां पर कि हरिजनों के पानी पीने का प्रबन्ध किया जायगा लेकिन वह पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। ऐसे प्रान्त में दस सेन्टर छांटे गये। देखना चाहिये कि वह रुपया क्यों खर्च नहीं होता और स्टाफ क्या करता है? अगर खर्च नहीं हुआ तो मार्च में सब रकम लैप्स हो जायगी। इस की सरकार को जांच करना चाहिये कि जो पैसा मिलता है वह खर्च क्यों नहीं किया जाता और अधिकारी क्यों उसे समय से व्यय नहीं करते?

इसी तरह से गैरसरकारी संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है। वह अच्छी बात है, देना चाहिय लेकिन हमार यहां छात्रावासों की बहुत कमी है। जो १००-२०० रुपया दिया

जाता है उससे कोई सहायता नहीं होती, लड़के कलकत्ते की तरह कम स्थान में पड़े रहते हैं, कहीं जगह नहीं है। जैसे बम्बई-कलकत्ता में श्रमिकगण के लिये रहने की व्यवस्था नहीं है वैसा ही हाल छात्रावासों का है। मेरा सुझाव है कि हर जिले में सरकार अपनी तरफ से कुछ छात्रावासों का प्रबन्ध करे और बनाये, वर्ना देहात के लड़के ठीक ढंग से पढ़लिख नहीं पाते और उन्हें बहुत दिक्कत होती है, थोड़े से अनुदान से यह काम नहीं होने वाला है।

कृषि विकास योजना के सम्बन्ध में भी मेरा सुझाव है कि सरकार भूमि वितरण के सम्बन्ध में एक बिल ला रही है, पता नहीं वह कबतक पास होगा परन्तु मेरी राय में इस प्रकार लगभग ५ लाख एकड़ जो जमीन मिलती है वह भूमिहीन गरीबों को देना चाहिये और हरिजनों को देना चाहिये क्योंकि जब तक उनकी आर्थिक हालत नहीं सुधारेगी, जब तक उनकी आर्थिक समानता नहीं आयेगी तब तक मनुस्मृति या शास्त्रों को केवल कोट करने से कोई लाभ न होगा। हमारा यह पिछड़ा देश है और उस में हरिजन न पिछड़ावर्ग है, उनकी हालत जब तक पैसे से नहीं नहीं सुधरेगी तब तक समाजवादी दृष्टिकोण से समाजवाद स्थापित न हो सकेगा।

इसके अलावा जैसा कि बहुत से राज्यों में हो रहा है कि हरिजनों के जो मुकदमें लड़े जाते हैं उनकी पैरवी सरकार की तरफ से सहायता देकर की जाती है। ऐसी व्यवस्था यहां भी होनी चाहिये। सरकार को हरिजनों को मुफ्त कानूनी सहायता देना चाहिये। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ने जो इस अनुदान पर बोलने का मुझे अवसर दिया उसके लिये मैं आप का आभार प्रकट करता हूं। यह अनुदान एक ऐसा अनुदान है जिस पर सभी पार्टियों के विधायकों को ध्यान देना आवश्यक है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब इस अनुदान पर विवाद हो तो हर एक विभाग के मंत्री जी को और विरोधी दल के सभी नेताओं को इस विवाद को सुनना चाहिये। क्योंकि इस प्रश्न पर बहुत कुछ गलतफहमी लोगों के विचार में है इसलिये यह विषय सब को समझना चाहिये। हमारे संविधान की जो मनशा कि हम वर्गविहीन और जातिविहीन समाज बनाना चाहते हैं यह कबतक और कितने दिनों में बन सकेगा? मेरा निवेदन है कि इस समस्या को हल करने के लिये तेजी से कदम उठाया जाय। यह कदम तेजी के साथ अन्य प्रदेशों में उठाया गया है, वहां जोरों से इस दिशा में काम चल रहा है। मैं अपने माननीय मंत्री जी से भी इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि वह दूसरे प्रदेशों से मालूम करें कि वहां क्या काम हो रहा है और क्या कदम उठाये गये हैं और फिर विचार करें कि उसी प्रकार यहां भी कदम उठाये जा सकते हैं या नहीं। हमारे यहां भी वर्ग विहीन समाज बनाने की तरफ कदम उठे, जमींदारी प्रथा खत्म हुई, सब किसान हो गये, एक भेद मिटा, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है और जिसकी हम शपथ लेते हैं उसकी तरफ अभी कोई कदम नहीं उठा है।

हमारे देश का पिछला इतिहास बताता है कि इससे बहुत नुकसान हुआ है और ज्यादा दिन तक उसे कायम रखेंगे तो नुकसान होता रहेगा। इसलिये आज जो ऊंच-नीच का प्रश्न है उसको जल्दी दूर किया जाय। कैसे दूर हो? आर्थिक दशा सुधारने से, सामाजिक दशा सुधारने से, शैक्षिक दशा सुधारने से और शासन के अन्दर पहुंचने से।

जहां तक शैक्षिक दशा सुधारने का काम है, वह हो रहा है। लेकिन कम तेजी से हो रहा है। और ज्यादा धन खर्च होना चाहिए। यही तबका धन का उत्पादन करने वाला है चाहे खेत में हो, चाहे कारखाना में हो और चाहे कारीगरी का काम हो। जो लोग धन का उत्पादन करते हैं उनको अच्छा कपड़ा भी नहीं मिलता, पढ़ाई पर भी कम खर्च होता है और वही बेईज्जत भी समझे जाते हैं। इसको बदलना पड़ेगा।

[श्री रामवचन यादव]

अभी हमारे वाल्मीकि जी ने भंगियों के बारे में कहा । इस काम को दूसरी जाति के लोग करने को तैयार नहीं है । इस काम के करने वालों की तनख्वाह को दुगना और तिगुना बढ़ा दिया जाय ताकि दूसरे लोग भी आकर्षित हों । तभी भंगी जाति खत्म हो सकती है ।

दूसरा कदम यह होना चाहिए कि इस खाई को मिटाने के लिये अन्तर्जातीय विवाह होने चाहिए और उसके लिये तैयार होने वाले लोगों को सरकारी नौकरी में प्रिफेंस देना चाहिए । बिहार सरकार ने तो यहां तक किया है कि जो लोग अन्तर्जातीय विवाह करते हैं उन्हें १ हजार रु० लड़की वाले को और ५०० रुपये लड़के वाले को दिया जाता है । थोड़े दिनों के लिये प्रोत्साहन देने को यह बात हो तो ससे जाति पांत मिटेगी ।

मैं जब बोलता हूं तो मेरे साथी बड़े नाराज होते हैं । जो लोग नीच नहीं समझे गये जिसको कभी यह तकलीफ नहीं हुई वह तो नाराज होंगे ही । हमारे मंत्रीगण और उप मंत्रीगण बड़ी गलतफहमी में रहते हैं, पिछड़े और अनुसूचित को मिला देते हैं । आप पिछड़े नहीं मानते तो लिस्ट क्यों बनाये है गवर्नमेंट की और संविधान में भी है, कमीशन ने भी रिपोर्ट में सूची दी है, उसके मुताबिक मानिये और नहीं मानते तो लिस्ट को दुरुस्त कराइये ।

दो-एक सुझाव और देना चाहता हूं । अस्पृश्यता निवारण का प्रश्न अगर ५० वर्ष में दूर हो तो यह कलंक की बात है । मैं तो कहूंगा कि विरोधी पार्टियों के लोग भी जो गांव में रहते हैं उनका भी इस तरफ प्रयास होना चाहिए । गांव के किसानों को एक साथ बैठाकर खिला दें । मैंने कई जगह ऐसा सम्मेलन किया । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो हरिजन कल्याण अधिकारी हैं वे ऐसे लोग रक्खे जायं जो इस विचारधारा के हों । आपने तो भर्ती कर लिया, उनको तनख्वाह से मतलब है, अस्पृश्यता निवारण का काम तो किया नहीं और अगर किया भी तो दिखाऊ इसलिये ऐसे ही लोगों को हरिजन कल्याण अधिकारी जिलों में रखना चाहिये जो दिल से अस्पृश्यता का निवारण करना चाहते हों, और यह वही लोग कर सकते हैं जो हरिजन या पिछड़ी जाति के होंगे । हर अधिकारी से रिपोर्ट मंगायी जाया करे कि आपने किन-किन लोगों को सहभोज में खिलाया और उनके कार्य के अनुसार ही प्रोमोशन मिलना चाहिये । हरिजन सम्मेलन किये जाते हैं अस्पृश्यता निवारण करने के लिये, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं जबतक कि उन सम्मेलनों में उन लोगों को न बुलाया जाय जो छुआछूत को मानते हैं, उनको समझाया जाय, हरिजनों के साथ बैठाकर सहभोज कराया जाय ताकि अगले १० सालों में कोई भी गांव ऐसा न रहे जिसमें हरिजनों का छुआ पानी-पीने से किसी को एतराज रहे ।

हरिजनों की शिक्षा के लिये जो अनुदान है वह बढ़ना चाहिये । पिछड़ी जातियां ५५ फीसदी हैं और हरिजन जातियां २० फीसदी मगर ५५ फीसदी पिछड़ी जातियों में कम से कम एक बटे तीन ऐसे हैं जिनकी दशा हरिजनों के ही बराबर है । इसलिये मेरा निवेदन है कि बैकवर्ड क्लास के लोगों की आय बांध दी जाय और जिसकी उससे कम आमदनी हो उन सब को वजीफा दिया जाय । अगर ऐसा हो जायगा तो कम से कम ५५ फीसदी में से २० फीसदी पिछड़ी जाति के ऐसे लोग निकल ही आयेंगे । जिनकी दशा हरिजन जैसी है । ११,५०,००० रुपये का अनुदान पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्ति कई साल से चला आता है जब कि हरिजन विभाग का अनुदान बढ़ गया है पिछड़ी जातियों का नहीं बढ़ा है । कुटीर और कृषि में जो अनुदान मिलता था वह भी काट दिया गया है । अगर यह रुपया छात्रवृत्ति मद में ही बढ़ा दिया जाता तब भी कोई बात थी, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया । मेरा तो कहना है कि कम से कम एक करोड़ रुपये का अनुदान पिछड़ी जातियों के लिये भी वजीफे के लिये होना चाहिये ।

पिछड़ी जातियों की औरतें हरिजनों की औरतों से भी पिछड़ी हुई है। मेरे जिले में २ दर्जन हरिजन लड़कियां इंटर में पढ़ती हैं, इसकी मुझे हार्दिक खुशी है, मगर पिछड़ी जाति की ५, ६ लड़कियां ही पढ़ती हैं। इसलिये पिछड़ी जाति की जितनी भी लड़कियां पढ़ें उन सबको वजीफा दिया जाय।

सरकारी नौकरियों के बारे में मुझे यह कहना है कि इससे भी सामाजिक स्तर बराबर होता है। जिन जातियों के लोग सरकारी नौकरियों में पहुंच जाते हैं उनका समाज पर बड़ा असर पड़ता है। अगर कोई हरिजन या पिछड़ी जाति का आदमी सरकारी नौकरी में पहुंच जाता है तो उस जिले में लोग उन लोगों को जो हरिजन या पिछड़ी जाति के कहे जाते हैं उनको चारपाई पर बैठाने लगते है। कुल बजट का ४५ फीसदी रुपया सरकारी नौकरियों पर खर्च होता है केवल उन्नत वर्ग के २० फीसदी लोग ही सरकारी नौकरियों में अधिकांश है उनके ही घर में यह रुपया जाता है।

उसमें से समस्त जनता के २० फीसदी जो आगे बढ़े हुए (उन्नत) वर्गों के लोग हैं वह करीब ९५–९६ फीसदी रुपया (सरकारी नौकरियों का) पाते है। बाकी ८० फीसदी पिछड़ी और हरिजन जातियों के लोगों के घरों में ३, ४ फीसदी से ज्यादा नहीं जाता। इसलिये पिछड़ी जातियों को भी सरकारी नौकरियों में भरती किया जाना चाहिये ताकि बजट के रूप में भी रुपया उनके पास जाय और जो सरकारी मुलाजिम होंगे उनके लड़कों का अच्छा नतीजा भी होगा और वे कम्पीटीशन में आ सकेंगे। संविधान की धारा १६ (४) के अन्तर्गत कुछ स्थान उनके लिये सुरक्षित किये गये हैं। दूसरे प्रदेशों ने किया है जैसे मैसूर ने ५७ फीसदी पिछड़ी जातियों के लिये और १८ फीसदी अनुसूचित जातियों के लिये। इसी प्रकार केरल ने, मद्रास ने, आन्ध्र ने, बम्बई ने, आसाम ने तथा पंजाब ने पिछड़ी जातियों के लिये संरक्षण दिया है। इसलिये अगर आप चाहते हैं कि वर्गविहीन तथा जातिविहीन समाज बने तो जो शासन यंत्र है उसमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। हमा प्रदेश में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो संविधान बना है उसमें हमको अधिकार दिया है तो हम क्यों न उस संविधान का पालन करें। इनके आदमी नौकरियों में क्यों नहीं आ पाते। पहले से क्या कम लिखे-पढ़े हैं? पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नतीजा क्या होता है कि दूसरे पड़ोसी कहते हैं कि पढ़ कर जब जगह नहीं मिलती तो पढ़ाने से क्या लाभ। इसलिये पढ़ाई को प्रोत्साहन देने के लिये सरकारी नौकरियों में भी उनको जगह देना चाहिये।

(इस समय १ बजकर ३१ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुए।)

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस पवित्र अनुदान पर मुझे जो आपने बोलने की इजाजत दी है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। इस प्रदेश में ७८ फीसदी आबादी हरिजनों तथा बैकवर्ड क्लास की है। लेकिन मैं देखता हूं कि सरकारी नौकरियों में उनको कोई स्थान नहीं है और गजेटेड आफिसर्स जो हैं उनमें तो उनकी संख्या बिल्कुल ही नहीं है।

श्रीमन्, अधिष्ठाता महोदय, पूरे प्रदेश की सरकार किस के हाथ में है। तीन परसेन्ट की आबादी वाले ब्राह्मण जाति के हाथ में है और इस प्रदेश में ३/४ परसेन्ट कायस्थ जाति की आबादी है। वह कायस्थ आज सरकार बना कर मालिक बन गया है। समाज में और सरकार में ब्राह्मण जाति के लोग अपना आधिपत्य जमाये हुए हैं जिससे समाज को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती है।

[श्री भूपकिशोर]

मैं देखता हूं कि जितनी पार्टियां है उनके नेता ऊंची जाति के ह। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री झारखंडे राय ब्राह्मण है। यूनिटी सोशलिस्ट के नेता हैं आचार्य दीपंकर, ब्राह्मण । जनसंघ के नेता हैं राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे, ब्राह्मण । जिस पार्टी से मैं हूं आई० पी० एल० पी०, उसके नेता हैं पंडित श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, ब्राह्मण। पी० एस० पी० के नेता हैं त्रिलोकीसिंह, कायस्थ। सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं राजनारायण, ब्राह्मण। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं डाक्टर सम्पूर्णानन्द, कायस्थ। यह हालत है पार्टियों की। सवर्ण हिन्दू पार्टियों के नेता होते हैं और यहां आकर अपना अस्तित्व कायम करते हैं और फिर अपनी बिरादरी के लड़कों को नौकरी देते हैं अपनी बिरादरी के लोगों को मंत्री बनाते हैं। यह हाल है इन पार्टियों का।

मान्यवर, जो माननीय अछूत और बैकवर्ड जातियों के सदस्य उधर बैठे हैं बैकवर्ड और अछूतों का प्रतिनिधित्व करने के लिये, ये लोग उनके वास्तव में प्रतिनिधि नहीं है; और न मैं उनको उनका प्रतिनिधि मानने को तैयार हूं। ये लोग कांग्रेस पार्टी के चिट्ठीरसा हैं। जो कुछ खबर कांग्रेस सरकार उनको देती है वह बैकवर्ड तथा हरिजनों को बहकाने के काम में लाते हैं। वे वही काम करते हैं जैसे एक पालतू हाथी अपने स्वतंत्र भाई को गुलाम बनाने के लिये करता है।

उस तरह से ये एलेक्शन के जमाने में जा कर बैकवर्ड और हरिजनों को धोखा दे कर कांग्रेस को वोट दिलवाते हैं। मैं पी० एस० पी० के कारनामें बताता हूं जो आज अपोजीशन की नेता बनी हुई है। इसने केरल में क्या किया? जब कांग्रेस केरल में हार गयी तो पी० एस० पी० ने अपना सहयोग देकर केरल में कांग्रेस सरकार बनवा दी। पी० एस० पी० जब जब कांग्रेस को हारते देखेगी तो वह कांग्रेस का साथ देगी। पी० एस० पी० ने वह गद्दारी की है जो जिसके कारण आज वह मुंह दिखाने तक के काबिल नहीं है।

श्री प्रतापसिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही हो तो क्या कोई माननीय सदस्य अपने कीमती समय में किसी एक पार्टी की व्याख्या ही करेगा या अनुदान पर भी बोलेगा ?

श्री अधिष्ठाता---यह तो माननीय सदस्य का दृष्टिकोण है।

श्री भूपकिशोर---अब मैं बताता हूं कि पिछड़ी और अछूत जातियों की तरक्की कैसे हो सकती है। इनकी तरक्की के लिये शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय। ऊंचे से ऊंचे क्लास तक इनकी फीस माफ होनी चाहिये। लड़कों को डिग्री क्लासेज तक वजीफा दिया जाना चाहिये। जितने समाज के मन्दिर हैं उनमें हरिजनों को पुजारी रखा जाय और भंगियों का काम पंडितों को दिया जाय। ५,००० वर्ष से भंगी टट्टी कमाते आ रहे हैं, अब पंडितों से टट्टी को कमवाया जाय तब समाज में समानता आ सकती है। इसके अलावा अगर कांग्रेस गवर्नमेंट हम बैकवर्ड व हरिजनों को ऊंचा उठाना चाहती है तो जो सवर्ण कांग्रेसी हिन्दू हैं उनको अपनी लड़कियों की शादी अछूतों के लड़कों के साथ करनी चाहिये और उन सवर्णों को गजटेड पोस्ट देनी चाहिये जो सवर्ण हिन्दू अपनी लड़कियों की शादी हरिजनों से करें। अगर आप यह नहीं करना चाहते हैं तो जातिपांत को खत्म करने का एक और रास्ता है। जो ऊंची जाति के लोग गजटेट अफसर बनाये जायं उनसे पहले ६ महीने पाखाना कमवाया जाय तब वह न्याय करेंगे नहीं तो वे अन्याय करते हैं, हरिजनों को बढ़ने नहीं देते हैं, उन पर झूठे मुकदमें चलवा देते हैं।

कल मैंने देखा कि जब शिक्षा विभाग के ऊपर बहस हो रही थी तो माननीय पंडित कमलापति त्रिपाठी, जो आजकल छूत और बैकवर्ड क्लासेज के मंत्री हैं ऐसा

भाषण कर रहे थे कि धर्म की स्थापना की जाय । ब्रह्मचारी जी कह रहे थे कि धर्म के आधार पर शिक्षा दी जाय । एक सदस्य उधर के कह रहे थे कि अब तो सभी जातियों के लोग पढ़ने लगे । मैं उनको चैलेन्ज देता हूं, वह इस चीज को नहीं रोक सकते, हमारी बढ़ती हुई तरक्की को वह नहीं रोक सकते । अब वह जमाना भूल जायं जब हमारे कानों में रांगा डलवा दिया गया था और हमको वेद सुनने और पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था । चाहे हमको चीन, रूस को लाना पड़े, चाहे दूसरे कम्युनिस्ट कंट्रीज को लाना पड़े, अगर ये लोग इस तरह की बदमाशी करेंगे तो हम उनसे मदद लेंगे । अगर इन गद्दारों को खत्म करने के लिये हम किसी कम्युनिस्ट कंट्री को ले आयेंगे तो कोई बुरा नहीं करेंगे क्योंकि सवर्णों ने भी अपना स्वार्थसिद्ध करने को मुगलों को लड़कियां दी थीं । सरकारी नौकरियों में बैकवर्ड (अछूतों) को ज्यादा स्थान दिये जाने चाहिये । जब अंग्रेज यहां था तो ३,२०० गजटेड अफसर थे जिनमें से ३४ बैकवर्ड जातियों के थे, लेकिन आज जब ५,२०० गजटेड अफसर हो गये तो सिर्फ २४ ही बैकवर्ड रह गये । इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता ।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि इस अनुदान पर आपने मुझे अपने विचार प्रगट करने का अवसर दिया है । वैसे तो यह अनुदान इस विभाग का प्रतिवर्ष आता है और करीब-करीब इसमें तीन-चार घंटे हर साल बढ़ाये जाते हैं जिससे सभी माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रगट करने का मौका मिल जाता है और सभी माननीय सदस्य, चाहे हरिजन हों या सवर्ण हों, अपने विचार प्रगट करते हैं । जहां तक हरिजनों का प्रश्न है, हमारी सरकार ने इनके उत्थान के लिये काफी प्रयत्न किया है उनमें जो कमियां थीं उनको पूरा किया है और इस गरीब जनता को काफी उबारा है । परन्तु खेद इस बात का है कि हमारी सरकार कागज पर करोड़ों रुपया हरिजनों के लिये दिखाती है कि इतना रुपया हरिजनों के ऊपर खर्च किया जायगा । परन्तु इस गरीब जनता का दुर्भाग्य यह है कि सिवाय सरकारी अफसरों के खर्चे के इनके ऊपर कुछ खर्च नहीं हो पाता है । लखनऊ में ही यह विभाग है और इसमें इतने अफसर भरे पड़े हैं कि जिसका भगवान ही मालिक है और मुश्किल से १०० में २५ रुपये हरिजनों पर खर्च हो पाते हैं । हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि इन अधिकारियों को हटाओ और केवल चार अधिकारी ही काम कर सकते हैं । लेकिन बराबर इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है । एक प्रचार विभाग है और एक समाज सुधार विभाग है इनमें बहुत से अधिकारी हैं और उनकी तनख्वाहें भी ५०० रुपये से लेकर १,००० रुपये तक हैं । उनके भत्ते के फीगर्स देखें तो मालूम होगा कि कितने रुपयों का अपव्यय हो रहा है । इस सदन के माननीय सदस्य भी ऐसा प्रचार करते हैं कि हम तुम्हारे लिये यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, लेकिन करते कुछ नहीं हैं और अपने वोट लेने के लिये उनको सब्जबाग दिखाते हैं ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, छुआछूत का सवाल मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि आज एक हरिजन दूसरे हरिजन से छुआछूत करता है । ब्राह्मणों की व्याख्या की गई कि उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है जो दूसरी कौमें नहीं कर सकती हैं । वह इसलिये त्याग कर सकते हैं कि अगर कुछ नहीं है तो वह लुटिया डोर लेकर ही चल देंगे और कहेंगे कि जजमान की जय हो और भोजनालय में भोजन बनाना शुरू कर देंगे । इसलिये मैं कहता हूं कि ब्राह्मण तो सदैव से गुरू रहे हैं और रहेंगे । उनके लिये कुछ कहना गलत है । स्वामी दयानन्द जी ने यह चीज उठाई कि यह जो गरीब और दलित-वर्ग है इसको उठाया जाय । इन सबको मिलाओ और सब एक दूसरे को भाई-भाई समझें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरीसिंह]

इसका भी उदाहरण देना चाहिये था । किसी वर्ग पर कटाक्ष करना ठीक नहीं है । इसी से उद्धार नहीं होता है । हमें देखना यह है कि हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है और हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ।

हरिजनों के प्रति सरकार का धर्म क्या था ? सबसे पहला तो यह था कि हरिजनों को भूमि मिलनी चाहिये थी । लेकिन यह कुछ नहीं हुआ । इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें भूमि दी जाय और इतनी भूमि दी जाय जिससे कि हम उसमें उत्पादन कर सकें और उससे देश का अन्न भी बढ़े । इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है । एक इंच भी भूमि सरकार ने हरिजनों को नहीं दी है । जो कुछ मिली है वह भूदान समितियों से मिली है और उसके अलावा कुछ नहीं है । नौकरियों में आज तक उनके सुरक्षित स्थानों की पूर्ति नहीं हो रही है । उसके लिए विभाग भी खुला हुआ है उस रिजर्वेशन की पूर्ति को देखने के लिए, करोड़ों रुपया उस पर बरबाद होता है, लेकिन कहीं भी किसी भी विभाग में रिजर्वेशन की पूर्ति नहीं होती । यहां पर माननीय सदस्य बराबर कहते रहते हैं । मन्त्रिगण सुनते हैं, सरकार जानती है और कांग्रेस पार्टी भी तो इसी लखनऊ में रहती है, वह भी जानती है, कि इनका रिजर्वेशन पूरा नहीं होता, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाती । पुलिस विभाग में हर साल १३, १४ जगहें रिजर्वेशन की होती हैं लेकिन मुश्किल से तीन चार लिये जाते हैं । बाकी के लिए कह दिया जाता है कि काबिल नहीं हैं । इसी तरह बड़ी-बड़ी इंजीनियर, प्रोफेसर आदि के लिए होता है । पता नहीं इनके लिए कोई कालेज दूसरा होता है या क्या होता है ?

असल में बात यह नहीं है, बात यह है कि यह देश हमारा था । इस पर हमारा शासन था । उस पर इन विदेशियों ने आकर अधिकार किया और हम पर शासन किया । हमारा शोषण किया । यही बात जब-जब विदेशी आये तो हम पाते हैं । तो इसलिये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमको स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, किसी की सहायता के लिए हमको बैठे नहीं रहना चाहिए । यह जो कहा गया कि अपने उत्थान के लिए रूस और चीन के गुलाम बनने की बात, तो गुलाम तिलाम, चौलाम पंचलाम कुछ भी हो, मैं यह नहीं जानता । मैं तो यह समझता हूं कि हम इस देश के रहने वाले हैं, किसी भी विदेशी को हम यहां आने नहीं देंगे और न हमने आने दिया है । अपना उत्थान हम अपने बल पर कर लेंगे ।

मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा फिर निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि कृपा करके इन अधिकारियों को निकालें । आप बैठे हुए हैं दफ्तर में स्वयं, मैं आपसे ही कह रहा हूं कि जितनी अन्धेरगर्दी आज हरिजन विभाग में है उतनी और किसी विभाग में नहीं है । समाज सुधार इस तरह कानूनों के जरिये नहीं हुआ करता है । उसकी तो हवा आती है, वह स्वतः होता है और होता रहेगा । आज आप स्वयं देखें कि कितनी इंडस्ट्री आपने हरिजनों के लिए खोली है ?

हां, एक बात के लिए मैं अवश्य आभारी हूं, शिक्षा के लिए । आपने शिक्षा में हरिजनोद्धार के लिए काफी किया । लेकिन यह काम आपसे पहले सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी और अछूतोद्धार समितियों ने शुरू किया था । आपकी हुकूमत तो आज हुई है । फिर भी इसमें आपने बहुत कुछ किया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रचार मंडली बनाइए, और उसी तरह के काम कीजिए, उससे कुछ फायदा हो सकता है । लेकिन यह जो दफ्तर आपने खोल रखा है, उससे कोई समाज सुधार होने वाला नहीं है । मैं फिर आपसे कहूंगा कि अफसर कम हों, कम हों, कम हों । यह विभाग बन्द हो और वाकई में जो अनुदान आप आज हरिजनों के लिए दे रहे हैं, वह हरिजनों पर खर्च हो । प्लानिंग में आप रुपया रखते हैं, अफसरों

के पास वह मारे-मारे फिरते हैं, और काम एक नहीं होता है। तो यह आप समाज सुधार कर रहे हैं या यह समाज–बिगाड़ हो रहा है ? इससे कोई हरिजनों का उपकार होने वाला नहीं है । यदि आप हरिजनों का वाकई उद्धार चाहते हैं और हरिजन ही नहीं बल्कि कोई भी इस प्रान्त का गरीब निर्धन आदमी हो, तो उस सबके लिए पहले आप भूमि का प्रबन्ध कीजिए ।

जहां तक शादी विवाह की बात है, हमने यह खुद किया है। हमने कई शादियां करा दीं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरी जाति वाले हरिजनों को लड़कियां दें और उनकी लड़कियां लें, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने यह भाषण दिया उन्होंने स्वयं इसके लिए क्या किया ? इसके लिए जब तक हृदय नहीं बदलेगा, तब तक केवल कायदे कानूनों से कोई काम नहीं चलेगा । तो मेरा यह निवेदन है कि आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्य कम से कम एक दो उदाहरण स्वयं उपस्थित करें जिससे कि इस सदन में कहने का मौका मिले और पत्रों में यह प्रचार हो । जो हमारे शुभचिन्तक हों, वह स्वयं आगे आयें तो जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिये मेरा निवेदन है जो हरिजन मंत्री हैं उनसे कि हे महाराज, हरिजन नाम तो हमारा आपने रख ही दिया है, हरिजन के क्या-क्या अर्थ होते हैं यह मैं बताना नहीं चाहता, आप सबसे पहले इन्हें जमीन दिलवाइए और नौकरियों में इनका रिजर्वेशन पूरा करवाइए। इस विभाग को तोड़िए। उससे कोई लाभ नहीं होगा। इनका सुधार कीजिए जैसे कि आर्य समाज और अन्य अन्य संस्थायें कर रही हैं।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजनारायण द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज हरिजन और पिछड़ी जाति की जो हालत है उसके सम्बन्ध में बापू जी ने कहा था कि यह समाज का बहुत बड़ा कोढ़ है, यदि यह हमारे भारत से नहीं हटा तो यह देश के लिये बहुत बड़ा कलंक है। उसके लिये हमारी सरकार ने क्या किया है जो गांधी जी के नेतृत्व में गान्धी जी की दुहाई देकर आज असेम्बली और पार्लियामेंट में आई हुई है ? आज हमको इस सरकार के कारनामों को देखना है कि कहां तक वह उनके लिये क्या कर रही है। जैसा कि हरि सिंह जी ने कहा है कि ब्राह्मण देश का नेतृत्व करने के लिये पैदा हुआ है, मैं इसको हर्गिज मानने के लिये तैयार नहीं हूं। जिस प्रकार से यह कहा गया है कि "उत्तम खेती मध्यम बान निषिद्ध चाकरी भीख निदान" तो आप देखेंगे कि ७५ फीसदी ब्राह्मण आज भीख मांगते हैं और जरायम पेशा अपना कर आज जेलों के अन्दर इसी कौम के अधिक लोग पड़े हुए हैं। हरिजन कौम बहुत कम भीख मांगती है और बहुत कम जेलों के अन्दर है। आज अपार शक्ति देश के अन्दर पड़ी हुई है। उस शक्ति का उपयोग यह सरकार नहीं करती है। सरकार के ऊपर यह कलंक का टीका है। आप गौर करके देखें कि जब किसी आदमी की आर्थिक हालत दुरुस्त हो जाती है तो वह अपने बच्चों के पढ़ने का इन्तजाम खुद कर लेता है। वह अपना मकान बना सकता है। वह अपने चरित्र को सुधार सकता है। लेकिन हमारी सरकार ने हरिजनों की हालत को सुधारने के लिये क्या किया और हमारी माली हालत को सुधारने में इस सरकार ने क्या काम किया है।

हरिजन विभाग जो खोला गया है वह एक ऐसा गऊशाला है जिनमें गाय का दूध गौशालाओं का अधिष्ठाता पीकर अधिक मोटा हो जाता है। वही हालत आज हरिजन सहायक विभाग की है। आप इस सरकार के कारनामों को देखिये कि जब जमींदारी विनाश हुई तो भूमि किनको दी गयी है ? जिनके पास सैकड़ों एकड़ भूमि है उनको वह दी जाती है। आज मंत्री जी सर्वेक्षण करा कर देख लें कि भूमि किनको दी गई है। हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको भूमि दी गई है। आज यह जाति उपेक्षित है हजारों और लाखों वर्षों से। इसी कारण से इसके दिमाग को पस्त किया गया है। आज उसकी ताकत को न जानकर एक अच्छे महावत की तरह सीने पर बैठकर इसे लिये जा रहे हैं। हमको गौरव

[श्री दुर्योधन]

है कि हमारी हरिजन जाति का एक-एक व्यक्ति इस मुल्क का रक्षक है । हमको इस मुल्क में ज्यादा पैदा करने का ख्याल है और इस मुल्क को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं ।

हमारे एक साथी ने कहा है कि रूस और चीन को हम बुलायेंगे लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि हम लोग और हमारी हरिजन जाति कभी भी इस चीज़ को बरदाश्त नहीं करेगी । किसी दूसरे मुल्क की हुकूमत हम अपने देश में नहीं आने देंगे और अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे । अगर कोई हमारे हकों पर कुठाराघात करता है तो मैं कहता हूं यह ठीक बात नहीं है । हमको यह प्रयत्न करना चाहिये कि हमारा देश और देशों के मुकाबले में ज्यादा उन्नतिशील हो । आप जानते हैं कि हरिजन ज्यादा संख्या में खेत जोतते हैं और उसी से अपनी रोजी चलाते थे लेकिन आपने एक कानून बना दिया कब्जे का । आप जानते हैं कि जो भूमि आज है वह ब्राह्मण क्षत्री और दूसरी ऊंची जाति के पास है जो हल नहीं चलाते हैं अपने हाथ से । उन लोगों के पास उस समय वही जमीन को जब कि कोई प्रतिबन्धात्मक कानून नहीं था । अधिया बटाई पर हरिजनों को दी जाती थी और वह पैदा करते थे । लेकिन आज हालत यह है कि खेत वाला बो नहीं पाता है, जमीन परती रह जाती है । लेखपाल को १० रुपया दे देता है खेत वाला और फर्जी परताल कराता है, जिसका नतीजा यह होता है कि मुल्क में पैदावार घटती है और हरिजन भी मारे जाते हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि भूमि सम्बन्धी कानून में तब्दीली की जाय । सीलिंग की जाय और जो आप उचित समझें, ३० या ३५ एकड़, वह रख दें लेकिन यह आसानी जरूर दे दें जिससे कि वे चाहें जुतवावें, बुआवें और ऐसा करने से मुल्क में पैदावार बढ़ेगी ।

मैं यह नहीं कहता कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है । जो पुस्तिका बंटी है उसमें लिखा है कि नौकरियों के लिये सरकार जांच करवा रही है कि किस महकमें में कितनी कमी है हरिजनों की और उसको पूरा करने के लिये सरकार कोशिश करेगी ।

नैतिक उत्थान के बारे में आप देखिये । मैंने बहुत से स्कूलों का निरीक्षण किया है और जो हरिजन बच्चे हैं वहां उनको अब भी ऊपर से पानी पिलाया जाता है । हजारों करपात्रियों को रोज जन्म दिया जाता है और वहां हरिजन बच्चों को कोई सहूलियत नहीं है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे अध्यापकों को तुरन्त निकाल दिया जाय कि जिनमें इस प्रकार की भावना हो । जैसा हमारे भाई ने कहा, अंतर्जातीय विवाह के लिये लोगों को प्रोत्साहन दिया जाय और कोशिश की जाय कि जो लोग अंतर्जातीय विवाह करें उनको उच्च से उच्च पद दिया जाय ।

माननीय अधिष्ठाता जी, एक बात और कहूंगा । गांव में जो खेतिहर मजदूर रहते हैं उनमें ज्यादातर हरिजन और बैकवर्ड हैं । सरकार को कम से कम इतना कानून अवश्य ही बना देना चाहिये कि उनकी कम से कम मजदूरी कितनी होनी चाहिये । मेरी सरकार से सिफारिश है कि जितनी मजदूरी वह उचित समझे, तय करके एक कानून उसके लिये बना दे ताकि जो मजदूर वहां काम करते हैं वे भरपेट रोटी पा सकें । क्योंकि जब तक उसको रोटी नहीं मिलेगी तब तक उसमें शक्ति नहीं होगी और उस समय तक वह ठीक से फावड़ा नहीं चला सकेगा और खेती का काम अच्छा नहीं कर सकेगा । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार शीघ्र ही ऐसा कानून बना दे कि कम से कम इतनी मजदूरी एक खेतिहर मजदूर के लिये होगी ।

पानी पीने के कुएं के बारे में सरकार से निवेदन करूंगा कि विकास खंडों में जो कुएं बनते हैं उनमें यह नियम है कि जब तक कुछ कुआं नहीं बनाकर तैयार कर लेते तब तक उनको अनुदान नहीं मिलता । हरिजन बड़े गरीब होते हैं और इसलिये उनको इतनी सहूलियत दी जानी चाहिये कि उनको ईंटा, सीमेंट आदि कुंवा बनाने के लिये मिल जाय । आप रुपया न दें, रुपया बाद में दें, लेकिन कुछ सामान उनको पहले ही मिल जाना चाहिये ।

पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारे हरिजनों का कोई प्रतिनिधि नहीं है । उस विभाग में भी हमारे हरिजनों का कोई ऐसा आदमी रहना चाहिये कि जो वहां अपनी मांगों के बारे में कुछ कह सके ।

नौकरियों के संबंध में, जैसा कि हमारे बहुत से साथियों ने कहा है, हमारी प्रगति बहुत धीमी है । सरकार को चाहिये कि उनका प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा जल्दी ही बढ़ाये ।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलनें का मौका दिया । मान्यवर सबसे पहले मैं परिगणित जाति के छात्रों की कठिनाइयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मान्यवर, उच्च कक्षाओं में, कालिजों और विश्वविद्यालयों में जब पहले-पहल परिगणित जाति के छात्र जाते हैं तो उनसे शुरू में ही ५०-६० रुपया फीस आदि का मांगा जाता है और वह एक साथ लिया जाता है । इसका नतीजा यह होता है कि वे विद्यार्थी जो गरीब होते हैं वे उसे नहीं दे पाते हैं । सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि शुरू में उनसे इतना पैसा न लिया जाय ।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है वह छात्रों को समय से नहीं मिल पाती है । हमारे यहां यह आम शिकायत है कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें पिछले साल केन्द्रीय सरकार से स्कालरशिप मिली थी और वह अब तक उनको नहीं मिली है । मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वे लोग प्रिन्सिपल महोदय के पास गये लेकिन उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली । अभी कुछ दिन पहले, मुझे मालूम हुआ, यहां से उसके लिये आदेश भी गये किन्तु आज ही मेरे पास एक पत्र आया है एक विद्यार्थी का, जिसमें उसने लिखा है कि प्रिन्सिपल हमसे कह रहे हैं कि वह आदेश उनके पास अभी तक नहीं पहुंचे हैं । तो मान्यवर, सरकार को इसके लिये कोई व्यवस्था करनी चाहिये और जिला विद्यालय निरीक्षक या जिला हरिजन कार्यालय के द्वारा यदि सम्भव हो सके तो यह छात्र-वृत्ति दिलवायी जानी चाहिये । एक चीज और होती है जिसके बारे में कहना चाहता हूं । जब यह छात्रवृत्ति दी जाती है तो उनसे एक माह की छात्रवृत्ति ले ली जाती है स्कूल के चन्दे के नाम पर या और दूसरे कामों के लिये । इस तरह से उनसे करीब ५०-६० रुपया ले लिया जाता है । इस तरह से हमारे विद्यार्थी पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं । इसके अलावा वहां पर और भी महंगाई के नाम से ८ आना महीना लिया जाता है । प्रिन्सिपल महोदय कहते हैं कि उनको वह पैसा सरकार से नहीं मिलता है । उनसे पुअर फंड लिया जाता है जब कि वह विद्यार्थी स्वयं गरीब होता है । इसी तरह से साइन्स फीस काफी ली जाती है और वह गरीब जो उस फीस को देने में असमर्थ होता है, साइन्स की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है । इसलिये सरकार की ओर से यह व्यवस्था होनी चाहिये कि जो भी इस प्रकार के शुल्क लगाये जाते हैं उनसे इन विद्यार्थियों को मुक्त कराया जाय ।

मान्यवर, एक और चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि गत वर्ष जुलाई में गंगा नाथ झा होस्टल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी आई० ए० एस० के विद्यार्थियों के साथ उनके साथ कई प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, उनको गालियां दी गयीं और बिजलियां भी काट दी गयीं वहां इस प्रकार की घटनाएं होना, जहां कि मद्रास और केरल आदि प्रदेशों से छात्र आये हुए हों, हमारे लिए लज्जा की बात है ।

तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि के लिये जो रुपया हरिजनों को दिया जाता है उससे वे बहुत कम फायदा उठा पाते हैं । मेरा सुझाव यह है कि ज्यादातर रुपया गांवों में कुंएं बनाने के लिए दिया जाय । मैं दूसरे जिलों की बात नहीं जानता, लेकिन आज भी मेरे जिले में प्रत्येक गांव में हरिजनों की आबादी जरूर अधिक है । दो

[श्री माता प्रसाद]

तीन गांव में एक गांव जरूर ऐसा होता है जहां हरिजनों के लिये कुएं नहीं हैं। उनको बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। इसलिये सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जितने भी ऐसे गांव जहां कुओं की आवश्यकता है उनकी एक सूची बनाकर सरकार को कुए बनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।

चौथी चीज, कुंओं के बाद उद्योगों के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारे हरिजन सहायक विभाग से बहुत थोड़ा अनुदान दिया जाता है। साल में दो बार अनुदान दिया जाता है लेकिन हमारे जिले में मुश्किल से ८–१० आदमियों को ही मिल पाता है दोनों बार में। इस तरह से वह अपर्याप्त होता है। कुओं और उद्योगों के लिए जितनी ज्यादा सहायता दी जाय उतनी ही कम है।

मान्यवर, पांचवीं चीज मुझे यह कहनी है कि यहां पर अभी पूर्व वक्ता हरी सिंह जी ने कहा कि जब तक भूमि की समस्या हल नहीं होगी तबतक हरिजनों की समस्या हल नहीं हो सकेगी। खेती की बात तो दूर रही, आज उनको बसाने की सबसे बड़ी समस्या है। वह आज जहां पर बसे हुए हैं उनके घरों के चारों तरफ प्रायः दूसरे लोगों के खेत है और दूसरे लोग हमेशा उनको एक तरह से धमकी दिया करते हैं कि अगर तुम हमारा काम नहीं करोगे और दबाव में नहीं रहोगे तो उसका नतीजा भोगना पड़ेगा। उनको हर तरह से परेशान करते हैं। तो इस तरह से उनके घरों की सबसे बड़ी समस्या है। सरकार को चाहिए कि उनके घरों की समस्या को हल करे। आज उनकी अपनी भूमि न होने के कारण परेशानी होती है। उनकी आबादी निरंतर बढ़ रही है। यद्यपि ग्राम सभा की ओर से ऐसी व्यवस्था है कि भूमिहीनों को जमीन दी जाय लेकिन ग्राम कमेटियां जो होती हैं वह उनको जमीन नहीं देती है। ऐसा नियम सरकार को बनाना चाहिए कि ग्राम समाज जमीन न दे तो सरकार जिलाधीश या दूसरे अधिकारियों द्वारा अगर जमीन हो तो उसको कब्जे में कराकर उनको दिलवाये। जैसा कि श्रीकान्त साहब की रिपोर्ट आ चुकी है उसमें लिखा हुआ है कि कृषि के लिए उनको जमीन दी जानी चाहिए और बसाने के लिए भी दी जानी चाहिए, तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

एक बात मैं अपने जिले की कहना चाहता हूं कि हमारे जिले की एक समस्या कुओं की है, वहां पर करीब ५६,००० हरिजन सहायक कमेटी से अनुदान पर मंजूर कर दिये गये एक नियोजन अधिकारी के जमाने में, लेकिन कमेटी के पास रुपया नहीं था, इसलिए हरिजनों ने ऋण लेकर कुएं बनवा लिये थे। अब सूद बढ़ रहा है और हरिजन परेशान हैं। हमारा ख्याल है कि वाराणसी में जो कमेटी हुई थी वहां भी इस तरह की मांग रखी गयी थी और कहा गया था कि देने के लिये, तो मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इस तरह से जो रुपये की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)––अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं आपने इस मौके पर मुझे अपनी राय जाहिर करने के लिये अवसर प्रदान किया। माननीय राजनारायण जी की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज हरिजनों के उत्थान के लिये कुछ माननीय सदस्यों ने उधर से भी और इधर से भी अपने विचारों को रखा है और मैंने बड़े गौर से उनकी बातों को सुना। अभी अभी एक माननीय सदस्य वाल्मीकि जी ने यह बात कही कि कुछ हरिजन लड़कों को लेकर मैं आफिस में गया, उन दरवाज़ों को खटखटाया, लेकिन वह नहीं लिये गये, जबकि इसी सदन में प्रश्न करने पर यह जवाब दिया जाता है कि इनमें कोई योग्यता नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, पिछड़ी हुई और अनुसूचित जातियों की समस्याओं का हल और उत्थान तभी होगा जबकि सरकार उनको राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इन तमाम विषयों की

ओर ध्यान देगी। यह जो अनुदान दिये जाते हैं इनसे थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है लेकिन इससे समाज का उत्थान नहीं हो सकता। समाज का उत्थान उसी समय हो सकता है जबकि उनकी आर्थिक दशा सुधरे, उनकी राजनैतिक और सांस्कृतिक हालत सुधरे और समाज के अन्दर विषमता मिटाई जाय, असमानता मिटाई जाय और उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। मैं सदन के समक्ष कहना चाहता हूं कि हरिजन कह देने से और अनुदान दे देने से समाज का उत्थान नहीं होने वाला है, इसमें पूंजीपतियों की चाल है। जब भी गरीब, समाज में अपने हुकूक को पहचानकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो पूंजीपतियों की पहली देन यह होती है कि उसने उसके सामने चन्द टुकड़े फेंक दिये और उन टुकड़ों को लेने में वह अपनी लड़ाई को छोड़ देता है।

श्रीमन्, नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा सहकारिता के द्वारा खेती करने का नारा दिया गया था और उसके बाद हदबन्दी लाई गई लेकिन वह बिल अभी प्रवर समिति के सामने है। वह बिल कभी सदन के समक्ष आयेगा ही, लेकिन मुझे विश्वास है कि उसके द्वारा एक बिसवा जमीन भी किसी गरीब को नहीं मिलने वाली है। वह जमीन जहां बंटनी थी वहां बंट चुकी है। वह जमीन मिट्टी के देवताओं के पास ही हमेशा रहेगी जो कभी भी खेत में कदम नहीं रखते और न यह जानते हैं कि कैसे खेती की जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि जबतक जमीन, खेती के जो डाक्टर हैं बैरिस्टर हैं वकील हैं, हरिजनों के पास नहीं होगी तबतक इस देश का उत्थान नहीं हो सकता। मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर पिछड़ी जातियों का उत्थान रुका रहा तो पूंजीपतियों को भी कभी बुरा दिन देखना पड़ेगा। अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहांतक हो सके उनकी आर्थिक हालत पर ध्यान दिया जाय। मिसाल के लिये पूरब में अगर बनारस डिवीजन को ले लिया जाय तो उसमें गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया वगैरह यह जिले आते हैं, वहां पर यह परम्परा रही है, अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां अपनाई थी कि वह इलाका पनपने और आगे बढ़ने न पाये और उनकी नीति यह थी कि इन जिलों में किसी किस्म के उद्योगधंधे न खोले जायं ताकि यहां के ज्यादा से ज्यादा लोग बेकार और भुखमरी के शिकार हों और दूसरे देशों, अमरीका, अफरीका में मजदूरों की जरूरत पड़ने पर इनको वहां भेजा जा सके। मुझे दुख है कि आज भी उस रवैये में तब्दीली नहीं हुई है। मुझे इस बात की अवश्य खुशी है कि आज बनारस जिले से हमारे दो मिनिस्टर हैं, श्री कमलापति त्रिपाठी और हमारे मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि बनारस में तरक्की होनी चाहिये लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर को बिल्कुल छोड़ दिया जाय और उनकी ओर जरा भी ध्यान न दिया जाय, यह उचित नहीं है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह खासतौर पर इन पिछड़े हुये इलाकों पर ध्यान दें और वहां पर तरह-तरह के उद्योग धंधे खोलने की कृपा करें। मान्यवर, उद्योगों में खासतौर से हरिजनों को सहायता दी जाय, यह मेरा निवेदन सरकार से है।

कहने के लिये नाममात्र की बात है कि हमारे चन्द छात्रों को शिक्षा दी गई लेकिन इससे समाज को तरक्की नहीं हो सकती है। थोड़े से छात्रों को छात्रवृत्तियां देने से काम नहीं चल सकता है। जब तक शिक्षा प्रणाली को उस रूप में हम न कर दें जिससे हरिजन और पिछड़े हुये लोग यह न समझने लगें कि इस समाजवादी ढांचे में उन्हें कैसे रहना है तब तक शिक्षा से कोई लाभ नहीं। आज हरिजनों का ईमान पैसे पर खरीद लिया जाता है। वह नहीं समझ पाता है कि समाजवादी विधान में उसका क्या अधिकार है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने हरिजनों के लिये कुंओं का सवाल उठाया। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सारे यू० पी० का सर्वे कराया जाय और वह देखें कि कितनी हरिजन बस्तियों में कुंए नहीं हैं। उसके बाद पी० डब्ल्यू० डी० के सुपुर्द कुएं बनाने का काम कर दिया जाय क्योंकि हरिजनों के पास पैसा नहीं है। कुएं खोदने से पहले उन्हें सामग्री दी जाय, तभी इनकी समस्या कुछ संभल सकती है।

[श्री रघुवीर राम]

पूर्वी इलाके में, खास तौर से, आजमगढ़ में करीब ६,००,००० हरिजन हैं। इसी तरह से गाजीपुर और बलिया में हैं। लेकिन वहां किसी प्रकार का उद्योग नहीं खोला गया। वहां कम से कम खाद बनाने का ही एक कारखाना खोल दिया जाय। लेकिन जो कुछ तरक्की हो रही है वह बनारस में ही है। मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं लेकिन हमारे इन जिलों पर ध्यान दिया जाय, यह मैं चाहता हूं। बलिया, गाजीपुर, देवरिया, बस्ती और जौनपुर की तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

अस्पृश्यता निवारण की बात है। गांवों में लोग जाते हैं और कुछ पुस्तकें बांटी जाती हैं। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पुस्तकें भी नहीं पहुंच पाती हैं। हालत यह होती है कि इस विकास में उनको कोई रोशनी नहीं। जब तक यह बिषमता दूर नहीं होगी, समाज में तरक्की नहीं हो सकती। बहुत से माननीय सदस्यो ने अपने भाषण में कहा है कि जाति-पांति समाप्त कर दी जाय। मैं आपके द्वारा यह आग्रह करूंगा कि उन्होंने इसे खत्म करने की कितनी कोशिश की है। मैंने तो देखा है कि कुएं पर चढ़ना और चारपाई पर बैठना भी उनके लिये पाप है और बैठे हुये मिल जाते हैं तो बुरी तरह से पीटे जाते हैं।

*श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)---जनाबे सदर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं गवर्नमेंन्ट के अनुदान के समर्थन में बोलूंगा और कुछ सुझाव भी दूंगा। थोड़े दिन की बात है कि हम लोगों ने मिल कर अंग्रेजों को यहां से निकाला था और यह सोचा था कि इससे फायदा होगा। हिस्ट्री देखने से मालूम होता है कि शूद्र यहां के असली बाशिन्दे थे। क्या उस दिन का इन्तजार किया जा रहा है कि जो यहां के बाशिन्दे नहीं हैं उन्हें निकाल दिया जाय? मैं गवर्नमेंन्ट से अर्ज करूंगा कि वह ऐसी फिजा न पैदा होने दे। किसी ने यह नहीं कहा कि गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है वह उससे बहुत सैटिसफाइड है। आखिर गलती कहीं जरूर है और अगर वह नहीं निकाली गई तो वह कहां तक जावेगी और उसका क्या नतीजा होगा? ये सब बातें सरकार के सोचने की हैं।

जब यहां अंग्रेज थे तब भी आफिसेज में हमारे ही भाई बन्द थे। लेकिन उस वक्त उन्होंने गवर्नमेंन्ट को उलटने के लिये पूरा प्लान बना लिया था। इस समय भी मैं अफसरों की मैन्टेलीटी को देखकर कह रहा हूं कि मजे तो वे मारते हैं आपके सहारे से, लेकिन वे साथ-साथ आपको बदनाम भी करते जा रहे हैं। मैं इसके सबूत दूंगा। यहां से आपने आदेश दिया है कि इतनी परसेंट हरिजनों की संख्या होनी चाहियें। सेंट्रल गवर्नमेंन्ट का भी कुछ ऐसा ही आदेश है, लेकिन आज जब गवर्नमेंन्ट का आर्डर उसके अफसर ही नहीं मानते हैं तो मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि जिस दिन वह जरा कमजोर हो जायगी उस दिन उसके ये अफसर कैसे उसका साथ देंगे। यह माना कि डेमोक्रेसी में कलेक्टिव जिम्मेदारी है, एक मिनिस्टर की पूरी जिम्मेदारी नहीं कही जा सकती। फर्क सिर्फ १९-२० का है। लेकिन रिस्पांसीबीलीटी पूरी मिनिस्टर्स की है चाहे काम करें दूसरे लोग। इसलिये वे अपने को जरा टाइट करें, तभी वे दूसरों को टाइट कर सकेंगे।

एक बात मैं और कहूं। लार्ड मैकाले के जमाने में जब फर्स्ट ला कमीशन रिपोर्ट तैयार हो रही थी--उसका चेयरमैन लार्ड मैकाले था उस समय यहां यह कानून था, उसने लिखा है रिपोर्ट में, अंग्रेज किसी भी इंडियन के खिलाफ किसी भी अदालत में जा सकता था लेकिन इंडियन के लिये किसी भी अंग्रेज के खिलाफ जाने का मौका नहीं था। उस कमीशन के तीन मेम्बर थे। इंडियन्स के लिये दो शर्तें थीं। एक तो अगर मुकदमा ५०० रु० से ज्यादा का होगा तब वह अंग्रेज के खिलाफ जाय। दूसरी बात यह थी कि वह केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता था जो कलकत्ते में काम करती थी। लार्ड मैकाले ने लिखा था कि "Indians are getting less than justice while others are enjoying more than justice. ट्रांसलेशन इसका यह है कि हिन्दुस्तानियों को कम न्याय मिलता था और दूसरों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ज्यादा न्याय मिलता था। आज बिलकुल वही अछूत के साथ हो रहा है। मैं आपकी बात को ही कह रहा हूं। आपने वायदा किया कि अछूत इतने प्रतिशत लिये जायेंगे लेकिन क्या किसी भी डिपार्टमेंट को आप बता सकते हैं जहां उतने परसेंट अछूत हों ? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों ? शिड्यूल्ड कास्ट के ऊपर अन्याय हो रहा है और दूसरे लोग मजा मार रहे हैं। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मैं अर्ज करूंगा कि आप इस प्वाइन्ट पर ज्यादा जोर दें।

हिन्दुओं में एक तबका है। जब तक शिड्यूल्ड कास्ट वाला अपने को हिन्दू कहता है तब तक कास्ट हिन्दू उसको धक्का देता है लेकिन जैसे ही वह अपने रिलीजन को परिवर्तन कर लेता है, वह उसकी गरदन पर भी सवार हो सकता है। गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिये और शिड्यूल्ड कास्ट वालों को यह मौका कहने का नहीं देना चाहिये कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है।

सोशल एटमासफियर चेन्ज करने के लिये मुझे यह कहना है कि एक दो भाइयों ने कहा कि इन्टर कास्ट मैरेज होनी चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक यह पासिबिल नहीं है कि कास्टिज्म जाय। एक गुलामी ने हमको छोड़ दिया, लेकिन दूसरी गुलामी हमारी चली आ रही है। जब तक हम इसको खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारी गुलामी खत्म नहीं हो सकती। इसके बारे में हमारा सुझाव यह है कि जितने भी स्कूल और कालेज हैं उनमें जो लड़के पढ़ने के लिये जाते हैं उनके नाम के आगे सरनेम न लिखा जाया करे। अगर आप इतना करेंगे तो कास्टलेस सोसाइटी कायम करने में बहुत काम करेंगे।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं वह यह कि अगर आप इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते तो जिस प्रकार हिन्दुओं में ये लोग शिड्यूल्ड कास्ट कहलाते हैं उसी प्रकार बाहर के देशों के बीच में हिन्दुस्तान भी हरिजन और शिड्यूल देश के नाम से पुकारा जायगा।

इन लोगों की मदद करने के लिये आप जमीन देने को कहते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप इन लोगों को जमीन न दे पायेंगे। यह केवल आप उनको भुलावे में रखने के लिये कह रहे हैं, उनको फंसाने के लिये हरा चारा फेंक रहे हैं। अगर आप उनके साथ कुछ कर सकते हैं तो यह कीजिये कि उनको छोटी मोटी इंडस्ट्रीज में काम दीजिये, नौकरी दीजिये। वे सब काम कर सकते हैं। आप आज्ञा कर दीजिये कि फोर्थ ग्रेड सन्वेंटस् सिर्फ अछूतों में से ही रखे जायेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में यदि इन शियेटिव नहीं है तो सेन्ट्रल मिनिस्टर्स से इनीशियेटिव आप लें। इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। अगर हमारे पास अक्ल न हो तो हम जाकर किसी वकील को करते हैं और उसकी अक्ल किराये पर लेकर अपना काम चलाते हैं। यह दूसरी चीज है कि हम न लें। इसलिये हमारा कहना यह है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि श्री जगजीवन राम जी जिस विभाग के भी मिनिस्टर रहे, लेबर के रहे, पी० ऐंड टी० के रहे या रेलवे के रहे, लेकिन क्या मजाल कि उनके यहां यह कमी तो हो जाय। जिस ब्रांच में भी वे रहे, जिस ब्रांच को भी उन्होंने पकड़ा उसमें हरिजनों का कोटा पूरा करके ही छोड़ा। अगर आप एक-एक ब्रांच को ही पकड़ें तो भी आप उनका पीछा पकड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिये दिल में जगह होनी चाहिये। आप ढपोरशंख की तरह से जरा न बोलें और चुप ही रहें तो अच्छा है। आपका ऐक्शन ऐसा होना चाहिये कि वह ऐक्शन बोले। इस तरह से अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आप महज यू० पी० वालों का ही दिल नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के लोगों का दिल जीत लेंगे। हो सकता है कि दूसरे प्राविन्स वाले आपसे नसीहत लें।

इसका एक रिऐक्शन भी हो सकता है। अगर आपने उसी तरह से उनके साथ व्यवहार जारी रखा तो हो सकता है, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं बगैर इशारा किये नहीं रह सकता कि एक बहुत बड़ा प्राविन्स ऐसा था जहां के चीफ मिनिस्टर साहब बहुत बड़े स्टेट्समैन माने जाते थे लेकिन जब शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवार्ड क्लास वाले मिल गये तो आप समझ लें कि आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि आप उनके लिये वह मौका न आने दें। वह

[श्री सोहनलाल धुसिया]

दिन दूर नहीं है--यू० पी० में शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवार्ड क्लास वालों की आबादी ७५ फीसदी है और जिस दिन उसे अपनी ताकत की चेतना हो जायगी उसी दिन आपकी क्या हालत हो जायगी। इसलिये मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जितने कमिटमेंट्स गवर्नमेंन्ट ने किये हैं कम से कम उनको तो पूरा कर ही दे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस प्रश्न पर आज विचार हो रहा है वह बहुत ही गम्भीर विषय है, क्योंकि इसका सम्बन्ध १.३ करोड़ हरिजनों और २.७० करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब्स तथा बैकवर्ड क्लास से है। मान्यवर, प्रश्न यह नहीं है कि सरकार ने इनके लिये कुछ किया या नहीं किया। सरकार का पैमाना है कि बजट पेश हो जाता है और तमाम आंकड़े भी पेश हो जाते हैं। लेकिन मान्यवर, आज प्रश्न यह है कि आंकड़े बढ़ते जाने के बाद भी जो हरिजन आज देहातों में रहते हैं, वे पहले जिस तरह के मकानों में रहते थे, उनके मकानों की हालत अच्छी हुई है या नहीं और जहां पहले उनके बच्चे दूसरे दर्जे तक ही पढ़ते थे वहां अब ७ वें ८ वें दर्जे के आगे पढ़ते हैं या नहीं, या अंग्रेजी जमाने में हरिजन किसी दूसरे का हल चलाते थे और उनकी हैसियत एक नौकर की होती थी तो आज वे उस खेत के मालिक हो गये हैं या नहीं। जब हम इन तमाम चीजों पर दृष्टिपात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि शहरों में रहने वाला तबका चाहे बैकवार्ड क्लास का हो, चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब्स का हो, उनकी हालत कुछ सुधरी है लेकिन मान्यवर, जो देहातों में रहने वाले हरिजन हैं उनकी आर्थिक तथा सामाजिक हालत आज दुरुस्त नहीं है।

मान्यवर, आज नियोजन का जमाना है। पहला प्लान समाप्त हो गया और अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी समाप्ति पर है और उस प्लान पर चाहे बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे गोविन्द सहाय कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे रेणुका कमेटी की रिपोर्ट हो, इन तमाम रिपोर्टस् को पढ़ने के बाद हमको कोई भी ऐसा आइटम नहीं मिला जहां इस बात की व्यवस्था हो कि जिससे शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड कास्ट के स्तर को ऊंचा किया जाय, उनकी आर्थिक हालत को सुधारा जाय। मान्यवर, सरकार ने एक कानून पास किया और सन् ५५ से वह कानून लागू भी हो गया लेकिन कानून बना देने से ही इस समस्या का हल नहीं हो सकता। कानून से जमींदारी का उन्मूलन तो हो सकता है लेकिन इस समस्या का हल हृदय परिवर्तन से ही हो सकता है। इस समय मुझे स्वर्गीय डाक्टर अम्बेदकर की बात याद आती है जब कि कुछ लोगों ने कहा था कि संविधान में इमर्जेसी पावर्स का प्रोविजन कर देने से प्रेसिडेंट डिक्टेटर बन जायगा, तो उन्होंने कहा था--

"How bad or good a constitution may be it depends on the working, i. e. how it works."

अर्थात्, संविधान कितना ही अच्छा या बुरा क्यों न हो, वह इस बात पर मुनहसर है कि उसे कार्यरूप में परिणत करने वाले लोग कैसे हैं। तो इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। लेकिन दूसरा प्लान खत्म हो रहा है और अगर मैं कहता हूं कि हमारी हालत खराब है तो सरकार मानेगी नहीं।

सरकार की बनाई हुई यह कमेटी थी, श्री गोविन्द सहाय कमेटी, जो सन् ५९ में बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट १४ जून, सन् ५९ को दी। उसने कहा है --

"For the present, the Community Development Programme does not confer any special benefits to these classes except giving grants-in-aid for the construction of sanitary wells".

यह उस कमेटी की रिपोर्ट है जो गवर्नमेंन्ट ने कायम की थी। इसमें कहा गया है कि केवल थोड़ी सी ग्रांन्ट्स देने के अलावा कोई अपलिफ्ट का काम नहीं किया गया है।

दूसरी जगह उसी कमेटी ने आगे फिर कहा है --

"The Community Development Programme has not yet succeeded in offering suitable avenues of employment for improving the economic condition of their classes. Whetever facilities by way of loans and grants-in-aid are offered, are not utilised because of the generally poor states of these people."

इसमें लिखा गया है कि जो कर्जे आदि की फेसिलिटीज दी जाती हैं वह भी उन्हीं लोगों को दी जाती हैं जिनके पास जमीन और जायदाद होती है और जिनकी हालत गरीबी की है वह कर्जा भी नहीं ले सकते। मैं जानना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में जो व्यवस्था थी कि जो जमीन के मालिक थे उनको कर्जा मिला था क्या वही हालत आज भी नहीं है ? आज भी जिन हरिजनों के पास जमीन नहीं है उनको कर्जा नहीं मिलता। जो डींग मारी जाती है कि हम हरिजनों और बेकवर्ड लोगों के लिये यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं वह सब कहां हो रहा है।

आज भी जब चुनाव का मौका आता है तो उस दल की तरफ से हरिजन सम्मेलन किये जाते हैं और साथ ही यह भी कहा जाता है कि छूताछात को दूर करो। हरिजन सम्मेलन अलग से किये जाते हैं। क्यों उनको अलग रखा जाता है, वह सम्मेलन भूमिहीन सम्मेलन या गरीब सम्मेलन क्यों नहीं कहे जाते ? आज उनका कागज पर जो कुछ थोड़ा बहुत रिजर्वेशन है वह भी पूरा नहीं किया जाता। आंकड़े इस बात के साक्षी हैं कि वह कहीं भी आजतक पूरा नहीं हुआ है। मंत्री जी कहते हैं कि कैसे पूरा करें क्वालिफिइड लोग नहीं मिलते। सवाल यह है कि वह आसानी से क्यों नहीं मिलते ? कारण यह है कि उनको पढ़ाने की कोशिश ही नहीं की जाती। उनको सहायता नहीं मिलती। मुझे पता चला है कि हरिजन छात्रों को इस साल का वजीफा अभी तक नहीं दिया गया है। ६-६ मास बीत जाते हैं पढ़ाई हो जाती है लेकिन उन्हें किताबें समय से नहीं मिलतीं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी किताबों के सम्बन्ध में पालिसी क्या है और उनका क्या मापदंड है ? अगर कोई बड़े ठेकेदार का लड़का है या किसी बड़े आदमी का रिश्तेदार है तब भी उसको हरिजन होने के नाते वजीफा दिया जाता है या गरीब हरिजन छात्रों को ही दिया जाता है ? आज हजारों गरीब हरिजन देहात में रहते हैं।

आपको इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह भी देखना चाहिये कि कौन देहात का गरीब हरिजन है और कौन अच्छी हालत में है। मेरा सुझाव है कि देहात के जो हरिजन, बैकवर्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड क्लासेज हैं उनकी एक अलग से कमेटी बनाई जाय जो पता लगाये कि वाकई में कौन पिछड़ावर्ग है और उसकी क्या समस्यायें हैं और उनको कहां तक लाभ पहुंच रहा है। जो आपकी कमेटियां हैं उनकी सिफारिश है कि अभी तक कोई लाभ इन लोगों को नहीं पहुंचा है और कोई अपलिफ्ट उनका नहीं हुआ है।

मुझे आश्चर्य होता है कि जब मंत्री जी हरिजनों की बात करते हैं तो वह बैकवर्ड ट्राइब्स और शिड्यूड कास्ट्स को भूल जाते हैं। थारू और बोक्सा हमारे यहां लाखों की तादाद में हैं, हमारे यहां खटीमा सितारगंज में ३८००० थारू हैं, उनमें केवल २ प्रतिशत एजूकेशन है और केवल उनका एक ग्रेजुएट है ओम प्रकाश नाम का। वह सिर पकड़ कर रह गया और हर तरह की उसने कोशिश की, वह मिनिस्टर साहब के पास भी गया, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं दी गई। अखबार में बड़ा भारी समाचार निकला कि पाइलट प्रोजेक्ट बनने वाला है, रेणुका कमेटी कहती है कि एक स्पेशल पाइलट प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, लेकिन यहां हमारे यहां के थारू और बोक्सा के लिये आजतक कुछ नहीं किया गया।

आज हरिजन मिनिस्ट्री कायम करने का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि किस तरह से हर आदमी उनके उत्थान को एक लगन की चीज बनाये। आज द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्ति पर है लेकिन ३८ हजार में से एक ग्रेजुएट हुआ उसको भी यह सरकार नौकरी नहीं दे सकती। बात १८ प्रतिशत रिजर्वेशन की जाती है। वहां की जनता की मांग है कि वहां स्कूल

[श्री प्रतापसिंह]

खुले, लेकिन सिवा एक थारू हायर सेकेन्डरी स्कूल जनता के सहयोग से चल रहा है और वहां कोई प्रबन्ध नहीं है। हमारे स्थानीय कांग्रेसी भाई ही सहयोग नहीं करते। जो यह ३०० रुपया का अनुदान दिया गया है वह बहुत कम है, वैसे हम उस के लिये आभारी हैं। वहां पर प्रिन्सिपल आफ प्रायरिटी के आधार पर सरकार को चलना चाहिये और स्कूल खोलना चाहिये। स्टडी टीम आन सोशल वेलफेयर आफ बैकवर्ड क्लासेज पुस्तक में जो रिपोर्ट है उस में कहा गया है--

"A carefully integrated programme of development of tribal economy based on agriculture, forestry, handicrafts and village industries should be rganised. The exact degree of emphasis upon each of them would be determined by a systematic survey of the needs and possibilities in each area".

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह का क्या कोई काम हुआ? १ सितम्बर, सन् ५० को राष्ट्रपति ने यह घोषणा कर दी है कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास को क्या फैसेलिटीज दी जायं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। पिछले साल सवाल उठाया था तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सेन्टर से बात कीजिये। अगर हमको मौका होता सेन्टर से बात करने का तो फिर क्या जरूरत थी चीफ मिनिस्टर की और और दूसरे मिनिस्टरों की? हरिजनों के उत्थान को कितना महत्व कांग्रेस पार्टी देती है यह इस बात से मालूम हो जायगा कि एक मिनिस्टर जिसके पास शिक्षा विभाग है, इंफार्मेशन है, होम है, वह ग्रान्ट लेकर खड़े हो जाते हैं कि हरिजनों के लिये यह धन चाहिये। उसके लिये एक अलग मिनिस्ट्री बननी चाहिये। तमाम कमेटियों ने इस बात की सिफारिश की है कि उनके उत्थान के लिये एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि उनके लिये एजूकेशनल फैसिलिटी दी जाय, फुल इम्प्लायमेंट फैसिलिटीज दी जायं।

भूमिहीनों का मसला सबसे बड़ा है। श्रीकान्त जी की रिपोर्ट में कहा गया कि भूमि देने में शिड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास और हरिजनों को प्रायरिटी दी जाय।

मैं निवेदन करूंगा कि मुझे थोड़ा समय और देने की कृपा की जाय। एक चीज और चाहता हूं। जितने भी मजदूर हैं वह हरिजनों में से आते हैं। क्या तनख्वाह मिलती है? साढ़े ३३ रुपया मिलता है। मैं सरकार से कहूंगा कि इस तरफ ध्यान दे। अब समय आ गया है जब आपको मानना पड़ेगा कि हम कुछ नहीं कर पाये। आपके दफ्तर कहां हैं? नैनीताल और लखनऊ में। उनका डिसेंट्रेलाइजेशन होना चाहिये। उनके अन्तर्गत देहातों में छोटे-छोटे दफ्तर होने चाहिये।

जहां तक ब्याह शादी की बात है, जो हमारे मिनिस्टर और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी हैं उनके लड़के लड़कियों से तो शादी करने में लोग सौभाग्य समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आर्थिक स्तर ऊंचा है। तो सोशल स्टेट्स उठाने के लिये आर्थिक स्तर को ऊपर उठाना पड़ेगा। चाहे आप कानून पास कर दें, हजारों कमेटियां बना दें, उनसे समस्या हल नहीं होगी। आवश्यकता इस बात की है कि एक प्लान बने जिससे कि उनका आर्थिक ढांचा सुधर सके। जब तक उनके लिये अलग से प्लान की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। जो अनुदान हमसे लिया जाता है उससे देहातों के हरिजनों, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का भी भला हो। आज हरिजन का, थारू और बोक्सा का जो लिविंग है उसको मैं प्रिमेटिव वे आफ लिविंग समझता हूं। उसको बदलना चाहते हैं तो ईमानदारी से उनकी समस्या को हल करने की चेष्टा करें।

*श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत अनुदान का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लेकिन साथ ही अपने कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे नेताओं ने गांधी जी के नेतृत्व में यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एहसास किया कि वास्तव में आजादी के बाद आर्थिक और सामाजिक विषमता है और इसकी व्यवस्था करने के लिये उन्होंने तमाम प्रयास किये। यही नहीं, हमारे नेताओं ने संविधान में इस प्रकार की व्वयवस्था की कि शिड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लिये जो सामाजिक विषमता है उसको दूर किया जाय और यही नहीं उन्होंने १० साल का प्रतिबन्ध लगाया कि इस अवधि में हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों को इस योग्य बना देंगे कि सम्पूर्ण भारत में फिर ऊंच-नीच का अन्तर ही न रहे।

हमारी प्रादेशिक सरकार ने इस बीच में हरिजन कल्याण विभाग खोले, प्रान्तीय स्तर से ले कर जिले के स्तर तक, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिये कदम उठाये, शिक्षा की ओर ध्यान दिया। इसके अलावा कृषि, गृह-उद्योग, कूप-निर्माण और असप्रश्यता निवारण के लिये सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां की गई। सरकारी नौकरियों में १८ फी सदी का रिजर्वेशन किया गया। पर बावजूद इसके अब यह एहसास होने लगा कि जो वादे किये थे उनकी पूर्ति हमने नहीं की और इस अवधि को फिर १० साल के लिये बढ़ाया गया है। यह इस बात का सबसे ज्वलन्त प्रमाण है कि जो काम हमने करने का वादा किया था वह पूरा नहीं कर पाये। प्रस्तुत बजट हमारा प्रथम बजट होना चाहिये इस ऐक्सटेंशन का और उसी के आधार पर हम इस अनुदान को देख रहे हैं कि हम आगे क्या करेंगे।

माननीय सदस्यों के भाषणों से ऐसा लगा कि यहां जो कुछ कहा जाता है वह केवल प्रचार के लिये कहा जाता है, दिल से वह भी नहीं चाहते। चुनाव जातिवाद के आधार पर लड़े जाते हैं। जो लोग जाति विहीन समाज की स्थापना चाहते थे वह भी जाति के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। इस भावना को खत्म करना चाहिये। आज हरिजनों को अनुदान देकर उनको भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि वह भी जागरूक हो गए हैं और अपने अधिकारों को अच्छी तरह से पहचानने लगे हैं। उनके अन्दर अब चेतना आ गई है। हमारे पूर्वी जिलों में पंडितों ने हरिजनों का बहुत शोषण किया था आज उसी का प्रायश्चित करने के लिये कमलापति त्रिपाठी जो और दीनदयालु शास्त्री जी इस विभाग के इन्चार्ज बन कर बैठे हुए हैं। यहां सदन में सिवाय पिछड़ी जाति और हरिजन जाति के माननीय सदस्यों के और कोई उपस्थित नहीं है, यहां तक कि अधिष्ठाता की कुर्सी पर भी सवर्ण जाति का सदस्य नहीं बैठा है और मान्यवर, आपको बैठाया गया है। यह क्या सूचित करता है? हरिजन सम्मेलनों को हरिजनों में करने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों में सम्मेलन न किये जायं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज वे गहराई में जा कर देखें कि इस ढांचे की जड़ कहां तक, कितनी दूर तक है। आज हरिजन आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में जकड़ा हुआ है, सरकार सोचे कि उसका किस तरह से सुधार किया जा सकता है, उसका शोषण किस प्रकार से रोका जा सकता है। आज वह देखे कि हरिजन कल्याण विभाग में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर आफिसर्स रख गये हैं। क्या यह सही है कि यह सिलेक्शन ठीक ढंग से नहीं हुआ? हमको इस बात की शिकायत है कि हरिजन कल्याण विभाग में हम जैसे अच्छे अफसरान का स्वप्न देख रहे थे वैसे अच्छे अफसरान नहीं रखे गये। सिफारिशी टट्टू रखे गये। अगर १८ फीसदी को हम पूरा नहीं कर सकते हैं तो ५२ जिलों में ५२ हरिजन वेलफेयर आफिसर तो रख सकते थे, लेकिन वह भी नहीं किया गया। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन से क्यों नहीं लेते। जब ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को हम सौंप रहे हैं तो इन आफिसर्स को हम पब्लिक सर्विस कमीशन से क्यों नहीं कनफर्म कराते ताकि अच्छे से अच्छे आफिसर हमें मिल सकें। फिर कोई शिकायत नहीं रहेगी। ज्यादा अच्छा होता इस जगह पर जो हरिजन सम्बन्धी काम करने में एक्सपर्ट हैं उनको मौका देते। आज हरिजन त्राहि-त्राहि कर रहा है।

जो हम सोशल वर्कर्स की नियुक्ति करते हैं उनको क्या हरिजन वेलफेयर आफिसर के पीछे आर्डर्ली का काम करने के लिये रखते हैं? आप अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता की नियुक्ति

[श्री रामकृष्ण जैसवार]

करिये और जिला हरिजन कमेटी के स्तर पर उनकी नियुक्ति करिये या एक बोर्ड बना कर करिये। जो आपका सिद्धान्त है उसका वे पालन करें ताकि यह दिखला सकें कि सवर्ण हिन्दू तथा हरिजनों में कोई भेदभाव हिन्दुस्तान में नहीं रहा।

इसके अलावा आप सर्वे कराइये। क्या कभी इस बात का प्रयास किया गया कि हमारे प्रदेश में कितनी बस्तियां ऐसी हैं जो पिछड़ी हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार सर्वे करा कर हर हरिजन बस्ती में कुवां दे दें और एक तिहाई का जो प्रतिबन्ध है उसे हटा कर अपने पास से ही कुवां सरकार दे ताकि एक नई चेतना फैले और वे सोच सकें कि हम आजादी के युग में रह रहे हैं।

हरिजन कल्याण विभाग में जो खर्चा जिले के स्तर पर हो रहा है वह बेकार हो रहा है। अच्छा हो कि उसे प्लानिंग में लगा दें और ज्यादा से ज्यादा उनकी शिक्षा पर खर्च करें। अस्पृश्यता निवारण के लिये ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। दुद्धी राबर्टसगंज, मिर्जापुर, को विशेष रूप से पिछड़ा इलाका घोषित किया गया है, उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि मिर्जापुर के हलिया व लालगंज इलाके को भी पिछड़ा इलाका घोषित किया जाय और उसे विशेष सुविधाएं दी जायं। और केन्द्रीय सरकार से भी प्रार्थना की जाय कि उसके लिये विशेष प्रयास किया जाय।

श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस विषय पर बोलने के लिये मुझे मौका दिया। यह विषय समाज के लिये बहुत महत्व का है। यह विषय सदियों से हिन्दुस्तान को कलंकित करता आ रहा है और आज भी कांग्रेस सरकार की हुकूमत बनने के बाद भी जिसने इस बात का वादा किया था कि हुकूमत में आने के बाद वह समाज के अन्दर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं रहने देगी जिसके अन्दर ऊंच-नीच और छुआछूत का कोई मतभेद हो, लेकिन आप स्वयं देखें कि जब से कांग्रेस की हुकूमत बनी है तब से, इन पिछड़े और नीचे कहे जाने वाले आदमियों के लिये कौन-कौन सी ऐसी सुविधाएं दी गयीं हैं जिनसे यह नीचा तबका ऊंचा उठे। हां, यह बिलकुल सही है कि महात्मा गांधी के समय में कुछ सहूलियतें ऐसी जरूर दी गयीं जिनके द्वारा कांग्रेस के अन्दर कुछ ऐसे नेता हरिजनों को लुभाने के लिये लाये गये थे जिससे कांग्रेस में हरिजन लोग, पिछड़े वर्ग के लोग या मुसलमान आयें। आज भी हरिजनों को लुभाने का सरकार का वही रवैया जारी है। आप जानते हैं कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर छुआछूत का कितना नारा बुलन्द हो चुका है। इसको देख कर सरकार को कोई सही कदम उठाना चाहिये था, लेकिन ऐसा कोई कदम उसकी तरफ से नहीं उठ रहा है। यू० पी० के अन्दर ८५ फी सदी हरिजन और बैकवर्ड रहते हैं। इनकी तरक्की के लिये सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सभी प्रकार की सहूलियतें देनी चाहिये थी। लेकिन अगर शिक्षा की तरफ हम देखें तो लाखों की तादाद में हरिजन लड़के शिक्षा प्राप्त करके घूम रहे हैं मगर उनको नौकरी नहीं मिल रही है और जब नौकरी नहीं मिलती है तो वे अपना वही पुराना काम करके देहात में एक सादी जिन्दगी बसर करने लगते हैं। इसका असर यह पड़ता है कि वे कहते हैं कि जब हमको पढ़-लिख कर भी अपना पुराना धन्धा ही करना है तो फिर क्यों अपने मां-बाप की गाढ़ी कमाई का पैसा पढ़ाई पर क्यों खर्च करें। फिर तो सबसे अच्छा यही है कि हम अपने पुराने कार्य को करें। यह कितना बुरा असर है इसको सब लोग स्वयं समझ सकते हैं।

इसके अलावा आज नौकरियों में सरकार की तरफ से १८ प्रतिशत रिजर्वेशन कायम है। सन् ५२ से ५४ तक सरकार ने नौकरियों में हरिजनों को २१ फीसदी और बैकवर्ड को ६४ फीसदी रेप्रेजेन्टेशन दिया मगर सन् ५५ से ५६ तक हरिजनों को १, १/२ प्रतिशत और बैकवर्ड को १/२ प्रतिशत ही रेप्रेजेन्टेशन दिया गया। आप स्वयं देखें कि सरकार किस प्रकार १८ प्रतिशत का रेजर्वेशन पूरा करती है। इसलिये यह जो १८ फीसदी रेजर्वेशन की बात है इसको खत्म करना चाहिये क्योंकि जो आज सरकार की अगुवाई करने वाले हैं वही पहले हरिजनों को

दबाया करते थे। यह लोग तो ऐसा ही करते हैं जैसे किसी आदमी को आप एक घड़े में पानी लाने के लिये भेज दें और वह एक लोटा पानी उस घड़े में ला कर कहे कि पानी ले आये। ठीक यही हालत इन लोगों की है कि १ या २ परसेंट देकर १८ फी सदी रिजर्वेशन को खत्म कर देते हैं। मेरा तो यही सुझाव है कि आज हरिजनों के लिये रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है बल्कि उन लोगों के लिये रिजर्वेशन की जरूरत है जो आज बिल्कुल छट्टा चर रहे हैं, २० फीसदी हो कर ९८ फीसदी नौकरियों पर कब्जा किये हुए हैं।

इसके अलावा आप देखें कि यहां सरकार की तरफ से यह नारा बुलन्द किया जाता है कि छुआछूत मिटनी चाहिये वहां कुछ ऐसे शास्त्र भी मौजूद हैं जिनके पढ़ने से समाज में छुआछूत घटने के बजाय बढ़ रहा है, जैसे मनुस्मृति और तुलसीकृत रामायण। तो ऐसे शास्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये।

बहुत से माननीय सदस्यों ने हरिजन विद्यार्थियों की फीस माफी और छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में कहा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जिला स्तर पर जो कमेटियां बनायी गयी हैं उन कमेटियों के चेयरमैन साहबान से और मंत्री साहबान से मैंने पूछा था कि क्या अधिकार दिये गये हैं। श्रीमन्, मुझे सुनकर अफसोस हुआ जब उन्होंने कहा कि राय तो कमेटी के मेम्बरान दे सकते हैं, लेकिन उनका स्वीकृत होना आवश्यक नहीं है। अगर इस तरह की यह कमेटी हो तो इसको खत्म कर दिया जाय क्योंकि जब इस कमेटी के मेम्बरान जो देहात में आते हैं और वह देहात की परिस्थिति को समझते हैं, वह अपनी स्वीकृति नहीं दे सकते हैं तो खाली उनके राय देने से क्या फायदा है? इसलिये अच्छा हो यदि इस कमेटी को तोड़ दिया जाय या अधिकार बढ़ने चाहिये।

एक मर्तबा मैंने माननीय मंत्री जी को सीतापुर के जिले के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा था और यह लिखा था कि १९५७ से लेकर आज तक ग्रांट का वितरण नहीं हो सका है। मुझे मालूम नहीं कि उसको न जाने किस रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है कि उसका उत्तर आज तक नहीं मिल सका है। अगर इसी तरह से माननीय मंत्री जी का खयाल रहा तो हरिजनों का उत्थान होने के बजाय वह और गड्ढे में डाल दिये जायंगे और सदैव के लिये मिट जायंगे। यह विभाग ऐसे मंत्री जी के हाथ में गया है जिनकी वर्षों के बाद नींद खुलती है या द्वितीय या तृतीय पंचवर्षीय योजना में खुलती है। एक दफा ५७ से लगाकर आज तक प्रान्तीय स्तर पर एक हरिजन स्टैंडिंग कमेटी बनी है। मुझे याद है, शायद स्टैंडिंग कमेटी बैठी है जिसकी केवल एक ही बैठक हुई है। मैं नहीं समझता कि यह कमेटी किस मंशा से बनाई गई है जब कि इसमें हरिजनों की बात नहीं सुनी जाती है या खाली नुमायश के रूप में इसको बनाया गया है। यदि ऐसा है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

आज अस्पृश्यता निवारण की बात कही जाती है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि देहातों में कितने हरिजनों के साथ उन्होंने खाना खाया है? अगर खाया हो तो बतायें? मैं कहता हूं कि मंत्री जी की बात छोड़ दीजिये, जितने मिनिस्टर्स डिप्टी मिनिस्टर्स तथा सभा, सचिव हैं वह देहातों में बड़े आदमियों के साथ तो खाना पसन्द करते हैं लेकिन हरिजनों के साथ पसन्द नहीं करते। हमारे समाज के ऐसे मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर यदि हरिजनों का उद्धार करना चाहें तो कभी नहीं हो सकता है।

(इस समय ३ बज कर ५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि आज हरिजन समस्या पर जो अनुदान है उस पर मुझे अपने विचार प्रगट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज अंग्रेजों को गये हुए १३ वर्ष हो गये हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद से हमारे देश के अन्दर हरिजनों की जो प्रगति हुई है उसको आंकड़ों से देखा जा सकता है। हम भले ही चिल्ला कर कहें कि हरिजनों का उत्थान नहीं हुआ है, हम भले ही यह कहें

[श्री गंगाप्रसाद]

कि हरिजनों के जो अधिकार थे उनकी रक्षा नहीं हुई है, लेकिन जब हम देहात में जाते हैं और हरिजन भाइयों से बात करते हैं, जिनके हम बच्चे है तो उनके अन्दर हम एक चेतना, एक जागृति पाते हैं। आज उनकी वह दशा नहीं रही जो अंग्रेजों के जमाने में थी, जो सामन्तवादियों के जमाने में थी। आज वह अपने अधिकारों के लिये लड़ाई करते हैं। हमारे भाई बलदेवसिंह जी के राज्य में भले ही उनकी वही दशा हो जो अंग्रेजों के समय में थी।

आज मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि हरिजनों का अगर वाकई में मंत्री जी उत्थान करना चाहते हैं तो देहातों की ओर ध्यान दें। आज छोटे-छोटे हरिजन १० रुपये कर्ज लेते हैं और उनसे ५० रुपये का प्रोनोट जबर्दस्ती लिखा लिया जाता है। रुपया दिया गया १० और प्रोनोट लिखाया गया ५० का। आज हमारे जिले में इस तरह से छोटे कर्जों के झगड़ों में हजारों हरिजन फंसे हुए हैं इन सामान्तवादियों और पूंजीपतियों के चंगुल में। इनसे उनका छुटकारा करा दिया जाय तो बड़ा कल्याण होगा। आपका हरिजन सहायक विभाग जिलों में जो कायम है वह गांवों में इस तरफ ध्यान दे तो उनकी हालत कुछ सुधर सकती है। रही उनके बच्चों की शिक्षा। तो थोड़ा सा वजीफा आप उनको देते हैं और उससे उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज सबसे बड़ी चीज शिक्षा है, उद्योग धंधे आप खत्म कर दें, और सारी चीजें खत्म कर दें, लेकिन शिक्षा की तरफ आप ज्यादा ध्यान दें, उनके बच्चों को ऊंचे उठायें तो उनका उत्थान आपसे आप हो जायगा। अगर उनमें शिक्षा होगी तो हमारे भाई प्रतापसिंह जी या कोई दूसरे भाई जैसा कह रहे थे तो ब्याह शादी उनकी मंत्रियों की लड़कियों और लड़कों से हो सकती है। अगर अच्छी शिक्षा उनमें होगी, आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में चले जायेंगे तो सभी उनसे ब्याह शादी करने को तैयार होंगे और जाति-पांत को नहीं देखेंगे। इसलिये उनकी शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय। आज जिला अन्तरिम परिषदों से शिक्षा के सम्बन्ध में उनके लिये कुछ वजीफा और पुस्तकों की ग्रांट मिलती है। लेकिन साल बीत जाता है, हमारे यहां तो अभी वह नहीं बंटी गोंडा जिले में, इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि वह जुलाई में ही बंट जाय तो ज्यादा बेहतर होगा।

अब मैं आऊंगा उन जातियों की ओर जिनकी आबादी सूबे में १६ लाख थी अंग्रेजों के जमाने में। सन् ५२ में आपने उनको आजादी दिलवाई। आज उनकी तरफ आपका ध्यान जरूर है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी समस्या दिन पर दिन दूनी होती जा रही है। उनकी हालत बदतर होती जा रही है। उस पर ध्यान देने की कृपा करें। आपने जिन्हें गांवों में बसा दिया है वह तो थोड़ा मजे में हैं, लेकिन उनके लिये कुछ साधन जुटाना भी आपका फर्ज है। अभी जिला बहराइच में ७९२ एकड़ जमीन बोझी परवा में गांव समाज से प्राप्त की गई है जिन पर उनको बसाने की योजना है। यह कहा गया है कि गोंडा में, बहराइच में या और इसी तरह से अन्य जगहों में उनको बसाने की योजना है। वहां अगर वह चले जायं और रहें जाकर तो उनकी हालत कुछ सुधर सकती है।

दूसरी चीज पंचायतों में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दो सौ रुपये से बढ़ाकर के पांच सौ रुपया तक फैसला करने का अधिकार दे दिया गया है। लेकिन उसमें वही लोग बैठते हैं जो ऊंची-जाति के होते हैं, वह गरीबों के ऊपर हरी बेगारी या किसी किस्म का झगड़ा हुआ तो प्रोनोट उनसे लिखा लेते हैं और उसको अदालत पंचायत में भेज देते हैं। वहां जबर्दस्ती निर्णय अपने पक्ष में करा लेते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अदालत पंचायतों में भी रिजर्वेशन कायम किया जाय जिससे कि हरिजनों की भी नुमाइन्दगी वहां रहे और वह उनके अधिकारों की वहां रक्षा कर सकें।

साथ ही आज हमारे जिला गोंडा में एक बहुत लम्बा चौड़ा चार पांच मील का खादर है। मैंने जिलाधीश से कहा। जिलाधीश ने उनकी एन्क्वायरी कराई। वह तराई के क्षेत्र में पचपेड़वा तहसील बलरामपुर के पास है। वहां जमीन अक्वायर करने की बात है और आपने कहा है कि विमोचित जातियों को वहां बसायेंगे लेकिन जमीन का दाम आप नहीं देना चाहते हैं।

जमीन मुफ्त चाहते हैं। तो आज के युग में मुफ्त जमीन आपको नहीं मिलेगी। अगर जमीन मिलेगी तो पैसे पर मिलेगी। आशा है कि आप उस जमीन को लेंगे। अगर ७५ रुपये फी एकड़ आप उसकी तोड़ाई या जोताई में खर्च करते हैं तो थोड़ा और प्रयत्न कीजिये। वह जमीन बहुत अच्छी है, उपजाऊ है। अगर वहां उनको बसा देंगे तो वह अच्छी तरह से रह सकेंगे। इसी हाउस में कनियार फार्म के बारे में मैंने कहा था। वह २४५ एकड़ का फार्म था। आज काफी नुकसान उठाने के बाद सरकार ने उसे बन्द कर दिया है। अगर वही जमीन कनियार वाली विमोचित जाति के लिये दी जाय और उनको वहां बसा दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। वह जमीन सरकार की है। उसमें सरकार का पैसा भी नहीं लगेगा, वह बस भी जायेंगे और अपने आपको सुधार भी सकेंगे। इसी तरीके से आपने जो विमोचित जातियों के लिये स्कूल इलाहाबाद और लखनऊ में खोले हैं उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसी तरीके से और जगह भी स्कूल खोलने का प्रयत्न करेगी। हमारे जिले गोंडा में एक श्रावस्ती आश्रम है जिसके पास ५०० बीघा जमीन है। वह आश्रम विनोबा जी की देखरेख में चल रहा है। उसके अध्यक्ष माननीय विचित्रनारायण जी हैं। वहां पर हम लोगों ने तय किया है कि अगर सरकार विमोचित जाति के लिये कोई स्कूल वहां पर खोल दे तो वहां पर बच्चों को वे स्कूल में पढ़ाने के लिये तैयार हैं और उन बच्चों को सुधारने के लिये भी तैयार हैं। मुझे आशा है कि उस स्कूल का वहां पर श्रावस्ती आश्रम में बच्चों के लिये प्रबन्ध कर दिया जाय तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्रीमन्, आज गरीबों की हालत दिन-ब दिन बिगड़ती जा रही है। उनके लिये सरकार की ओर से कोशिश नहीं की जा रही है। मुझे ऐसी आशा है कि थोड़े दिनों के अन्दर जो उनकी हालत है उसको सुधारा जा सकता है।

एक बात मुझे और कहनी है। सरकार अगर चाहे तो हरिजनों के लिये बहुत कुछ कर सकती है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बटवारा हुआ। पाकिस्तान से लाखों की तादाद में शरणार्थी आये और सरकार ने उनकी समस्या को हल कर दिया, लेकिन आज हरिजनों के लिये लाखों और करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी उनका सुधार नहीं हो रहा है। अंग्रेजों के जमाने में रिजर्वेशन था और कांग्रेस के जमाने में भी रिजर्वेशन है फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले की छोटी सी मिसाल है। हमारे जिले में एक हरिजन कार्यालय खुला। उसमें यहां तक हो गया कि फलां जगह सवर्ण जाति का रहेगा, फलां जगह मुसलमान रहेगा, फलां जगह हरिजन रहेगा और फलां जगह विमोचित जाति का रहेगा। हमारे यहां जो क्लर्क था वह विमोचित जाति का रखा गया था, क्लर्क को रेलवे में सर्विस मिल गई। वह चला गया। उस जगह पर फौरन एक सज्जन, जो हमारे जिले के एक बहुत बड़े अफसर हैं, उन्होंने अपने यहां से एक रिश्तेदार बुलाकर रख दिया। जहां पढ़े-लिखे हरिजन नवयुवक काफी परेशान थे और नौकरी के लिये मारे-मारे फिरते थे उनको नहीं रखा गया। आज आप पंचायत को ले लीजिये या एन० ई० एस० ब्लाक को ले लीजिये कहीं पर भी आज हरिजनों को नौकरी नहीं दी जाती है। हमारे मंत्री जी ने एक कमेटी उसके लिये बैठाई है लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट वर्षों के बाद आयेगी तब तक यह पढ़े-लिखे नौजवान बच्चे, जिनकी राज्य के प्रति निष्ठा थी निष्ठावान न रह कर दूसरी तरफ खयालात करते जा रहे हैं। मुझे आशा है, अगर आप चाहते हैं कि हरिजनों का उत्थान हो तो जो उनका रिजर्वेशन है, जो उनकी नौकरियां हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिये आप सख्त से सख्त आदेश दें। हमारे संचालक महोदय भी यहां से काफी जी० ओ० पर जी० ओ० और चिट्ठी पर चिट्ठी रोजाना भेजते रहते हैं परन्तु उन चिट्ठियों पर अफसर ध्यान नहीं देते हैं और जिले का सर्वेसर्वा जो जिलाधीश होता है वह जब उस पर ध्यान नहीं देता है तो फिर दूसरा कौन ध्यान देगा। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जितने जिलाधीश हैं उनकी एक मीटिंग बुलाकर उनके सामने हरिजन समस्या और हरिजन नौकरियों के विषय में विचार करें तो यह समस्या थोड़े दिनों के अन्दर सुलझ सकती है।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, इस प्रदेश में ७५ फीसदी हरिजन और बैकवर्ड जाति के लोग हैं जब कि इस बजट में उनकी सहायता और तरक्की के लिये केवल २,५२,३०,१०० रुपया रखा गया है। यह देख कर मुझे बड़ा क्षोभ हुआ है। यहां अधिकांश में उन्हीं लोगों की आबादी है और उत्पादन आदि का ज्यादा काम ये लोग ही करते हैं और इस प्रदेश को समृद्धिवान बनाने में इन्हीं लोगों का हाथ है, फिर भी इनके लिये इतनी कम रकम रखी गई है। आज उनकी दशा अत्यन्त शोचनीय है और जो कदम सरकार के द्वारा उठाये जा रहे हैं वे बहुत ही नगण्य हैं।

श्रीमन्, केन्द्र संचालित कुछ योजनायें हैं, जिनके अंदर मकानों के कुल १० ब्लाक्स चुने गये हैं। उनमें हरिजनों के मकान बनाने के लिये ७५० रुपया प्रत्येक गृह हेतु व्यवस्था की गई है और २५० रुपये का सहयोग स्वेच्छा से करना पड़ता है। लेकिन प्रान्तीय सरकार ने इस किस्म की कोई योजना गांव के लिये नहीं बनाई है। मकानों के लिये जो रकम पूरे प्रदेश में रखी गयी है वह केवल २,५०,००० रुपये है और हिसाब लगाने पर यह प्रत्येक जिले को ४,९०० रुपया मिलेगा। इसमें हर जिले में कितने गृह निर्माण हो सकते हैं, मेरे खयाल से एक आध घर चाहे बन जाय और वह भी उन लोगों का बनेगा जो वहां जिले की हरिजन कल्याण समिति के जिला स्तर पर मेम्बर हैं, कारण कि उसमें केवल हरिजन मेम्बर ही रखे गये हैं। अन्य जो एम० एल०एज० सवर्ण हैं, उनको उसमें नहीं रखा गया है। इस कारण वे कमेटियां जिलों में पक्षपातपूर्ण कार्य करती हैं। वे उन्हीं क्षेत्र में काम करती हैं और किसी दूसरी तरफ ध्यान नहीं देती हैं। मैं आप के द्वारा इसका एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। मैंने एक पत्र हरिजन कल्याण अफसर, गोंडा को लिखा जिसमें चार आदमियों का प्रार्थना-पत्र था गृह-निर्माण के लिये। उनके नाम थे मेढ़ई, चिनकू, टीहुल और खुनखुन। ६ महीने तक उसका कोई जवाब नहीं आया और उसके बाद जब पता चलाया तो पता लगा कि जो प्रार्थना-पत्र आये थे वे तो गायब हो गये, दूसरे प्रार्थना-पत्र भिजवा दीजिये। यह उन्होंने कहा। उनके पत्र का उत्तर पाने पर मैंने लिखा कि अगर हम फिर दरख्वास्तें भिजवायेंगे तो वह फिर गायब हो सकती है क्योंकि इंचार्ज तो एक सवर्ण वहां बैठा है। हरिजन तो है नहीं। वहां और भी ऐसे लोग घुसे हुये हैं कि जो आज तक हरिजनों का शोषण करते थे। ऐसे ही लोगों को ज्यादातर नौकरियां दी गई हैं। तो मैंने लिखा कि अगर आप कोई दिन नियत करें तो मैं अपनी सवारी आप के लिये भेज दूं और आप स्वयं आकर निरीक्षण कर लीजिये कि आया उन लोगों की जरूरत है या नहीं। आज तक श्रीमन् २, ३ महीने हो रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और अगर आप कहें तो मैं इसका प्रमाण भी दे सकता हूं कि इस तरह की अनियमिततायें हो रही हैं। जिले वालों ने इसकी कोई जांच की और न कुछ और ही किया गया। तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जिलों में जो हरिजन कल्याण समितियां बनी हुई हैं उन में हर एक विधायक को मेम्बर होना चाहिये। अभी तक केवल हरिजन विधायक उसके मेम्बर हैं। तो यह पद्धति दोषपूर्ण है। क्या और विधायकों के क्षेत्र में हरिजन नहीं होते? फिर क्यों वह जिला हरिजन सहायक समिति के मेम्बर नहीं बनाये गये?

यह जो पुस्तिका यहां सरकार की ओर से रखी गई है उसे देखने से पता चलता है कि हर साल हरिजनों के लिये अनुदान की रकम कम होती जा रही है। १९५६-५७ में अनुदान के लिये २ लाख ६६ हजार रुपया था, १९५८-५९ में ७० हजार रह गया। इसी तरह ऐनदर एक्सपेंडिचर में १ लाख ६९ हजार था जो १९५८-५९ में घट कर १ लाख ६५ हजार रह गया है। इसी तरह से हर मद में कमी होती जा रही है। उपनिवेशों में जो जमीनें उनको दी गई हैं १९५६-५७ में उनमें बराबर १९५९ तक ८,७०८, ८,७०८, ८,७०८ ही रहा है। कोई बढ़ोत्तरी उनमें नहीं हुई है और न अन्य जिलों में कोई उपनिवेश बनाये गये, या खोले गये जिससे जो भूमिहीन हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको बसाया जा सकता या उनका उत्थान किया जा सकता।

आज श्रीमन्, एक बात और मुझे बड़े दुख के साथ कहनी पड़ती है और वह यह कि जो यह पुस्तिका हमें अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जाति के कल्याण हेतु, १९६० की दी गई है उसके परिशिष्ट ३ को ऊपर लाइन में पढ़ देना चाहता हूं "शासकीय आदेश संख्या १३१४/२६–७८१–१९५९, दिनांक १७ सितम्बर," १९५८ द्वारा अन्य निर्धारित पिछड़ी जातियों की सूची जिन्हें शिक्षा तथा सार्वजनिक सवाओं में भरती संबंधी सुविधायें दी जाती हैं ।" इसके नीचे श्रीमन् सूची दी गई है । लेकिन ये भरती संबंधी ही सुविधायें हैं । उनको कोई ग्रान्ट, उनकी हालत को सुधारने के लिये, उनकी फीस आदि माफ करने के लिये नहीं दी जा रही है । श्रीमन्, जब कभी भी किसी स्कूल में किसी हरिजन या पिछड़ी जाति के विद्यार्थी की फीस माफ करने का सवाल आता है तो वहां यह कह दिया जाता है कि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि कौन पिछड़ी जाति का है और कौन अनुसूचित जाति का । नतीजा यह होता है कि जिनकी कुछ पहुंच हो जाती है, उनकी फीस तो माफ हो जाती है और बाकी यों ही रह जाते हैं । उन संस्थाओं में मास्टरों के पास कोई सूची तक नहीं है जिससे यह जान सकें कि कौन पिछड़ी जाति का है और कौन अनुसूचित जाति का है । बड़ा इस बात का प्रचार किया जाता है कि हरिजन और पिछड़ी जाति को सुविधायें दी जा रही हैं, उनका उत्थान हो रहा है, किन्तु यह सभी कागजी है । मौके पर कोई प्रचार नहीं होता । इसलिये इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये और हर स्कूल और कालिजों में यह सूची भेजी जावें ।

दूसरी चीज यह है कि मोमिन-अंसार जो हैं उसमें केवल जुलाहे लोग ही माने गये हैं । हमारे यहां काफी लोग इस जाति के हैं, दूसरे जिले की बात तो मैं नहीं जानता हूं । हमारे यहां ८-१० लड़के इस मिडिल क्लास में इस जाति के हैं । उनके लिये यह लिखा गया कि यह इस जाति के हैं, और जो रिपोर्ट यहां दी गई है उसमें लिखा है, मगर उनकी फीस माफ नहीं हुई और न और कोई सुविधा ही दी गई । इसलिये जो इस प्रकार की चीजें देखने में आ रही हैं उनको दूर होना चाहिये । जो ७५ फीसदी आज वह पिछड़ी और हरिजन जाति के हैं उनको छोटी-मोटी छूट के अलावा नौकरियों में भी जगह मिलनी चाहिये । आप कहते हैं कि हमको योग्य व्यक्ति नहीं मिलते । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय डाक्टर सीताराम और गिरधारी लाल जी जो मिनिस्टर हैं वे योग्यता में किस मिनिस्टर से कम हैं । जब इन पदों के लिये मिल सकते हैं तो उन छोटे-छोटे पदों के लिये भी मिल सकते हैं ।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं और वह यह कि आज शहरों में तो सलम्ब हो रहा है, क्लियरेन्स मजदूरों की बस्तियां बन रही हैं, लेकिन देहातों के अन्दर हरिजन बस्तियों की क्या व्यवस्था हो रही है ? मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह बतायें कि इस ओर कितना काम हमारे गोंडा जिले के परगना बूढ़ापार और सादुल्लानगर गांवों के अन्दर हुआ है । अगर एक भी गांव में इस ओर कुछ हुआ है किसी का घर, कुवां बना हैं यह माननीय मंत्री जी साबित कर देंगे तो मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूंगा । इसलिये आज जहां तक उनके घर तथा कुवां आदि बनवाने का सवाल है, तथा और जो उनकी जरूरत की चीजें हैं, उनका समुचित प्रबन्ध होना चाहिये । उनके रहन-सहन के तरीके में सुधार होना चाहिये । जब तक प्रदेश में पूंजीवादी प्रथा खत्म नहीं की जाती हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों का कल्याण होना असंभव है ।

श्री उपाध्यक्ष––अब आपके भाषण का समय समाप्त हो गया ।

श्री रामलाल (जिला बस्ती)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया । श्रीमन्, जहां तक इस अनुदान का संबंध है और हरिजन तथा पिछड़ी हुई जाति की समस्याओं का संबंध है, उसको प्रत्येक सदस्य जानता है । अतः मैं उन खेतिहर भूमिहीन मजदूरों की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । आज १३ साल स्वराज्य हुये हो चुके हैं और जो सुविधायें उनको मिल रही हैं वह इनको नहीं के बराबर मिल रही हैं और यह कहने के लिये कहा जाता है कि हरिजनों और पिछड़ी जातियों का उत्थान बहुत जोरों से हो रहा है । मान्यवर, जबकि

[श्री रामलाल]

इस प्रदेश के हरिजनों की संख्या एक चौथाई के लगभग हो और जिस प्रदेश का बजट लगभग १३२-१३३ करोड़ का हो उस प्रदेश के हरिजन और पिछड़ी जाति के उत्थान के लिये यह थोड़ा सा अनुदान रखा गया है उससे यह आशा की जा सकती है कि आने वाले ५० सालों में भी हरिजनों और पिछड़ी जातियों का उत्थान हो सकता है ? मान्यवर, अभी परसाल माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने यह एलान किया था कि हरिजनों को पानी पीने की अभी बहुत दिक्कत है और उसको दूर किया जायगा । क्या श्रीमन्, आज जो अनुदान प्रस्तुत है उसको देखते हुये हरिजनों की पानी पीने की समस्या जल्द से जल्द खत्म होगी, यह आशा की जा सकती है ?

मान्यवर, जहां तक नौकरी का प्रश्न है, उनके लिये १८ परसेंट रिजर्वेशन है, लेकिन जिस तरह से १८ फीसदी नौकरी-चाकरी में जगह देने में उनकी उपेक्षा की जा रही है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है ।

जहां तक भूमिहीन खेतिहरों की समस्या है आज उनकी भी हालत ज्यों की त्यों अपनी जगह पर कायम है । भले ही जमींदारी खत्म हो गई हो और उनकी हरी-बेगारी छूटी, लेकिन वह अमीरी-गरीबी का संबंध अब भी कायम है । मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे जिले बस्ती में एक गांव बांयेपोखर है जहां चकबन्दी योजना लागू है । वहां का हरिजन अपने खेत पर खड़ा हुआ कि इस पर मेरा कब्जा है तो उसे मार कर गिरा दिया गया । मान्यवर, जब उसके पास धन नहीं, कोई जरिया नहीं तो वह कौन सी अदालत में जा सकता है ? क्या यह हरिजनों की दुर्दशा नहीं है । श्रीमन्, मैं तो यह कहूंगा कि जिस तरीके से अनुदान हरिजनों के लिये रखा जा रहा है, इससे उनकी कुछ भलाई हो सकेगी यह मुझे प्रतीत नहीं होता ।

मुझे यह भी कहने में संकोच नहीं है कि जो आज प्रदेश का हरिजन है वह इस कांग्रेस सरकार के साथ ९८-९९ प्रतिशत तक की संख्या में है, लेकिन फिर भी आज उस हरिजन की इस तरीके से उपेक्षा की जा रही है । मान्यवर, पाकिस्तान से जब शरणार्थी आये आपके देश में तो उनके ऊपर अरबों रुपया खर्च किया गया, उनके लियेकालोनी बनवाई गई, उनको उद्योग-धंधे के लिये प्रोत्साहन दिया गया, सहायता दी गई, लेकिन आज चिरंतन काल से जो इस देश में बसे हुये हरिजन हैं उनकी सहायता नहीं हो रही है । क्या कारण है ? मैं साफ कह दूं मान्यवर, जिस तरीके से एक ज्वालामुखी पहाड़ भभकता है, "तुलसी आह गरीब की हरिसे सही न जाय, मुये चाम के स्वांस से लौह भस्म हो जाय" उसी प्रकार हरिजन भी मुमकिन है कि कभी सोचे और उसके अन्दर भी भभक आये और वह उबाल खा जाय,तो जो आज कांग्रेस की सरकार चल रही है, मैं आशा करता हूं कि यह नहीं रहेगी । इसलिये अगर सरकार यह चाहती है कि हरिजनों का उत्थान हो, वह भी पढ़ें-लिखें, उनको भी नौकरी चाकरी में १८ फीसदी के हिसाब से हक मिले और उनको काफी से काफी वजीफा मिले, कुओं के लिये, घर के लिये भूमि मिले, अगर सरकार यह चाहती है कि हरिजनों को हम अपने साथ रखें तो कांग्रेस सरकार को चाहिये कि स्वराज्य पाने के बाद भी जो आज गरीबी झेल रहे हैं उनकी ओर उचित ध्यान दे ।

श्रीमन्, जहां तक उद्योग-धंधों का संबंध है मुझे मालूम है कि उद्योग-धंधों से कितनी जल्दी उनका उत्थान हो सकता है ।यह मैं मानता हूं कि सरकार कुछ कार्य कर रही है लेकिन मैं नम्रता-पूर्वक कहना चाहता हूं कि सरकार जो कार्य उनके लिये कर रही है वह बिलकुल नहीं के बराबर है ।

मान्यवर, आज १२-१४ साल स्वराज्य मिले हो गये लेकिन हरिजनों की दशा अपनी जगह पर ज्यों की त्यों है । हम लोग जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो गरीब हरिजन हमसे सवाल करते हैं कि इतने सारे कार्य हो रहे हैं विकास के क्या इसमें कुछ हमारे लिये नहीं होगा । आज यह सत्य है कि जहां देश की उन्नति के लिये नहरें बन रही हैं, ट्यूबवेल लग रहे हैं वहां जो हरिजन बेचारे पानी चलाते थे, रहट चलाते थे, डोल चलाते थे वह आज नहरों और ट्यूबवेलों के बन जाने के कारण बेरोजगार हो गये हैं । मैं यह नहीं कहना चाहता कि देश की उन्नति के लिये यह सब विकास कार्य न किये जायं लेकिन जो दशा हरिजनों की है उसको सुधारना जरूरी है ।

मैं नम्रतापूर्वक मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस पर ध्यान दें,अभी समय है और अगर वे इस समय से चूक गये तो जैसा मैंने पहले कहा कि जिस तरह से ज्वालामुखी पहाड़ भभकता है उसी तरह से गरीब लोगों की आह भी भभकेगी और उससे बहुत नुकसान होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः कहना चाहता हूं कि सरकार इस समय से न चूके और गरीब हरिजनों की ओर ध्यान देने की कृपा करे ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमन्, बड़ी परेशानी के साथ मुझे मौका मिला । मैं निवेदन करता हूं कि इस बूढ़े को दो चार मिनट ज्यादा मिलने चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--जरूर मिलेंगे ।

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन्, मैं सुन रहा हूं कि पिछड़ी जातियों पर विवाद हो रहा है । मनुजी के उदाहरण आ रहे हैं और दूसरी कई कई चीजें कही जा रही हैं लेकिन पिछड़ी जाति मेरी समझ में नहीं आई । पिछड़ी जाति किसको कहते हैं ? पिछड़ी जाति यहां भी मौजूद है, कुछ पीछे बैठने वाले हैं और कुछ माइक पर बोलने वाले हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--आज राजनारायण जी आपके डर के मारे पीछे बैठे हैं । (हंसी)

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन्, कहना पड़ेगा कि गरीब ही पिछड़ी जाति होती है, जो गरीब होता है वही पिछड़ी जाति का होता है । पुलिस में भी पिछड़ी जाति होती है । चौकीदार की तनख्वाह ५ रु० से ६ रुपये नहीं हुई, लेकिन करोड़ों रुपये अनुदान पास हो गये । यहां भी पिछड़ी जाति के हैं जो मेज साफ करते हैं और चारपाई बिछाते हैं । बड़े आदमी के लिये श्रमदान किया जाता है, उसने जरा सा कुछ कर दिया तो वह श्रमदान हो गया और उसकी फोटो खींच ली गई ।

पिछड़ी जातियों का भला हो । पिछड़ी जातियों का, श्रीमन, आपके द्वारा कब होगा ? तीन जातियां हुआ करती हैं । एक राम की, दूसरी नाम की और तीसरी काम की । राम की जाति तो राम राम की धुनि लगाते मर जायगी लेकिन वह करती ही रहेगी, बाके लिये कछु होने वालो नहीं है । काम की जाति में हम लोग जो सन् २१ से करते रहे, मरते रहे । लेकिन इन नाम की जाति वालेन ने सब कुछ हासिल कर लिया, श्रीमन् । सब कुछ अपने पेट में धर लियो ।

मनु के बारे में कहो गयो । इधर से भी कहा गया और उधर से भी कमलापति त्रिपाठी जी ने फरमाया जिनकी तीन-तीन पोजीशन हैं । उन्होंने भी श्लोक कहे । मैं भी एक श्लोक कह देना चाहता हूं ।

"वृत्तिःक्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह,
धो विद्या सत्यक्रोधो दशकम् धर्मस्य लक्षणम् ।।

ये दस धर्म के लक्षण हैं । कौन इससे इनकार कर सकता है ? हां, तो मनु जी नें कहा ब्राह्मण वह जो वेद वक्ता हो, विद्वान हो, क्षत्रिय वह जो आजि के काम करै, रक्षा करै । पेट नाम वैश्य को दिया कि सब संग्रह करे और सबकूं बांटि देय । अगर रोकि लेय तो रोग हो जाय । ब्राह्मण मुखारबिन्द है लेकिन दाढ़ में कुछ रुकि जाय तो तिनका ते निकालो जाय । वैश्य अगर बेईमान हो जाय तो अफरा है जाय और नहीं तो सब कूं बांटि देय । अब आम खाने की चाह है । ब्राह्मण याने मुख--खाने कूं तैयार, क्षत्रिय तोड़ने कूं तैयार और मुंह कूं देवे कूं तैयार, वैश्य--पेट, वाकूं रखने के लिये तैयार और सब कूं बांटिवे कूं तैयार । ये सब तीनों एक । पर अगर पैर वाकूं पेड़ तक लैके न जाय तो काम कैसे बने । काम जब ही बनेगो जब चारों संगठन करि लेंगे । नीचे वाला जब तकि काम नहीं आयेगो तब तकि कछू काम होने वारो नहीं है । बड़ो आदमी बड़ी मुश्किल ते बनत हैं । उर्द-मूंग की दाल देखी है । गोल गोल होती है । रात को भिगोई जाती है । सबेरे वाकूं दला जाता है । फिर दाल उसका नाम हो जाता है । फिर उसको भिगोया

[श्री ठीकाराम पुजारी]

जाता है, फिर छिलका निकाला जाता है, फिर पीसा जाता है, फिर कढ़ाई में तला जाता है, तब जाकर उनका नाम बड़ा होता है। यह नहीं कि "हर्रा लगै न फिटकिरी" और बड़े बन गये।

आज पिछड़े हुओं का कौन भला करना चाहता है ? वोट लेने के लिये उनकूं धोका दे रहे हैं। गांवों में चलिये। सब के मरघट एक और अछूतों के मरघट भी न्यारे। अगर सच्ची लगन से और हृदय से, यहां जो बैठने वाले हम लोग ४३१ हैं कुछ करना चाहें तो १ साल के अन्दर वर्गविहीन समाज की स्थापना हो जाय। पंडित जी ने कियो कि अपने नाम के आगे जो पंडित लगता था वह निकाल दिया और अब केवल जवाहरलाल रह गये। लेकिन यहां अबहिं तक त्रिपाठी, ठाकुर साहिब, चौधरी साहिब, वर्मा जी, शर्मा जी मौजूद हैं। तो जब तक यह आगे पीछे के नाम में तें निकरि न जायेंगे तब तकि चाहे एड़ी रगड़ कै मरि जइहौ, लेकिन वर्गविहीन समाज बनिबे वारो नहीं है। एक जमाना था जब कहा करते थे--

शत्रु और मित्र में न कोई भेदभाव होगा,
दुख और सुख में समानता को लायेंगे।
जातिवाद, छुआछूत भेद को मेटि देंगे,
भारत के सपूत सच्चे वीर कहलायेंगे।
अब कथनी और करनी मांहि कोई न अन्तर होगा,
अवसरवादी गद्दारों के नाम मिट जायेंगे।
बापू जी की आत्मा की स्वर्ग से आवाज होगी,
दधीच की हड्डिन के चक्कर बनि जायँगे।
सत्य और अहिंसा का हाथ में कमान होगा,
चीन की चीनी को घोट पी जायेंगे॥

यह नहीं हो सकता कि जहां १८ प्रतिशत उनको देना है वहां २५ प्रतिशत दे दें। केवल वोट लेने के लिये ही पिछड़ी जाति का सहारा सरकार द्वारा लिया जाता है। समाज कल्याण और हरिजन कल्याण का नाम होने से ही काम नहीं चलने का। नाम तो धनपति और मुंह देखें तो यह गति। न पहनने को कपड़ा और न खाने को रोटी। तो नाम से कोई कल्याण नहीं हो सकता। जब तक कथनी और करनी एक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं निवेदन करूं कि आजादी के लाने वाले वीर बहादुर जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से निकाला उनका नाम रख दिया गया राजनीतिक पीड़ित। बेचारे मर गये, अब उनके करने के लिए ही कुछ न रहा।

आजादी के वीर बहादुर, जिनके पीड़ित नाम बने हैं, जिन्होंने डंडे दिये थे हमको, वेई पुलिस कप्तान बने हैं। सच्ची कहने पर दे धक्के, झूठी सुन के कान बने हैं। अवसरवादी व देशद्रोही मंडल के प्रधान बने हैं। जिनने पूजा की गोरन की वो इनके यजमान बने हैं। कहे पुजारी प्रजातंत्र में अब ऐसे इन्सान बने हैं।

तो कल्याण नाम से नहीं होगा बल्कि मिल जुल कर काम करने से होगा। कथनी और करनी को एक करने से होगी। श्रीमन्, मैं किसानों का नेता हूं और मेरा दावा है कि नाम के वास्ते जो नेता हैं उनको जनता आगे यहां नहीं आने देगी। महात्मा गांधी जी ने अछूतों के लिये कहा था कि समुद्र में हमारी लाश तैरेगी नहीं तो हमें अछूतों को वापस दे दिया जाय। सन् ३० में जब मैं बरेली जेल में था तो नवाब छतारी जी उस वक्त गवर्नर थे उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी मूंछें बढ़ी हुई हैं इसलिये तुम्हारे लिये एक महीने की काल कोठरी। तो मैं बतला देना चाहता हूं कि किसान, मजदूर और पिछड़े वर्ग की तरक्की होकर रहेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। मैं अभी नहीं मरूंगा, मैं उस दिन मरूंगा जब कि अछूत के लड़के को प्रधान मंत्री और किसान के लड़के को राष्ट्रपति बना दूंगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मान्यवर, हमको भी आप कभी-कभी थोड़ा समय दे दिया करें। इस समय जो समय आपने दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जो द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये माननीय राजनारायण जी ने हरिजनों की बहुत सी समस्याओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। इसमें सन्देह नहीं है कि हरिजनों की समस्यायें बहुत ही पुरानी हैं और यह जो सदियों का कोढ़ है उसको दूर करने की अत्यन्त आवश्यकता है। इन कोढ़ों को दूर करने के लिये आजादी प्राप्त करने के बाद कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ प्रयत्न किया है लेकिन यह समस्या इतनी पुरानी और व्यापक है कि इतने थोड़े समय में जिस गति से प्रयास हुआ है वह सन्तोषप्रद नहीं है और अधिक गति से यह काम होना चाहिये था ताकि हरिजनों का सुधार हो और थोड़े समय में ही काफी से काफी सुधार हो जाय।

माननीय राजनारायण जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है लेकिन उन्होंने सरकार का ध्यान अनेकों समस्याओं की तरफ दिलाया है और उन समस्याओं को सुलझाने के लिये धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, अगर वह इस तरफ भी ध्यान देंगे तो आशा है कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और सरकार को अधिक धन देकर हरिजनों की समस्या को हल करने का अवसर देंगे।

आज की परिस्थिति में हरिजन कल्याण के लिये सरकार द्वारा जो काम हो रहे हैं उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें सन्देह नहीं कि हरिजनों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक अवस्था शोचनीय है और वह आज भी सन्तोषप्रद नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में काफी धन व्यय हो रहा है यह ठीक है लेकिन बढ़ती हुई आबादी को देखकर और हरिजनों की बढ़ती हुई संख्या को देख कर जितना धन आज उन पर व्यय हो रहा है वह बहुत कम है। कक्षा १ से १० तक के विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति के नियम हैं उनके आधार पर सब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती, हाई स्कूल के बाद इन्टर और विश्वविद्यालय तक शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों के लिये जो धनराशि केन्द्रीय सरकार से मिलती है उसको मिला कर एक कम्पलसरी स्कालरशिप कर दिया गया है, लेकिन कक्षा १ से १० तक के विद्यार्थियों में वह सब को नहीं मिल पाती। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है माननीय हरिजन कल्याण मंत्री से कि अन्य कामों में जो इतना व्यय होता है उसे चाहे वह कम करें लेकिन कक्षा १ से १० तक के छात्रों को जरूर छात्रवृत्ति दें, क्योंकि दसवें क्लास तक की एक सीढ़ी है, जिसको पास करने के बाद ही उसको किसी प्रकार की जीविका पाने का सहारा मिलता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसी व्यवस्था की जाय और इतना धन दिया जाय कि प्रत्येक हरिजन विद्यार्थी किसी भी तरह की शिक्षा पा सके। इसलिये हाई स्कूल तक के सभी विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से छात्रवृत्ति दी जाय। जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उनके लिये कुछ प्रतिबन्ध हैं। परन्तु आज की जो आर्थिक और समाजिक स्थिति है और जिस तरह से गरीब परिवारों के लोग अनेक कष्ट और विघ्नों से संतप्त रहते हैं उसको देख कर यह नियम जो है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति न दी जाय, यह बहुत कड़ी बात है, अगर कोई गरीब छात्र फेल भी हो जाय तब भी उसको छात्रवृत्ति दी जाय। यह जो नियम है कि जो फर्स्ट टर्मिनल में फेल हो तब तो निःशुल्क नहीं किया जाता यह बड़ी कठिनाई पैदा करता है।

हरिजनों के सम्बन्ध में जो टेक्निकल शिक्षा की व्यवस्था की गई है उसके सम्बन्ध में मुझे कहना है कि प्रतिवर्ष जो हरिजन छात्र भिन्न-भिन्न प्रकार की ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं वह किस प्रकार अपने जीविकोपार्जन के लिये साधन उपलब्ध कर सकें यह व्यवस्था नहीं की जा सकी है। उनका रेकार्ड विभाग द्वारा रखा जाना चाहिए---कहां नौकरी पाई, क्या साधन उपलब्ध किये, जीवन निर्वाह के लिये, इस बारे में जानकारी करें और जो असमर्थ हों रोजी प्राप्त करने में उनकी सहायता की जाय।

कुएं के बारे में यह कहना है कि प्लानिंग और हरिजन कल्याण दोनों विभागों की तरफ से कुएं बनवाने की व्यवस्था की जाती है। प्लानिंग विभाग से करीब ४०० रु०, हरिजन कल्याण

[श्री रामसूरतप्रसाद]

विभाग से करीब ५०० रु० और केन्द्रीय सरकार की कोई योजना चली है उससे ७५० रु० का धन मिलता है। लेकिन जितनी हरिजनों की संख्या है और जितनी उनकी बस्तियां हैं उनके लिये यह धन कम है। प्लानिंग और हरिजन कल्याण विभाग एक साथ मिल कर इस काम के लिये कम से कम हर जिले में सर्वे कराएं कि कितने गांव हैं, कितनी हरिजनों की आबादी है और कहां सबसे पहले कुएं बनवाना आवश्यक है। इस प्रकार दोनों विभागों का पया इकट्ठा करके कुएं बनवाने की व्यवस्था की जाय।

कृषि सम्बन्धी जो अनुदान दिया जाता है उसमें कुछ प्रतिबन्ध है। १९४९ में जो भूमिहीन रहे हों या उससे पहले ढाई एकड़ से कम जमीन रही हो उन्हीं को अनुदान दिया जाएगा। अधिकांश हरिजन ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है। मेरा सुझाव है कि यह प्रतिबन्ध हटा लिया जाय।

नौकरी के बारे में अभी तक १८ परसेन्ट रिजर्वेशन पूरा नहीं हो सका। इस सम्बन्ध में सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया है। वह रिपोर्ट देगा तभी कहा जा सकेगा कि सन्तोषप्रद रहा या असन्तोषप्रद रहा। लेकिन १८ परसेन्ट का रिजर्वेशन जो है यह तो बहुत पहले पूरा कर दिया जाना चाहिए था। सारे रूल्स को ढीला करके हरिजनों को मदद को जानी चाहिए थी। उसको करने में असमर्थ रहे, यह खेद की बात है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उदार होकर इस दिशा में सोचें। यही हरिजनों के विकास के लिये एक साधन है। उनके पास जमीन नहीं है, रोजी का साधन नहीं है, पैसा भी नहीं है। अगर पढ़-लिख कर नौकरी में निकल जायेंगे तो उससे उनके परिवारों का भी विकास हो सकेगा, आर्थिक विकास हो सकेगा और जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति हो सकेगी।

श्री शिवराम (जिला बिजनौर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक हरिजन, पिछड़े वर्ग और अन्य जातियों का प्रश्न है जो कि पर्वतीय प्रदेश में रहती हैं उनके विषय में जो सरकार सहायता वगैरह प्रदान करती है वह तो उनको जिस समय में मिलती है वह सभी जानते हैं। अभी तक इस १२ वर्ष के शासन में हम अस्पृश्य जातियों को ई परसेंट नौकरी दे सके हैं। गन्दी आबादियां जो हैं उनमें कोई सुधार नहीं कर पाये। जहां तक अस्पृश्यता निवारण का कानून बना उस कानून में कहां तक गुंजायश है उसको भी देखने से पता चलता है कि अभी तक उस कानून के अन्दर जितनी भी सजायें दी गई हैं वे १ रुपये से लेकर ५० रुपये तक दी गई हैं, जब कि ५०० रु० तक का जुर्माना और ६ महीने तक की सजा का प्राविधान है। साथ ही ऐसे केसेज जल्दी नहीं निपटाये गये, उनमें देर की जाती है। इसलिये भी छुआछूत दूर नहीं हुई।

नौकरियों में देखा जाय तो किसी भी विभाग में १८ फीसदी हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग नहीं मिलेंगे। अगर कोई प्रार्थी एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज में जाता है तो उसके नाम को भेजा नहीं जाता किसी विभाग में और कह दिया जाता है कि तुम इस योग्य नहीं हो। दफ्तरों के बाबू लोग भी कहते हैं अगर किसी ऐसे आदमी को लेंगे तो एक ग्लास पानी का भी आराम नहीं रहेगा। इसमें सरकार की ही कमजोरी नहीं है बल्कि उन लोगों की भी है जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम देखते हैं कि उनके अधिकारों की पूर्ति नहीं होती तो हमको कड़ा कदम उठाना चाहिये।

क्या कारण है कि छुआछूत अभी तक दूर नहीं हो पायी? कहा जाता है कि चीन ने हमला कर दिया है और हमको सुदृढ़ हो कर काम करना चाहिये। लेकिन देखते यह हैं कि सूबे के किसी भी जिले में हरिजनों को कुओं से पानी तक नहीं भरने दिया जाता है। वोट लेने के वक्त पहुंच जाते हैं। जहां भी देखिये हर जगह जहां गरीबों की बस्तियां हैं उनके मोहल्लों में रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं, उनकी स्त्रियों के लिये टट्टी जाने का प्रबन्ध नहीं है।

क्या उनके इज्जत नहीं है ? गृह उद्योग, कुटीर उद्योग तथा नौकरियों में उनको किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। कितनी सहकारी समितियां उन लोगों की सरकार ने बना कर उनको प्रोत्साहित किया है ? अक्टूबर, नवम्बर में जिला सूचना अधिकारियों का चुनाव हुआ, लेकिन उसमें हरिजनों को अनुपात से नहीं लिया गया। ऊंची नौकरियों में उनको नहीं लिया जाता है। अगर सरकार छुआछूत को देश से दूर कर देगी तो देश में बहुत कुछ हो सकता है। क्या कारण है कि सरकार की प्रगति योजनाओं की रुकी पड़ी है ? स्पष्ट है कि उनके अधिकारों को नहीं दिया जाता है इसीलिये वे उपेक्षा की दृष्टि रखते हैं। हरिजन कल्याण अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं हैं। वे अगर किसी को रुपया देना चाहें, तो नहीं दे सकते जब कि अन्य अधिकारियों को काफी अधिकार हैं। अगर वह हरिजनों के प्रति दुर्व्यवहार की शिकायत करता है तो अन्य अधिकारी उस रिपोर्ट को मंजूर नहीं करते हैं। उनके कार्यालय को पूरा सामान तक नहीं मिलता तो वह क्या कार्य करेंगे ? कुछ विभागों में ऐसे अधिकारी भेज दिये जाते हैं जो स्वयं छुआछूत मानते हैं तो वह क्या छुआछूत को दूर कर सकेंगे ? उनसे कोई आशा नहीं की जा सकती।

इसी प्रकार से जो इस वर्ष हरिजन विद्यार्थियों के लिये छात्रवृति की व्यवस्था की गयी है उससे काफी परेशानी पैदा हुई है। सूबे की सरकार आज इस प्रकार छ त्रवृति नहीं देती जैसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट दिया करती थी। हमारी सूबे की सरकार उनकी छात्रवृति की व्यवस्था ठीक समय पर नहीं कर पाती। मैंने पिछली बार कहा था कि सन ५७–५८ का वजीफा अब आकर अक्तूबर-नवम्बर में पिछले साल बांटा गया। यह एक-एक साल तक क्यों दबा रहता है ?

दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रीज वगैरह में जो सहायता दी जाती है वह ठीक समय पर नहीं मिल पाती। ५०-६० रुपये तो आने-जाने में तथा कागजात अटेस्ट कराने में खर्च हो जाते हैं। लिहाजा जो सहायता इंडस्ट्रीज में, मकान बनाने में, कुयें बनाने में दी जाती है वह ठीक समय से दी जाया करे, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये।

श्री भूपकिशोर—लोग शोर मचा रहे हैं और इस तरह से माननीय सदस्य भाषणों में बाधा डाल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—भूपकिशोर जी की बात ठीक है। आप लोग आपस में बात न करें।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, आज का जो अनुदान बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड क्लास की तरक्की के लिये पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और उसके साथ-साथ यह मानी हुई बात है कि आज हम चाहे कितना ही चिल्लायें कि हरिजन तथा बैकवर्ड क्लास की तरक्की नहीं हुई लेकिन मैं उसे मानने के लिये तैयार नहीं। इसलिये आज का जो अनुदान है मैं समझता हूं कि यह किसी पार्टी पालिटिक्स या मतभेद में उलझ कर नहीं रह जाना चाहिये। इसे हमें पार्टी पालिटिक्स के ऊपर उठ कर सोचना होगा ताकि यह रोग और कमजोरी जितनी जल्द खत्म हो जाये उतना ही अच्छा है। इसलिये मैं इस माननीय सदन के सामने सफाई से कहना चाहता हूं और हमें यहां बगैर किसी डर के सफाई से कहना चाहिये—
"कफस में सदाये चमन कहते न डर हमदम, गिरी थी जिस पे कल बिजली वह मेरा आशयां क्यों हो।"

इस देश में यह एक पुराना मसला है, आज से नहीं एक तारीखी बात है, इसमें यह जात-पांत और छुआछूत का रिवाज बहुत पुराना मर्ज है। इसके कारण इस मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा, सोसाइटी में कितनी कमी बाकी रही और इस मुल्क की कसीर तादाद उन तमाम हुकूक से महरूम रही इसे सभी जानते हैं। जब यह एक बीमारी है और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यह बीमारी राष्ट्र के लिये हानिकारक है तो उसके लिये इलाज भी उतना ही अहम और जरूरी सोचना है। मर्ज जितना ही मौलिक और दुखदायी है इलाज भी उतना ही संजीदगी के साथ सोचना है। इलाज कभी मजहबी और कभी सियासी नुक्तेनिगाह से सोचा गया। जब

[श्री अहमद बख्श]

मजहबी निगाह से इलाज सोचा गया तो यह खयाल पैदा हुआ कि हमें छुआछूत मिटाना है लेकिन मैं समझता हूं कि वह अमल कभी करगार नहीं हुआ।

इसके बाद हिन्दुस्तान की सियासत ने रुख पलटा। कुछ सियासी आवश्यकताओं और विचारों ने इस बात को महसूस किया कि हम इस जात-पांत का भेद और ऊंच-नीच का फर्क अपने देश से मिटा दें और उसके लिये कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों का, कठिनाइयों का तथा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तब जहनी तौर पर यह तब्दीली पैदा हुई कि हमें इस मतभेद को मिटाना है और अगर किसी चीज की कमी या बुराई को महसूस करते हुए हमारे जेहन में यह चीज पैदा हो जाये कि हमें यह मर्ज दूर करना है और वह मर्ज दूर होने लगा हो और चन्द आसानियां उससे फराहम होने लगी हों तो अगर यह कहा जाय कि इसमें कुछ तरक्की नहीं हुई तो मैं उसे समझने से कासिर हूं। इस मुल्क के एक तबके के जेहन में यह चीज पैदा की गयी थी कि हमें दूसरों की खिदमत करनी है और दूसरे तबके के जेहन में यह चीज पैदा हो गयी थी कि हमें दूसरों से खिदमत लेनी है और आज अगर जेहनी तौर पर यह चीज आ गई कि हम इसलिये पैदा नहीं हुये कि हम किसी की खिदमत करें, बल्कि इसलिये पैदा हुए हैं कि हमें बराबरी का हक है और हमें इस मुल्क में बराबरी के हक हासिल हैं और हम उन तमाम चीजों से फायदा उठा सकते हैं जिनसे दूसरे बड़े आदमी उठा सकते हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि कुछ तरक्की नहीं हुई।

मैं यह कह देना अपना फर्ज समझता हूं कि हम यहां पर इसलिये आये हैं कि अपनी कमियों और खराबियों पर नजर डालें जिनको दूर करने के बाद हम तरक्की कर सकते हैं। यहां एक रिवाज-सा हो गया है कि एक ग्रांट पेश होती है, उसकी ताईद और तरदीद में कुछ तकरीरें हो जाती हैं, शाम को वोटिंग हो गयी और वह चीजें किस्से या कहानी के तौर पर पुरानी हो गयीं। आज यह मसला इतना अहम है कि अगर इस पर गौर करें तो हम समझ सकते हैं कि राष्ट्र में कितनी कमी है और इस कमी के दूर न होने से हमारे राष्ट्र की एकता में कितना फर्क आता है। आज साइंटिफिक तरक्की इतनी हो गयी है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क का पड़ोसी हो गया है। आप हिन्दुस्तान के किसी दूसरे हिस्से में शायद शाम तक न पहुंच सकें लेकिन विदेशी मुल्क में जरूर पहुंच सकते हैं। वहां के असरात हमारे यहां आ सकते हैं और हमारे असरात वहां पहुंच सकते हैं। ऐसी हालत में अगर हम में यह मतभेद बाकी रहा तो जाहिर है कि हमें यह कमी कितना नुकसान पहुंचा सकती है। आज कुछ लोग इस बात पर लगे हुये हैं कि हम किस मुल्क की किस कमजोरी से क्या फायदा उठायें। तो आज राष्ट्र की उन्नति और उसकी मजबूती के लिये भी यह जरूरी है कि हमारे मुल्क से यह बीमारी दूर हो जाय और जितनी जल्दी दूर हो जाय उतना ही अच्छा है। आखिर इसको दूर करने में इतनी देर क्यों हो रही है? अगर हम देखें तो हमें मालूम होगा कि जहनी तौर पर तो हम एक दूसरे के करीब हैं लेकिन अमली तौर पर एक दूसरे से बहुत दूर हैं। "मरीजे इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की।" अब से बीस बरस पहले नामों के बाद दुम पुछल्ले नहीं लगते थे, लेकिन आज नाम से पहचाना जा सकता है कि कौन किस जात का है। और अगर किसी अफसर को, किसी सरकारी मुलाजिम को यह मालूम हो जाय कि यह किस जात का है तो शायद वह थर्ड क्लास को फर्स्ट क्लास पर तरजीह दे दे और फर्स्ट क्लास को बिल्कुल निकम्मा आदमी बना दे। यह असबियत हम में है। तो जब यह असबियत उन ऊंचे तबकों में है जिनमें नहीं होनी चाहिये तो छोटे तबकों की बात ही क्या है।

आज मुलाजिमतों का सवाल आपके सामने है कि १८ फीसदी हरिजनों को मिलनी चाहिये। मुलाजिमत फिरकेवाराना चीज नहीं है बल्कि यह एक आर्थिक पहलू है। आज अगर १८ फीसदी मुलाजिमतों के लिये काबिल हरिजन नहीं मिलते हैं तो उसके लिये हमें प्रयत्न करना चाहिये कि हमें १८ फीसदी मिल जायं। लेकिन कल को अगर हमारे अन्दर २६ और ३० फीसदी काबिल लोग होंगे तो क्या इस बात के लिये भी हम तैयार हैं कि उनको उस हद तक मुलाजिमतें दें? लेकिन जहां तक तरक्की का सवाल है मैं इस बात पर सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि उसने

अपनी किसी तहरीक में इस बात की कमी कभी नहीं की कि इस तरफ तवज्जह होनी नहीं चाहिये। जो लोग पहले अपनी जबान खोलते घबराते थे आज वे अपने अधिकारों की मांग करते हैं। पहले इस मुल्क में एक आदमी दूसरे आदमी से इतना घबराता था कि अगर हम कहीं इसके पास चले गये तो २५ बेगार देनी पड़ेंगी। आज वह बेगार खत्म हुई। आज इंसानियत के नाम पर यह सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि इस देश में जात-पात का मतभेद न रहे। लेकिन कोई सरकार अगर चाहे तो इस चीज को पूरा नहीं कर सकती इसलिये कि यह सरकार का काम नहीं बल्कि समाज का काम है। इसलिये समाज में वह जहनियत पैदा की जाय जिससे जात-पात का भेद दूर हो।

इसके अलावा जो बैकवर्ड क्लास और हरिजनों की एक लिस्ट है वह मैं समझता हूं कि मजहब के नाम पर नहीं होनी चाहिये बल्कि तबके के नाम पर होनी चाहिये। उत्तर प्रदेश में बाज जातियों को मजहब के नाम पर बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में शामिल किया है बाज को नहीं। मसलन हिन्दू धोबी और मुसलमान धोबी। हिन्दू व मुसलमान नाई आदि शामिल हैं। इसके बरखिलाफ हिन्दू गूजर बैकवर्ड में शामिल हैं और मुसलमान गूजर नहीं। हिन्दू वाले कोरी और तेली शामिल हैं मगर मुसलमान शामिल नहीं हैं। ऐसा भेद नहीं होना चाहिये जबकि आल इन्डिया बैकवर्ड कमीशन ने पूरी छान-बीन के बाद एक लिस्ट जातियों और पेशों के आधार पर और नाम पर बनायी है कि मजहब के नाम पर यह फर्क भी दूर होना चाहिये। ऐसे ही मुसलमान भंगी अछूत की लिस्ट में शामिल नहीं हैं जब कि उसकी आर्थिक, नैतिक और सामाजिक हालत गैर मुस्लिम भंगी से ज्यादा खराब है। मुझे पूरी आशा है कि सरकार इस ओर अपना ध्यान देकर इस कमी को पूरा करेगी।

श्री उपाध्यक्ष--आपके भाषण का वक्त खत्म हो गया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज-नारायण जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज इस अनुदान के द्वारा हम अपने समाज और देश के जिस अंग पर विचार कर रहे हैं, उसकी समस्या हमारे देश के लिये और हमारे समाज के लिये सब से प्रमुख और गम्भीर समस्या है और देश की आजादी के बाद हमारे देश की जनता के प्रतिनिधियों ने इस समस्या के औचित्य को समझा था कि समाज के इस अंग को जो पिछड़ा हुआ है सामाजिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से भी उसका उत्थान होना नितान्त आवश्यक है। इसीलिये इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति एक ऐसा कमीशन बनायेंगे जो सारे देश में भ्रमण करके और जांच-पड़ताल करके सरकार को बतायेगा कि इस सम्बन्ध में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिये। इसी धारा के मातहत एक कमीशन का निर्माण हुआ और उसने पूरे मुल्क की छानबीन करने के बाद और आवश्यक शहादतें लेने के बाद कुछ सिफारिशें राज्य सरकार से कीं। मुझे अत्यन्त दुख है कि आज चार साल बीत गये, लेकिन आज तक उन सिफारिशों को लागू करने के लिये भारत सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है।

श्रीमन्, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे देश और प्रदेश के हरिजन तथा पिछड़े वर्ग की समस्या राष्ट्रीय समस्या है। यह केवल किसी अंग विशेष की समस्या नहीं है। जिस देश तथा समाज का सबसे बड़ा अंग यानी ७५,८० प्रतिशत जनता पिछड़ी हुई हो वह समाज और वह राज्य सबल नहीं हो सकता है, शक्ति सम्पन्न नहीं हो सकता है, उन्नतशील नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उसकी ७५, ८० प्रतिशत जनता की हालत सुधर न जाय। इसलिये हर सरकार का नैतिक और राष्ट्रीय कर्त्तव्य हो जाता है कि वह समाज के इस पिछड़े हुये वर्ग के उत्थान के लिये आवश्यक कदम उठाये। आज सब से बड़ी जो आवश्यकता है वह लोगों की विचारधारा के अन्दर क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की है। अभी तक लोगों की

[श्री चन्द्रजीत यादव]

विचारधारा के अन्दर परिवर्तन लाने के लिये साहित्य के द्वारा, समाजिक कार्यक्रमों के द्वारा तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के द्वारा कोई कदम नहीं उठाये गये हैं।

श्रीमन, अगर प्राइमरी स्कूल में जायें तो वहां पर जांति पांति का वीभत्स स्वरूप देखने को मिलता है। शिक्षक के द्वारा बच्चों में भावना पैदा की जाती है और उसी को लेकर बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसलिये सरकार को इधर ध्यान देना चाहिये कि प्रारम्भिक शिक्षा के अन्दर ऐसे कार्यक्रम बनाये जायें तथा ऐसे रचनात्मक कार्य लिये जायं जिससे हमारे बच्चों के दिमाग में जाति पांति और ऊंच-नीच की गन्दी भावना भरने न पाये, क्योंकि बच्चों के दिमाग में जो भावना इस समय भर जाती है उसी को लेकर वह आगे बढ़ते हैं। इसलिये इस चीज का यहीं पर अन्त कर देना चाहिए।

श्रीमन्, मैं इस मौके पर इस आदरणीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे समाज में सरकार जो प्रथा पैदा कर रही है कि हरिजनों के लिये अलग स्कूल बनाये जायें, अलग छात्रालय बनाये जायं। यह बड़ा गम्भीर खतरा है। इसको हमें दूर करना चाहिये। आज क्यों न हरिजन बच्चों के लिये स्कूलों में स्थान सुरक्षित रखे जायें, क्यों न छात्रावास में पहले इनको भरती किया जाय और उनके स्थान देने के बाद दूसरे वर्ग के बच्चों को स्थान मिलना चाहिये। यही बात क्यों नहीं लागू की जाती है ? इसी प्रकार से यह परम्परा चली आ रही है कि गांवों के अन्दर हरिजन बास्तयां अलग बसी हुई हैं। कितनी लज्जाजनक और खेदजनक बात है। जब तक वह मिल कर एक साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे की समस्याओं को नजदीक से नहीं समझेंगे, तब तक इस प्रकार के भेद भाव की नीति न केवल उनके लिये बल्कि पूरे समाज के लिये घातक होगी। इसलिये इस नीति को फौरन छोड़ना चाहिये।

श्रीमन, दूसरी सब से गम्भीर समस्या यह है कि अगर इस समाज को उठाना है, इनकी उन्नति करनी है तो इनकी आर्थिक समस्या को सब से पहले हल करना चाहिये और सरकार को अपनी नीतियों में इस दृष्टिकोण से परिवर्तन करना चाहिये। मैं नहीं समझ पाता कि आज जिस हदबन्दी कानून को सरकार लागू करने जा रही है इसे आज से ११ साल पहल क्यों नहीं लागू करने की कोशिश की और मैं तो इस हदबन्दी कानून के अन्दर भी चाहता हूं कि इस दृष्टिकोण से परिवर्तन किया जाय कि जितनी भूमि मिलनी है हमारे उस कानून के द्वारा वह भूमि पहले भूमिहीन हरिजनों को दी जायगी। उसके बाद तब दूसरों को दी जायगी। इस प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था उस कानून में होनी चाहिये।

सरकार जो औद्योगिक सहायता देती है उसके अन्दर भी कानूनों में ऐसा परिवर्तन होना चाहिये कि हम उद्योग के लिये जितनी सहायता देते हैं उसमें सब से पहले हरिजनों को देंगे उसके बाद पिछड़े हुये लोगों को देंगे और तब दूसरे लोगों को देंगे। जब तक यह दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता, कायदे कानून के अन्दर इस प्रकार के परिवर्तन नहीं होते हैं तब तक इन वर्गों की समस्या नहीं सुलझ सकती है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी दरख्वास्त करना चाहता हूं, वह इस बात पर विचार कर रहे हैं कि प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क पूरे प्रदेश के लिये की जाय। मैं चाहूंगा कि चाहे उसमें पांच साल और देर हो जाय इस कार्यक्रम को लागू करने में। अगर इतना धन आपके पास नहीं है तो आप इस बात की सर्वप्रथम व्यवस्था करें कि हरिजन बच्चों के लिये प्रारम्भिक और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो जाय। जो बच्चे आज स्कूलों में इसलिये नहीं जा सकते हैं कि उनके मां बाप की हालत खराब है उनके लिये सरकार सहायता दे, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। केवल इस वर्ग के लिये पहले सरकार अनिवार्य शिक्षा लागू कर दे जिससे कि वह स्कूलों में जा सकें। दूसरे और कानूनों के अन्दर भी इस दृष्टिकोण से परिवर्तन हो और उन कानूनों को तेजी से मजबूती से लागू किया जाय जिससे कि जाति पांति के नाम पर चाहे सरकारी नौकरियों में, चाहे किसी भी समाज के अंग में अगर यह प्रवृति पायी जाती है तो सख्त से सख्त कदम उसके खिलाफ उठाया जाय। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने में सरकार को कोई हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिये। आज जाति पांति की प्रवृति समाज

के हर अंग में तेजी से बढ़ती जा रही है और जब जाति पांति बढ़ती है तो समाज का सब से निर्बल और कमजोर अंग उसका सब से पहले शिकार होता है, क्योंकि उसकी आर्थिक पृष्ठ भूमि कमजोर होती है और समाज के अन्दर सब से अधिक वह ही सताया जाता है।

मेरा ऐसा विचार है कि जब तक सरकार प्रदेश में भूमि नहीं बांट लेती, तब तक इनका उत्थान संभव नहीं है यद्यपि मैं जानता हूं कि उसके बाद भी इसका समाधान नहीं होने वाला है। क्यों नहीं सरकार खेतिहर मजदूरों के लिये अच्छी मजदूरी निर्धारित करने का कानून बनाती ? यह कानून आज से दस वर्ष पहले आना चाहिये था, लेकिन आज तक नहीं आया।

श्रीमन्, प्लानिंग विभाग को निश्चित निर्देश सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिये कि हरिजन जब कुओं के लिये या मकान के लिये दरख्वास्तें दें तो यह उनका कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह देखें कि कहां कुआं नहीं है पानी पीने के लिये, कहां कौन हरिजन ऐसे मकानों में रह रहा है जो मनुष्य के रहने के लायक नहीं हैं। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि सरकार उनके लिये कुओं और मकानों को बनवाये बगैर इस बात का खयाल किये हुये कि उसके लिये दरख्वास्तें वह दें। आज जो लाल फीताशाही का चक्र चलता है उसमें वह बेचारे जिस प्रकार इन तमाम बातों से वंचित रह जाते हैं, वह सभी को मालूम है। तो इन सब बातों में उनकी रक्षा होनी चाहिये। यह सब चीजें ऐसी हैं कि जब सरकार अच्छी तरह से इन पर ध्यान नहीं देगी तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हमारे संविधान की धारा १६(४) के अन्दर इस बात की व्यवस्था है कि अगर राज्य सरकार इस बात को समझती है कि समाज का कोई पिछड़ा हुआ अंग ऐसा है जिसका सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है तो सरकार को हक है कि वह उनका प्रतिनिधित्व उसमें निश्चित करे। आज हरिजन जातियों का प्रतिनिधित्व डेढ़ परसेंट है, पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व आधा परसेंट है। क्या सरकार डेढ़ प्रतिशत और आधा प्रतिशत प्रतिनिधित्व को इतना उचित समझती है कि सरकार के लिये उनका स्थान निर्धारित करना अनिवार्य नहीं हो जाता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर सरकार अपने नियमों में परिवर्त्तन करे।

(श्री राजनारायण का नाम पुकारा गया)

एक सदस्य--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय राजनारायण जी को बुला चुका हूं।

श्री राजनारायण--श्रीमन, मैं भी जो प्रस्ताव समय बढ़ाने का आ रहा है उसका समर्थक हूं।

श्री उपाध्यक्ष--आप बोलिये। मैं उसके पक्ष में नहीं हूं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, हमने जो कटौती का प्रस्ताव किया है अगर देखा जाय तो इस सदन में एक भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं है जो हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थक न हो। तो हमारा जो बोझ था जवाब देने का वह करीब-करीब बहुत कुछ खत्म हो चुका है। अफसोस इतना जरूर है कि माननीय शिक्षा मंत्री बहुत समय तक इस सदन में नहीं रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उनके लिये एक अच्छा सा नोट तैयार करके रखा हो और उनको जानकारी हो गई हो मगर अपने से जानकारी करना, मुखाकृत, भृकुटी और चेष्टा को देखकर अपने से उनका अनुभव करना दूसरी बात होती है। किसी व्यक्ति द्वारा रपट मिलने पर वह मजा, रस और आनन्द नहीं मिलता है और न उसके मुताबिक उसका प्रत्युत्तर ही हो सकता है।

[श्री राजनारायण]

हमको एक बात की बड़ी प्रसन्नता है। मैं ऐसा देख रहा हूं कि ८, ७ वर्ष तक जो हमने इस सदन में परिश्रम किया है वह विफल नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे माननीय हरिसिंह पहले जब भी बोलते थे, वह मेरे बाद बोलते थे और हमारी आलोचना किया करते थे और गवर्नमेंट की तारीफ करते थे आज उन्होंने हमारी हर बात का समर्थन किया है बल्कि हमारी बातों में कुछ अपनी बातों को भी जोड़ दिया है कि यह भी होना चाहिये, यह भी होना चाहिये जिनको समय की कमी के कारण मैं उस समय नहीं कह पाया था।

अब देखा जाय कि आखिर सरकार का यह मन्त्रालय चल कैसे रहा है। इस तरीके से हरिजनों के साथ और पिछड़ी जातियों के साथ न्यायपूर्ण कार्यवाही कहां रही? क्योंकि कांग्रेसी पक्ष से एक भी सदस्य ऐसा नहीं उठा जिसने सरकार की नीति की कड़ी से कड़ी आलोचना न की हो और सरकार की नीतियों को गलत साबित न किया हो। उन सब लोगों ने यह कहा है कि सरकार की यह नीति गलत है और यहां तक कह दिया कि यह मंत्री महोदय, जिनके हाथ में यह विभाग है, वह भी निकम्मे हैं। यह सरकारी पक्ष के लोगों के उद्गार हैं तो फिर हम क्या कहें? कांग्रेसी सदस्य स्वयं उत्तर दें कि यह सरकार क्यों चल रही है?

श्री उपाध्यक्ष---तो आप बैठ जाइये।

श्री राजनारायण---नहीं साहब, यह तो नहीं होगा। अब मैं जरा एक चीज और बता दूं जो उस समय रह गई थी। एक सुझाव हमने यह दिया था कि सरकार की ओर से जो रिजर्व्ड सीट्स हैं, जितने स्थान सुरक्षित हैं अगर वह पूरे नहीं होते हैं तो सरकार क्या करे। तो एक बात पहले बताई थी कि जहां हरिजनों के लिये १८ फीसदी और बैकवर्ड जाति के लिये ४० फीसदी स्थान हैं उसमें हमको उन्हीं विद्यार्थियों को उसी वर्ग से लेना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि यह विद्यार्थी, जहां तक लिखने-पढ़ने की बात है, परीक्षा में तो अच्छा लिखते हैं मगर जब इन्टरव्यू में आते हैं तो कम नम्बर मिलता है। इसके कारण को सोचना चाहिये और इसके बुनियादी कारण पर जाना चाहिये। इन्टरव्यू करने वाले कौन लोग हैं? इन्टरव्यू में वही लोग होते हैं जो उच्च स्थानों पर बैठे हैं और ऊंचे पदों पर बैठे हैं। मैं किसी एक विभाग की बात नहीं कहता हूं सब जगह यही हाल है। मुझे अफसोस के साथ एक उदाहरण इसके लिये देना पड़ेगा। मैं केवल उदाहरणस्वरूप यह कहना चाहता हूं कि माननीय कमलापति जी अपने सूचना विभाग को देखें क्योंकि उनके संबंधित सूचना विभाग की बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। उस विभाग की पूरी लिस्ट मेरे पास है। उसमें कितने ही लोग ऐसे हैं जो मंत्रियों से संबंधित हैं। कितने लोग डाइरेक्टर साहब से संबंधित हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो सगे भाई हैं। एक साहब एक आदमी के सगे भाई हैं। नाम लेने से आपने रोक दिया। नाम नहीं लूंगा। मगर आप समझ लीजिये कि अगर कोई ऊंची कुर्सी पर बैठ जाता है तो फिर उसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है। उस विभाग में सगे भाई हैं, डाइरेक्टर के भाई हैं, साले के भाई हैं, भाई के भाई हैं और भाई के बहनोई हैं। यही सब वहां पर भरे पड़े हुए हैं।

एक अखबार 'संसार' बनारस से निकलता था। माननीय शिक्षा मंत्री उस पत्र के सम्पादक थे। जरूर वह वहां पर रहे मगर जितने लोग वहां पर काम करते थे करीब-करीब वह सारे के सारे यहां पर आ गये हैं और वही इस विभाग में लगे हुए हैं। यह क्या हो रहा है? अगर हरिजन उस कुर्सी पर बैठे होते और उनके कुछ शिक्षित लोग या उनसे संबंधित लोग वहां आ जाते तो उनका कलेजा थोड़ा सा ठंडा होता किन्तु आज ठंडा किनका हो रहा है? जो एक हजार रुपया महीना या अधिक पा रहे हैं उनका कलेजा ठंडा हो रहा है। जो साक्षात्कार करते हैं उनका पद ऊंचा होता है। ऐसा नहीं है कि हम उनके विरोधी हैं,

लेकिन देश को बनाना है या नहीं, यह हमें सोच लेना चाहिये। अगर देश को बनाना है तो हमें उनकी मदद करनी होगी। मान लीजिये कि हम १ अरब ३५ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं तो जब हमारे बीच में ८५ फीसदी हरिजन और बैकवर्ड लोग हैं तो उनके उत्थान के साधन क्यों नहीं निकाले जाते। जितने भाषण यहां हुए हैं। उनकी छानबीन करके उनमें दिये गये सुझावों को मूर्तिमान रूप क्यों नहीं दिया जाता? इसीलिये मैं कहता हूं कि सरकार एक करोड़, दो करोड़, १०, २०, ५० करोड़ खर्च कर के भी अगर इनको हमारे समकक्ष ले आवे तो उस रकम को देने में हमें कोई एतराज नहीं है। हम वहां तक देने के लिये तैयार हैं। क्योंकि विकास ही तो हमारा ध्येय है और हमें जो पहले ही से विकसित हैं उनका तो विकास करना नहीं है। इसलिये जो अविकसित है पहले हैं पहले उनका विकास करना चाहिये। उनको उठाना और विकसित वर्ग के समकक्ष ले आना है और यही दृष्टिकोण का भेद है हमारे और कमलापति जी में यानी सरकार में।

आज कंगाली के कीचड़ में करोड़पतियों के कमल नहीं खिलाना चाहिये और मैं देखता हूं कि एक तरफ तो हरिजनों के लिये कीचड़ फैलाया जा रहा है और दूसरी तरफ उसमें गिरधारीलाल जी, सीताराम जी और दूसरे थोड़े से बड़े-बड़े उच्च पदाधिकारियों के कमल खिलाये जा रहे हैं। मौजूदा सरकार इस कंगाली के कीचड़ में इन करोड़पतियों के कमल पैदा कर रही है, मंत्रियों और अफसरों के कमल बना रही है। मैं चाहता हूं कि यह व्यवस्था टूटे और नहीं तो हरिजनों का उत्थान नहीं होगा। इसके बाद आप समय देंगे तो मैं थोड़े से अपने सुझाव रख दूंगा। इसके साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूं और मेरी इस बात से जो शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब के कमिश्नर हैं वे सहमत हैं, समर्थक हैं। उनका भी कहना है कि जो स्थान योग्य व्यक्तियों के न मिलने के कारण रिक्त रहते हैं वे कम से कम दो वर्ष तक भरे न जायें किन्हीं दूसरे लोगों से और उसकी इंक्वायरी हो, उसकी जांच हो और जो हमने एक हाई लेविल कमेटी बनाने की बात कही थी वह कमेटी देखे कि वह स्थान क्यों नहीं भरे जा सके और उसके सुझाव के अनुसार ही उन स्थानों पर नियुक्ति हो।

परिगणित जाति के उम्मीदवारों के लिये मैंने कह दिया कि उनको साक्षात के लिये नहीं बुलाया जाना चाहिये। उसका दोष मैंने बता दिया था। एक बात और कहना चाहता हूं कि परिगणित जाति के उम्मीदवारों के लिये एफीशियेन्सी (कुशलता) बढ़ाने के लिये एक रिफ्रेशर कोर्स भी खोला जाना चाहिये ताकि उनके अन्दर एफीशियेन्सी क्रियेट (कुशलता उत्पन्न) हो।

उसके साथ ही साथ जो द्विज और द्विजों के द्विज हैं उनके संबंध में एक बात निवेदन करना चाहता हूं। २५ नवम्बर, १९५९ का दिन हमें हमेशा याद रहेगा जब कि अपने हिन्दुस्तान के नंगे-भूखे किसान करीब ५०,००० की तादाद में दिल्ली की सड़कों पर चले थे और उन्होंने एक नारा लगाया था : राज-काज है किसके हाथ-अंग्रेजी और ऊंची जाति। ऊंची जाति को क्या पहिचान—काम करे ना, तिकड़म खेले, अच्छा खावे नखरे तोले। यह दिल्ली की तमाम सड़कों पर नारा लगाया गया। मैं चाहता हूं कि यह जो नखरे तोलने वाले हैं, अच्छा खाने वाले हैं और काम न करके तिकड़म खेलने वाले हैं, सारा काम तिकड़म से निकालने वाले हैं यह द्विज लोग हैं। इनसे देश को बचावें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी। इसीलिये मैं चाहता हूं कि इन द्विजों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

मैं चाहता हूं कि कुछ समय के लिये प्रतिबन्ध लगाया जाय, उनके लड़के उन के वर्ग के लोग उन स्थानों पर न रखे जायं और जब हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग समकक्ष आ जायें तो अवश्य उनको स्थान मिले। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है।

एक बात और कहूंगा। श्रीमन्, मुझे ५ मिनट और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—केवल एक बात और। अब समय नहीं है।

श्री राजनारायण--यह जो बड़े बड़े अफसर हैं मैं चाहता हूं कि उन पर प्रतिबन्ध लगे। कलेक्टर हैं, एस० पी० हैं, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी हैं, कोई भी हों, उनके लड़के या रिश्तेदार कुछ समय तक स्थान न पायें।

इसके लिये हमारा तर्क सुन लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--अब आप केवल जो एक बात कह रहे थे बस वहीं तक कहिये। और समय नहीं है।

श्री राजनारायण--तो मैं उनका विस्तार में वर्णन नहीं करना चाहता। मैं आखिरी बात यह और कह रहा हूं कि हमारे इस माननीय सदन के सदस्यों के दिमाग में फ़्रस्ट्रेशन (निराशा) हो रही है। जो कुछ लोगों ने कहा कि अगर यह स्थिति नहीं बदली तो चाहे चीन आये, चाहे रूस आये, हम उसका स्वागत करने के लिये तैयार हैं। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा जिस दिन बाहर के लोग हमारे यहां आयेंगे और इस सदन के सदस्य उनका स्वागत करेंगे। हमने खून पसीना एक करके जिस आजादी को हासिल किया है उसकी सुरक्षा के लिये हम कभी भी उनको आने नहीं देंगे चाहे उसके लिये हमें डट कर मुकाबिला करना पड़े और चाहे इस सरकार को हटाना पड़े। इन शब्दों के साथ हमारा कटौती का प्रस्ताव ज्यों का त्यों अपनी जगह पर है।

***गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)**--श्रीमन्, मुझे खेद है कि मैं कुछ समय के लिये यहां उपस्थित न रह सका। आज काउन्सिल में बजट के ऊपर विवाद का आखिरी दिन था और मेरे लिये यह आदेश था कि मैं ढाई बजे से वहां रहूं। वह भी चूंकि विधान मंडल का ही एक अंग है, और वहां रहना मेरे लिये जरूरी था, इसलिये मेरा अपराध कुछ कम हो जाता है। मुझे आशा है उसके लिये मुझे क्षमा किया जायेगा।

श्रीमन्, इस अनुदान के संबन्ध में माननीय राजनारायण जी ने जो कुछ कहा उसका उत्तर देना तो कठिन है और उसके लिये आपने, उपाध्यक्ष महोदय, आज रूलिंग भी दे दी है कि आपका (राजनारायण जी का) उत्तर आज तक किसने दिया है?

श्री उपाध्यक्ष--वह मेरा आब्जर्वेशन था, रूलिंग नहीं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरे लिये श्रीमन्, वह रूलिंग ही है।

श्री राजनारायण--यह आप क्या त्रिपाठी की हैसियत से कह रहे हैं?

(हंसी)

श्री कमलापति त्रिपाठी--तो श्रीमन्, उत्तर तो मैं क्या दूंगा, लेकिन यह अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारे राजनारायण जी को जो शिक्षा और पुलिस पर बोलने का अवसर नहीं मिला, तो उन्होंने सब की कसर इसमें निकाल ली। इसके अलावा उन्होंने सूचना विभाग तक को घसीट लिया। उसको भी नहीं छोड़ा। उन्होंने यहां तक कहा कि इसका मंत्रालय और इस विभाग के मंत्री निकम्मे हैं।

श्री राजनारायण--यह आपकी तरफ के लोगों ने कहा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--किसी ने भी कहा हो, लेकिन उसको उद्धृत आपने ही किया है। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि मैं निकम्मा हूं और सबसे ज्यादा हूं। लेकिन अब आप लोगों के साथ बैठ कर सीख रहा हूं कि कुछ सकम्मा हो जाऊं। जहां तक इस विभाग का संबंध है, इसका नाम ही ऐसा है कि बहुत सी बातें इसमें ऐसी आ जाती हैं, इसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नाम की वजह से, जो सीधे इसके कार्य क्षेत्र की परिधि में नहीं आतीं। लेकिन इस अनुदान पर विवाद के समय सारी की सारी समस्या उपस्थित हो जाती है। यह विभाग तो ऐसा है कि इस साल केवल ढाई करोड़ रुपये का बजट इसके लिये है, उसमें से जैसा कि माननीय राजनारायण ने बताया, ५० लाख रुपया तो भारत सरकार से मिला और भी होगा, काफी रुपया उनका आता है। सब जगह हरिजनों को नौकरी दिलावें, सारे जितने विभाग हैं उनमें १८ प्रतिशत उनको करा सकें चाहे पुलिस का हो, सूचना का हो, शिक्षा का हो, ट्रांस्पोर्ट का हो, जहां न लिये जाते हों वहां आदेश देकर रोक दें यह तो इस विभाग के अधिकार-क्षेत्र के बाहर है। यह बहुत थोड़ा सा काम करता है, कुछ हरिजनों की सेवा की दृष्टि से। कुछ रुपया प्रदेश की सरकार से, कुछ भारत सरकार से मिल जाता है।

सब से बड़ा काम इसमें शिक्षा संबंधी है। मैं समझता हूं करीब १ करोड़ रुपया, १ करोड़, २५ लाख शिक्षा संबंधी व्यय उसका है, जिसमें सब की फीस जो माफ की जाती है दर्जा १ से लेकर एम० ए०, बी० ए० बगैरह तक की, वह माफ रहे, उसको हम रिएम्बर्स करते हैं और किताबों इत्यादि के लिये अनुदान देते हैं। कभी कभी होस्टल वगैरह में लड़के रखे जाते है, उनको खर्चा भी देते हैं। यह सब प्राइमरी शिक्षा में जो बच्चे हैं उनके लिये तो एजूकेशन फ्री हो गयी, लेकिन नतीजा यह हुआ है कि जिला परिषदों को गवर्नमेन्ट की ओर से जितना फीस का नुकसान हुआ है दर्जा ५ तक का वह उनको रिएम्बर्स होता है। तो ढाई करोड़ में से डेढ़ करोड़ तो शिक्षा के संबंध में खर्च होत हैं। उसमें भारत सरकार की ओर से हमें काफी सहायता मिलती है। हाई स्कूल से ऊपर जो विद्यार्थी पढ़ें उनकी फीस पूरी देते हैं और उनके लिये स्कालरशिप्स देने पड़ रहे हैं। पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिये भी उसमें कुछ अनुदान है, कुछ परसेंटेज है कि इतना दिया जाय।

इसके अलावा कुछ थोड़ा सा काम यह विभाग और करता है जैसे पीने के पानी की व्यवस्था है हरिजनों के लिये। गत वर्ष यह प्रश्न पेश था, तो हमने एक कमेटी बनाकर जांच करायी। ऐसा लगा और जिनको थोड़ा बहुत भी देहाती जीवन से सम्पर्क रखन का अवसर मिलता है, उनको अनुभव है कि हरिजनों के पानी पीने के संबंध में बहुत कठिनाई होती है, कुएं उनके लिये बने। तो करीब १२,००० कुएं बनाने की जरूरत पड़ जाती है ताकि हर हरिजन बस्ती में १-२ कुएं हो जायं। ऐसा सर्वे हमारा आया। प्रायः हर गांव में कुएं हो जांय, उसकी योजना भी हमने बनायी है। अबकी बार सरकार का हरिजन विभाग जो है, गृह विभाग के साथ उसने एक सम्मेलन किया और उसमें हमने अपनी यह योजना रखी कि कुएं उनके लिये बनावें, उसके लिये भी कुछ रुपया है।

कुछ मकानों इत्यादि के लिये दिया जाता है। अभी हमारे भाई कन्हैयालाल जी कह रहे थे कि रुपया कम होता है, जो अनुदान दिया जाता है, और हरिजन सहायक समितियां जो स्थानीय हैं, वह जितना आप देना चाहते हैं उससे भी कम देती हैं और उसक कारण वह पैसा भी बेकार हो जाता है तो हरिजन सहायक समितियों का इस तरफ ध्यान जाना चाहिए। हम उनको ध्यान दिलायेंगे। कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग में हम लड़कों को भेजते हैं कि छोटे मोटे व्यवसाय करें हरिजन भाई, खासकर जो टेक्निकल शिक्षा से शिक्षित होकर आयें उनको सहायता दें। और जो हमारी हरिजन बस्तियों के लिये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की और क्रिमिनल ट्राइब्स की बस्तियों के लिये रुपया मिला है उससे हम उनकी कुछ कालोनीज बसायें, इस तरह के सब काम हैं। एक प्रकार से यह विभाग हरिजन समाज की सेवा की दृष्टि से चलता है। इसमें जितना रुपया खर्च किया जाय वह कम है, इसमें ई सन्देह नहीं। ढाई करोड़ हम खर्च कर रहे हैं, इससे ज्यादा की आवयकता

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

है और हम उसकी मांग भी करते चलते हैं पर इस विभाग के जिम्मे एक प्रकार से हरिजनों की सेवा करने का ही कार्य है। आगे उनकी उन्नति और विकास के लिये जहाँ तक शिक्षा का संबंध है वह अवश्य सहायक होगी। और जो पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं उनसे अगर सामूहिक रूप से कल्याण होता हो तो वह भी पहुंच सकता है। बहरहाल इस विभाग के जरिये एक संकुचित परिधि में काम हो रहा है और उसी के लिये यह अनुदान प्रस्तुत है।

जहां तक नौकरियों की बात है, एक तो बात हमारे राजनारायण जी ने बैकवर्ड कमीशन की कही। तो हमारे यहां एक लिस्ट बनी है कि बैकवर्ड कितनी जातियां हैं, लेकिन बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट अभी भारत सरकार को सबमिटेड है और हमने जो एक अस्थायी लिस्ट बना रखी है वह इसी माने में है कि हरिजन सहायक विभाग के जरिये से जो सुविधायें मिलनी हैं वह इन लोगों को भी मिलें। उस कमीशन ने भी कुछ लिस्ट बना रखी है। इसलिये भारत सरकार का अंतिम निर्णय हो जाय कि यह पिछड़ी जातियां मान्य होंगी और हमारे प्रदेश के संबंध में भी उनका निर्णय हो जाय कि यह पिछड़ी जातियां मान्य होंगी, लेकिन अभी तक उनका इस संबंध में कोई फैसला नहीं हुआ है और वह इस लिये कि वह एक आधार के विषय में विचार कर रहे हैं, उन्होंने सब प्रदेशों की भी राय ली है, सम्मेलन में भी इस विषय में चर्चा की गई थी और विचार विमर्श हुआ कि किस आधार पर किसी को पिछड़ा वर्ग मानें। केवल जाति के आधार पर मान लें या पिछड़ी हुई शिक्षा के आधार पर मान लें या व्यवसाय के आधार पर मान लें, किन आधारों पर मानें कि यह पिछड़ी जाति है। उस आधार क विषय में हम लोगों के पास अंतिम निर्णय नहीं पहुंचा है, लेकिन मैं समझता हूं कि शीघ्र ही उनका निर्णय आ जायगा। तो कोई क्राइटेरिया या कसौटी तय हो जाय तब उस आधार पर आगे बढ़ें।

श्री राजनारायण---मैं जानना चाहता हूं कि अगर यह सरकार कोई अपना स्वयं आधार बनाये तो उसमें क्या कोई वैधानिक रुकावट है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---प्रतिबन्ध कोई वैधानिक क्या होगा, प्रतिबन्ध यही है केवल कि यह निश्चय हो जाय कि इन्हीं जातियों को रखें ताकि उनको हमेशा सहायता मिलती रह। यह न हो कि आज हम किसी को सहायता दें और कल विदड्रा कर लें और उनसे कहें कि हम तुम को पिछड़ी जाति नहीं मानते, इससे दिक्कत पड़ जायगी। इसलिये एक आधार और बेसिस तय कर रहे हैं। मान लीजिये हमने जो ५८ जातियां लिखी हैं उनमें केन्द्रीय सरकार कह दे कि इसमें तीस जातियां ही बैकवर्ड हैं, बाकी नहीं हैं तो आज जिनको सुविधा मिलने लगेगी वह बन्द करनी पड़ेगी। इसलिये हम चाहते हैं कि स्थायी रूप से सुविधा प्रदान की जाय। केन्द्रीय सरकार ने कहा कि पहले आधार तय हो जाय तब वह स्वीकृति प्रदान करेंगे। मैं समझता हूं कि वह बहुत जल्द हो जायगा और उसकी चर्चा जोरों से चल रही है। उनके निर्णय के बाद फिर बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो कुछ संभव हो वह किया जाय।

जहां तक नौकरियों का प्रश्न है मैं समझता हूं कि उसमें काफी बल है और वह इस मानी में कि अगर हमने १८ प्रतिशत का उनका प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है तो फिर केवल उसके स्वीकार करने से ही काम नहीं चलता बल्कि उसे कार्यान्वित करने की आवश्यकता है और उसकी चेष्टा भी होनी चाहिये। यह सही है कि उसमें कुछ दिक्कतें हैं, योग्य उम्मीदवारों के न मिलने की अथवा सेलेक्शन की और कम्पेटीशन में उनके न आने की, यह दिक्कतें जरूर पड़ती हैं। कुछ तो ऐसी जगहें हैं जिनमें कम्पीटीशन के आधार पर लिये जाते हैं। बहुत लम्बी चौड़ी तादाद हमारे ऐसे

कर्मचारियों की है जिसमें सीधे-सीधे भरती होती है। फिर एक कमेटी भी बनी जो देखे कि किस वजह से पूरा नहीं होता है और उपाय सुझावे कि १८ प्रतिशत जल्दी हो जावे। जैसा माननीय राजनारायण जी कह रहे थे, जो जगह हरिजनों से नहीं भरी जा सकती है उनमें बैकवर्ड क्लास के लोग रखे जावें, तो यह शायद हरिजन भाइयों को ही पंसद न हो। जो एट पार नहीं पहुंचे हैं अगर उनको कम्पीटीशन में खड़ा कर देंगे तो वे एट पार पहुंच ही नहीं सकते हैं। उनको उचित प्रतिनिधित्व देने के लिये हरिजन कल्याण विभाग सभी विभागों से अनुनय विनय कर सकता है और जहां तक मैं समझता हूं वह करता भी रहा है। बावजूद अपने निकम्मेपन और दुर्भाग्य से द्विजत्य के, हम इसके लिये चेष्टा करेंगे। जहां तक हमारे अपने विभागों का संबंध है, उनके लिये तो पूरी तालिका माननीय राजनारायण जी ने पेश कर ही दी है। मैं जरूर प्रयास करूंगा कि जहां तक हो उनका प्रतिनिधित्व बढ़े। प्रतिद्वंदिता के आधार पर चुनावों में क्या संभव है और क्या नहीं है, बिना कानून कायदे के देखे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन उसमें उनको लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

थारू और बोक्साओं के लिये कमीशन बैठा हुआ है। वह पहाड़ी इलाकों के लिये है। सिफारिशें आ रही हैं और मैं समझता हूं कि शीघ्र ही उन पर कुछ न कुछ होगा।

हमारे राजनारायण जी ने कुछ सूचना विभाग की तालिका-वालिका पेश की। मैं उनसे मंगा लूंगा कि कौन किस का बहनोई, साला, नाती या नाती का नाती है। कुछ उन्होंने कहा कि "संसार" के सब आदमी उसमें आ गये। संसार को छोड़े भी मुझे १० वर्ष हो गये हैं। 'संसार' के आदमी ही नहीं, पायनीयर, आज, हैरेल्ड, लीडर, हिन्दुस्तान टाइम्स वगैरह के भी आये। कारेस्पांडेण्ट्स भी आये। 'संसार' के सब के सब लिये गये, ऐसी बात नहीं है। एकाध आदमी आया। वे सारी पोस्ट्स पब्लिक सर्विस कमीशन के सुपुर्द हो गई। जो रहे हैं और जो नये हैं, सब कमीशन की मार्फत हो रही हैं।

श्री राजनारायण--कमीशन से मई की तारीख तय हुई कि उस तारीख तक आये हुए आवेदन-पत्रों को ही इंटरव्यू के लिये बुलावेंगे। फिर सूचना विभाग के कार्यालय से नवम्बर तक की लिस्ट भेजी गई और नवम्बर तक जिनके आवेदन-पत्र गये वे सब बुलाये गये। वे किसके रिश्तेदार हैं, यह देख लिया जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना विभाग का बजट तो अभी आयेगा, उस वक्त हम देखेंगे, उस वक्त मैं इसको देख लूंगा। पब्लिक सर्विस कमीशन ने एप्लीकेशन मांगी होंगी, अगर किसी डेट को एप्लीकेशन मांगी होंगी तो वह डेट को बढ़ा भी सकता है, उसका उत्तरदायित्व पब्लिक सर्विस कमीशन पर है। फिर भी आप भेजेंगे तो मैं देख लूंगा। आज तो सूचना विभाग का बजट विचारार्थ नहीं है। मेरा संबंध "संसार" से भी रहा है, "आज" से भी रहा है, और अखबारों से भी रहा है लेकिन वहां कुछ ऐसे अखबारों से लोग आये हैं जिनसे मेरा संबंध नहीं भी रहा है जैसे 'लीडर' में मैं कभी नहीं रहा, 'पाइनियर' में नहीं रहा, वहां के आदमी भी वहां हैं।

अब जहां तक हरिजनों को नौकरी देने का प्रश्न है उससे मैं इस मानी में सहमत हूं कि हमारे हरिजनों के प्रतिनिधित्व के लिये जो भी नियम क्वालीफिकेशन आदि के बने हुये हैं अगर वे उनको स्ट्रिक्टली फालो करने से नहीं आ पाते हैं तो वह कठिनाई उनकी दूर होनी चाहिये। क्योंकि वह बहुत दिनों से पिछड़े हुये हैं इसलिये उनके लिये कोई विशेषता हमें पैदा करनी होगी। हरिजन सहायक विभाग अपनी ओर से इस बारे में सरकार के दूसरे विभागों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न करेगा।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जहां तक जाति बिरादरी का प्रश्न है, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। द्विजातीय लोगों को हमेशा के लिये निकाल दिया जाय, उनको कहीं जगह न दी जाय, इसमें संविधान भी हमारा कुछ बाधक हो सकता है। यह तो एक बड़ी व्यापक नीति का ही प्रश्न हो सकता है और सारे स्टेट्स को सरकारों को इस पर विचार करना होगा। लेकिन इस माने में तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि जहां तक हमारे हरिजन भाईयों का संबंध है उनको तादाद बहुत बड़ी है, बहुत दिनों के वे सताये हुये हैं, अयोग्य उनको रखा गया है, बलपूर्वक अयोग्य रख गया है, उनका मुकाबिला सैकड़ों वर्षों से योग्य व्यक्तियों के साथ कैसे हो सकता है, उस कसौटी पर कैसे वे खरे उतर सकते हैं। वह लक्ष्य तो वे कहीं सैकड़ों वर्षों में प्राप्त कर सकते हैं। अतः उसके लिये हमें कोई मार्ग खोज निकालना होगा।

हमारे हरिजन भाईयों को क्रोध है क्योंकि उनके साथ बहुत दिनों तक दुर्व्यवहार हुआ है, सैकड़ों वर्षों तक वे पीछे ढकेले गये हैं। उनको रोष है, समाज के प्रति रोष है, उस समाज के प्रति जिसमें एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी जिसके फलस्वरूप उन्हें बहुत दिनों तक अपमान और वेदना सहन करनी पड़ी। अब उस व्यवस्था को परिवर्तित करने की चेष्टा हो रही है और होनी चाहिये और बलपूर्वक होनी चाहिये, तेजी के साथ होनी चाहिये।

जहां तक जाति बिरादरी का प्रश्न है हम तो ठीक तरह से कह नहीं सकते कि यह हमारे देश के खून से निकल जायगा, लेकिन हमें देखना यह है कि हमारे सामाजिक विकास और सामाजिक क्रांति में इससे बाधा न पड़ने पाये। इसका पूरा प्रबन्ध हमें करने की आवश्यकता है और कठोरता पूर्वक करने की आवश्यकता है तथा ऐसी दशा में हमारे देश को अग्रसर होना है। इतनी बड़ी तादाद में जो हमारी हरिजन तथा दूसरी जातियां हैं उनको असंतुष्ट रखकर हम आगे नहीं बढ़ सकते।

श्री राजनारायण---हरिजन छात्रों को जो वजीफा मिलना चाहिये था वह अब तक क्यों नहीं मिला?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस बार यह विलम्ब हुआ है, इसकी सूचना मुझे मिली थी इसकी जांच भी करायी थी। इसमें भारत सरकार से जो रुपया आता है वह हमें देर से मिला। अब हमने ५० लाख रुपया भेज दिया है, २० लाख उसमें से बट भी चुका है, ऐसी मेरी इत्तिला है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---और जिनकी पढ़ायी छूट गई, उनका क्या होगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसा कोई केस मेरे सामने आये कि जिसकी पढ़ायी छूट गई हो तो उसके लिये भी ऐसी चेष्टा करेंगे कि वह भी जारी हो जाय। अब रुपया बंट रहा है मान्यवर, और मैं आश्वासन दे सकता हूं कि अबकी मार्च समाप्ति के बहुत पहले ही सारा रुपया वितरित हो जायगा और अगले वर्ष से फिर इसमें विलम्ब न होने पावेगा।

श्री उपाध्यक्ष---मैं राजनरायण जी का कटौती का प्रस्ताव लेता हूं। प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के आधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है, बैकवर्ड कमीशन की रपट को लागू करने की मांग करना।

(प्रश्न उपस्थित किया। और अस्वीकृत हुआ गया)

संख्या ४३––लेखा शीर्षक : ५७–अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३––अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान––लेखा शीर्षक: ५७––प्रकीर्ण के अन्तर्गत २, ५२, ३०, १०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२ मार्च, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६० पर)

जिला संयोजिकाओं और ग्रामसेविकाओं के जो पद अब तक स्थायी घोषित कर दिये गये हैं, वे निम्नलिखित १२ जिलों के लिये स्वीकार किये गये थे—

(१) लखनऊ
(२) रायबरेली
(३) बहराइच
(४) हमीरपुर
(५) फैजाबाद
(६) आजमगढ़
(७) देवरिया
(८) गोरखपुर
(९) बस्ती
(१०) इटावा
(११) मथुरा
(१२) देहरादून

प्रत्येक जिला के लिये १ जिला संयोजिका तथा बारहों जिलों के लिये ग्राम सेविका के २२४ पद स्वीकृत थे।

यद्यपि इन पदों को स्थायी घोषित कर दिया गया है, तथापि सम्बन्धित कर्मचारियों को अभी तक स्थायी घोषित नहीं किया गया है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६७ पर)

This deed executed this.....day of March, 1959 between *Sri Har Bhagwan Dua* son of L. Diwan Chand Dua resident of Narsingh Bhawan Society Park Narahi Lucknow hereinafter called party no. 1 and the Lucknow Improvement Trust hereinafter called party no. 2 .

(1) Whereas party no. 1 Sri Har Bhagwan Dua is the sole proprietor of a plot of land marked ABODR—in the site plan attached herewith situate in Sarai Menduakhan, Beldari Lane, Qandhari Bazar, Lalbagh, Lucknow by virtue of a registered sale deed dated January 10, 1956, executed in favour of party no. 1 by Shrimati Ghasiti Begam widow of Mirza Zahid Beg resident of village Amer Tahsil Fatehpur, district Bara Banki, at present residing at Mohalla Nishatganj, Lucknow; and

(2) Whereas the aforesaid plot ABCDEP is included in a scheme of Lucknow Improvement Trust, Lucknow known as Qandhari Bazar General Improvement Scheme; and

(3) Whereas the Lucknow Improvement Trust Lucknow party no. 2 has now agreed to give provisional permission to Har Bhagwan Dua party no. 1 as mentioned by the Trust in their letter no. 773 dated March 2, 1959 for constructing his house on the portion marked ABCEP out of the aforesaid plot ABCDEP as shown in the site plan attached herewith on conditions that Sri Har Bhagwan Dua party no. 1 transfers all his rights, title and interest in the portion marked CBE to the Lucknow Improvement Trust Lucknow, party no. 2 free of any cost whatsoever out of the afresaid plot as the said portion CDE happens to fall in a proposed street to be laid out by the Trust in implementing the said scheme; and

(4) Whereas Sri Har Bhagwan Dua Party no. 1 has now agreed not to claim any compensation, damages or loss from the Lucknow Improvement Trust party no. 2 for the delay which has already occured or may occur in future in the implementation of the scheme; and

(5) Now this deed hereby witnesses as follows :

No. 1 that in consideration of the provisional sanction given by the Lucknow Improvement Trust party no. 2 to Sri Har Bhagwan Dua party no. 1 for constructing his house on the portion of his plot marked ABCEP in the site plan attached herewith which conforms to the plot as laid out by the Trust in the layout of the aforesaid Qandhari Bazar General Improvement Scheme, Sri Hari Bhargwan Dua party no. 1 hereby transfers to and in favour of the Lucknow Improvement Trust Lucknow party no. 2 all his rights, title and interest in the portion of land marked CDE as shown in the site plan attached herewith measuring 560 Square feet or 6 Biswanisis and 5 Kachwansis valued at Rs. 400 only for the purpose of including the aforesaid plot CDE in the street to be laid out by the Trust if and when the scheme is implemented.

(6) That party no. 1 Sri Har Bhagwan Dua will not claim any compensation from the Lucknow Improvement Trust party no. 2 for the delay in the implementation of the scheme or for any loss or damage caused to him by said delay.

In witness whereof the parties to this deed affix their signature in the presence of the witnesses mentioned below :

(1) Witness — (Sd.) HAR BHAGWAN DUA.
(2) Witness
(1) Witness — Party no. 1.
(2) Witness — Party no. 2.

Draft agreement approved by T. A.
(Sd.) B. DAYAL.

True Copy.

December 10, 1959.

(Sd.) (ILLEGIBLE.)
10. 12, 59

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६९ पर)

क्रम-संख्या	जिला	नाम प्रधान	ग्राम सभा	आरोप
१	इटावा	श्री बच्चनलाल	रूरगंज	सीमेन्ट का दुरुपयोग ।
२	,,	श्री मैकूलाल	पुर्वादानशाह	प्रधान के मकान पर जमीन का रुपया प्रधान की साजिश से चोरी जाने के कारण ।
३	,,	श्री कन्हैयालाल	मत्होसी	पार्टीबन्दी, झगड़ा आदि करने।
४	,,	श्री सरदारसिंह	गाजीपुर	अवैधानिक गांव समाज के पट्टे रिश्तेदारों को करने और दसगुना से अधिक रुपया वसूल करना ।
५	,,	श्री शम्भूदयाल	गूरा	गांव समाज की सम्पत्ति का दुरुपयोग तथा पेड़ों को बेचकर रुपया जमा न करना ।
६	,,	श्री वीरेन्द्रसिंह	बरालाकपुर	गल्ले के पर्चे अवैधानिक रूप से गांव पंचायत के सदस्य न होने पर अन्य व्यक्ति को देना ।
७	,,	श्री महेन्द्रप्रसाद	जाजेपुर	ग्राम समाज की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना ।
८	,,	श्री पुत्तूसिंह	कुठंरा	गांव समाज के मुकदमें की उचित पैरवी न करना ।
९	,,	श्री छोटेलाल	ककोरबुजुर्ग	गांव समाज के मुकदमे की उचित पैरवी न करना।
१०	,,	श्री नाथूसिंह	सढरापुर]	अवैधानिक रीति से पट्टा करना।
११	,,	श्री इन्द्रनारायण]	कस्बा सेंगनपुर	अवैधानिक रूप से गांव समाज की भूमि के पट्टे करना।
१२	,,	श्री बाबूराम	नगला-हरिराम	प्रधान ने स्वयं गांव समाज की भूमि पर अवैधानिक कब्जा किया और नुकसान पहुंचाया।
१३	,,	श्री शिवशंकरलाल	सेहुदपुर	गांव समाज की सम्पत्ति को नष्ट करना।
१४	,,	श्री रघुबीर सहाय	बरियारेमऊ	प्रधान ने कुजीलाल का गल्ला गलत कुर्क करा दिया और पार्टी बन्दी में नुकसान पहुंचाया।

क्रम-संख्या	जिला	नाम प्रधान	ग्राम सभा	आरोप
१५	इटावा	श्री छोटेलाल	सबहद	अवैधानिक पट्टे और हानि पहुंचायी तथा स्वयं लाभ उठाया।
१६	,,	श्री रामसेवक	बाडेपुर	अवैधानिक पट्टे करके गांव समाज को नुकसान पहुंचाया और कागज खो दिये।
१७	,,	श्री ब्रजकिशोर	मूलपुर मुबारिकपुर	पंचायत धन का गबन और आदेश अवहेलना।
१८	,,	श्री गंगाचरण	कामेत	गांव समाज की बैठक तथा रिकार्ड ठीक न रखना।
१९	,,	श्री छेदालाल	हालपुर-तुरकपुर	अवैधानिक कार्य करके गांव समाज को हानि पहुंचायी।
२०	,,	श्री अजबसिंह	चौबेपुर	पंचायत कोष अनियमित रखने आदि।
२१	,,	श्री गयाप्रसाद	बेला	धारा १४८-३०२-३०७-४५० १२० आई० पी० सी० में गिरफतार होने।
२२	,,	श्री रामलखन	कराउख	पंचायत धन का गबन, क्षेत्र से बाहर रहना तथा आदेश अवहेलना।
२३	मैनपुरी	श्री राजकुमार	मुढौसी	भा० दं० वि० की धारा १४७, ३२३, ३०४ का अभियुक्त होने के कारण।
२४	,,	प्रेमलता	भारौल	गांव समाज की भूमि के अवैधानिक रूप से पट्टे देने के कारण।
२५	,,	श्री पातीराम	अरसारा	शासकीय अनुदान के सम्बन्ध में फर्जी तथा गलत वाउचर प्रस्तुत करने के कारण।
२६	,,	श्री अजबसिंह	बलरामपुर	बी० डी० सी० मीटिंग में बिला किसी वजह से कभी भी न आने के कारण व अपने कार्य में दिलचस्पी न लेने के कारण पं० राज ऐक्ट की धारा ९५ जी० १ के अन्तर्गत।
२७	,,	श्री रामकृष्ण	हीरागुपालपुर	,,
२८	,,	श्री मुंशीलाल	दुल्हापुर	,,
२९	,,	श्री अनारसिंह	जोगनचंदाई	,,
३०	,,	श्री लाखनसिंह	बेलाहार	,,
३१	,,	श्री तोताराम	आठपुरा	,,
३२	,,	श्री रसिकलाल	अलूपुरा	,,

क्रम-संख्या	जिला	नाम प्रधान	ग्राम सभा	आरोप
३३	मैनपुरी	किशोरीलाल	गंगागहियरपुर	बी० डी० सी० मीटिंग में जिला किसी वजेह से कभी भी न आने के कारण व अपने कार्य में दिलचस्पी न लेने के कारण पं० राज ऐक्ट की धारा ९५–जी० १ के अन्तर्गत
३४	,,	रामफल	ज्योलीझिंगरपुर	,,
३५	,,	खूबचन्द्र	भानपुर	,,
३६	,,	जालिमसिंह	कूकामई	,,
३७	,,	सूबेदारसिंह	बोकापुर	,,
३८	,,	जुगलकिशोर भुर्जी	,,	ग्राम समाज के कार्यों में अनियमितताओं तथा शिकायतों के कारण।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७२ पर)

वित्तीय वर्ष में पर्वतीय जिलों में पेयजल योजनायें

योजना का नाम	अनुमानित व्यय रुपया
१—जिला अल्मोड़ा एवं नैनीताल के ३३ गांवों में जल वितरण योजना ।	५,०५,६१७
२—जिला नैनीताल एवं अल्मोड़ा के २१ गांवों में जल वितरण योजना।	२,६०,५००
३—जिला गढ़वाल एवं टेहरी-गढ़वाल के ३२ गांवों में जल वितरण योजना।	४,०६,०००
४—जिला गढ़वाल एवं टेहरी-गढ़वाल के ३१ गांवों में जल वितरण योजना।	२,५५,०००
५—टेहरी-गढ़वाल जिले में टेहरी जल वितरण योजना।	१,००,०००
६—जिला गढ़वाल में चमोली अलीमजीरिया-पयान नथूना जल वितरण योजना ।	२३,१०३
७—टेहरी-गढ़वाल जिले में देवप्रयाग जल वितरण योजना।	३,१०,०००
८—देहरादून जिले के २० गांवों में जल वितरण योजना।	४,८७,०००
९—देहरादून जिले के अन्य २० गावों में जल वितरण योजना।	६,०६,०००
१०—नैनीताल जिले के २३ गावों में जल वितरण योजना।	२,७५,०००
११—नैनीताल नगरपालिका की पुनर्गठन जल वितरण योजना।	२१,४००
१२—मसूरी गन हिल जलाशय का निर्माण।	५,३७,०००

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—३०४ एल० ए०—१९६० ८४५ ।